

बासठवीं वार्षिक रिपोर्ट 2020-21



दत्तोपंत ठेंगडी
राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार

बोर्ड के उद्देश्य

- श्रमिकों के सभी वर्गों में, जिनमें ग्रामीण श्रमिक भी शामिल हैं, देशभक्ति, राष्ट्रीय अखण्डता, एकता, सौहार्द, साम्प्रदायिक सहिष्णुता, धर्म-निरपेक्षता तथा भारतीय होने के स्वाभिमान की भावना को मजबूत बनाना;
- श्रमिकों के सभी वर्गों को, जिनमें ग्रामीण तथा महिला श्रमिक भी शामिल हैं, राष्ट्र के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में उनकी अभिन्न सहभागिता के लिए उनके उद्घोषित उद्देश्यों के अनुसार तैयार करना;
- श्रमिकों में उनके सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण की समस्याओं, परिवार के सदस्यों के प्रति उनके उत्तरदायित्वों और नागरिकों के रूप में, उद्योग में श्रमिक के रूप में, अपने श्रम संघ के सदस्य एवं पदधारी के रूप में उनके अधिकारों और दायित्वों के प्रति अधिक समझबूझ का विकास करना;
- समय-समय पर देश की चुनौतियों का सामना करने हेतु सभी पहलुओं में श्रमिकों की क्षमता का विकास करना;
- अधिक प्रबुद्ध सदस्यों तथा बेहतर प्रशिक्षित अधिकारियों के माध्यम से शक्तिशाली, एकीकृत एवं अधिक जिम्मेदार श्रमिक संघों का विकास करना तथा श्रमिक संघ आंदोलन में प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं और परम्पराओं को मजबूत बनाना;
- श्रमिकों को संगठन के कर्मचारियों के रूप में अधिकार देना तथा सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए प्रभावी माध्यम के रूप में श्रमिकों में अपनत्व की भावना का विकास करना;
- रोजगार प्राप्त करने एवं उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल को हासिल करने एवं सतत उन्नयन के साधनों तक पहुँचने के लिए श्रमिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

ग्रामीण श्रमिक शिक्षा कार्यक्रमों के उद्देश्य

- ग्रामीण श्रमिकों के बीच उनके सामाजिक, आर्थिक वातावरण की समस्याओं के लिए महत्वपूर्ण जागरूकता एवं उनके विशेषाधिकारों और दायित्वों को श्रमिकों के रूप में, ग्राम समुदाय के सदस्यों के रूप में तथा नागरिकों के रूप में बढ़ावा देना।
- ग्रामीण श्रमिकों को आत्मविश्वास की रक्षा के लिए शिक्षित करना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना।
- ग्रामीण श्रमिकों को उनके व्यक्तिगत और सामाजिक हितों की रक्षा करने तथा बढ़ावा देने में उन्हें शिक्षित करना।
- ग्रामीण श्रमिकों को उनके संगठन को विकसित करने में शिक्षित करना, जिसके माध्यम से वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक कार्य एवं उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकते हैं और सभी धर्मों के लिए सम्मान और अर्जित धन का समान वितरण के लिए ग्रामीण समाज के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी को सुदृढ़ करना।
- ग्रामीण श्रमिकों को परिवार कल्याण योजना के लिए प्रेरित करना तथा सामाजिक बुराइयों का सामना करना।

62^{वीं}
वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा
2020–21



दत्तोपंत ठेंगड़ी
राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
उत्तर अंबाझरी मार्ग, नागपुर-440033.

हमारे मार्गदर्शक 2020-21



श्री संतोष कुमार गंगवार
माननीय श्रम राज्यमंत्री
श्रम एवं रोजगार (स्वतंत्र प्रभार)



श्री अपूर्व चन्द्र, भा.प्र.से.
सचिव,
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
भारत सरकार



श्री विरजेश उपाध्याय
अध्यक्ष
द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो.



सुश्री अनुराधा प्रसाद, भा.र.ले.से.
अपर सचिव
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
भारत सरकार



सुश्री सिबानी स्वैन, आई.ई.एस.
अपर सचिव/वित्तीय सलाहकार
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय)
भारत सरकार



श्री हर्ष वैद्य, भा.र.ले.से.
महानिदेशक, द.ठे.रा.श्र.शि.वि.बो.

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

(भूतपूर्व केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड)

(सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत 16 सितम्बर, 1958 को पंजीकृत)

31 मार्च, 2021 को बोर्ड के सदस्य

अध्यक्ष

श्री विरजेश उपाध्याय

अध्यक्ष

भारत सरकार के प्रतिनिधि

सुश्री अनुराधा प्रसाद

अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,
नई दिल्ली

सुश्री सिबानी स्वैन

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
भारत सरकार

श्री रवि कात्याल

निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

राज्य सरकार के प्रतिनिधि

श्री बरुण कुमार राय (भा.प्र.से.)

प्रधान सचिव, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता

श्री अभिषेक चन्द्रा (भा.प्र.से.)

विशेष सचिव, श्रम निदेशालय, त्रिपुरा सरकार, अगरतला

श्री अतुल आनंद (भा.प्र.से.)

श्रम आयुक्त, डीएमएस कॉम्प्लेक्स, तैनामपेट, चेन्नै

डॉ. सुमन वैष्णव

सहायक प्रोफेसर (मनोविज्ञान), महात्मा गाँधी श्रम संस्थान
(एमजीएलआई), अहमदाबाद

श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि

श्री जगदीश जोशी

अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, भा.म.सं.

श्रीमती नीता चौबे

अखिल भारतीय सचिव, भा.म.सं., नागपुर

श्री सुकुमार दामले

अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस, (आयटक), नई दिल्ली

श्री सुधाकर आर. अपराज

महासचिव (हि.म.स.), मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डाक एवं जनरल एम्प्लॉयज
यूनियन, पोर्ट ट्रस्ट कामगार सदन, मुंबई

महासचिव

श्री के. सोमाशेखर

सी.आई.टी.यू. द्वारा नामित प्रतिनिधि

उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय समिति, अखिल भारतीय यूनाइटेड श्रमिक संघ (आयटक), कर्नाटक

नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि

श्री अतुल सोबती

महानिदेशक, स्कोप, नई दिल्ली

महासचिव

महासचिव

डॉ. उदय चंद्र सुवर्णा

श्री प्रमोद कुमार सिंघानिया

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

ई.एफ.आई. द्वारा नामित प्रतिनिधि

ए.आई.ए.आई. द्वारा नामित प्रतिनिधि

राष्ट्रीय अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एफ.ए.एस.आई.आई.), बेंगलूरु

अध्यक्ष, भारतीय लघु उद्योग परिषद (आई.सी.एस.आई.), कोलकाता

अध्यक्ष, आई.आर. और मानव संसाधन समिति, पीएचडी चेंबर ऑफ वाणिज्य और उद्योग, नई दिल्ली

शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि

श्री अजय पतकी

लेण्ड्रा पश्चिम, नागपुर

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रतिनिधि

प्रोफेसर गणेश कवाडिया

अर्थशास्त्र के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

पदेन सदस्य सचिव

श्री हर्ष वैद्य (भा.र.ले.से.)

महानिदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

31 मार्च, 2021 को वित्त उप समिति के सदस्य

अध्यक्ष

श्री विरजेश उपाध्याय अध्यक्ष

सदस्य

श्री सुशील कुमार कालरा निदेशक (वित्त), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

श्री राहुल भगत निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

श्री जगदीश जोशी अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, भा.म.सं.

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह अध्यक्ष, आई.आर. एवं एच.आर. और समिति, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली

श्री हर्ष वैद्य (भा.र.ले.से.) महानिदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

वित्त एवं लेखा

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए बोर्ड द्वारा भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली से रुपये

84.50 करोड़ सहायता अनुदान प्राप्त हुआ। जिसमें वर्ष 2020–21 के लिए वेतन के अधीन रुपये 0.15 करोड़ और सामान्य के अधीन रुपये 0.45 करोड़ प्राप्त होने वाली राशि शामिल है। प्राप्त बोर्ड ने एक्रुअल आधार पर रुपये 90.59 करोड़ व्यय किया। इस प्रकार वर्ष 2020–21 की समाप्ति तक अव्ययित अनुदान रुपये शून्य है और रुपये 6.69 करोड़ का मैचिंग अनुदान प्राप्त होना है।

स्व.को.नि./सीटीपी से अर्जित ब्याज रुपये 0.31 करोड़ के आकस्मिक व्यय को दर्ज किया गया है।

— अनुक्रमणिका —

क्रमांक	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1.	बोर्ड की प्रस्तावना	11
2.	भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान	30
3.	बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम	40
4.	सहायता अनुदान	50
5.	अन्य गतिविधियाँ	51
6.	वर्ष 2020-21 में बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यक्रम	55
7.	प्रतिभागियों एवं समाज पर प्रशिक्षण का प्रभाव	72
8.	सांख्यिकीय सारणियाँ	76
9.	लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र	92
10.	अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट का जवाब	95
11.	तुलनपत्र	110
12.	आय एवं व्यय लेखा	111
13.	अनुसूची 1-25	112-139
14.	प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा	140
15.	सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा	142
16.	सामान्य भविष्य निधि आय एवं व्यय लेखा	143
17.	सामान्य भविष्य निधि तुलनपत्र	144
18.	बचत खाते एवं जमा खाते में बैंक शेष का विस्तृत विवरण	145
19.	सामान्य भविष्य निधि निवेश विवरण	146
20.	विशेष जमा विवरण	147
21.	राष्ट्रीयकृत बैंक में सा.भ.नि. जमा का विवरण	148
22.	गृह निर्माण अग्रिम जमा	150
23.	जमा चंदा का विवरण	151
24.	स्रोत पर कर कटौती की वापस की गई जमा राशि का विवरण	152
25.	स्वयं कोष निर्माण लेखा जमा का विवरण	153
26.	नई पेंशन योजना प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा	155

अध्याय—1

बोर्ड की प्रस्तावना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आयोजकों ने महसूस किया कि हमारे जैसे प्रजातांत्रिक समाज के लिए श्रमिक संघों तथा देश के शीघ्र विकास हेतु उनकी गतिविधियों में श्रमिकों की सक्रिय एवं समझदार भागीदारी की आवश्यकता है। श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक सशक्त, मुक्त, जिम्मेवार तथा प्रजातांत्रिक श्रमिक संघ आंदोलन महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में प्रमाणकारी भूमिका निभाने के लिए श्रमिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस संदर्भ में आयोजकों ने विचार किया था कि राष्ट्र निर्माण के कठिन कार्य में प्रमाणकारी रूप में अपनी भूमिका निभाने हेतु श्रमिकों तथा उनके श्रमिक संघों को तैयार करने में श्रमिक शिक्षा मदद कर सकेगी। इन परिस्थितियों ने सन् 1957 में श्रमिक शिक्षा योजना को सूत्रबद्ध करने में विशेषज्ञों की सलाह लेने के लिए सरकार को बाध्य किया। इस तरह भारत सरकार ने फोर्ड फाउण्डेशन के सहयोग से श्रमिक शिक्षा योजना का प्रस्ताव करने के लिए विशेषज्ञों की अन्तर्राष्ट्रीय टीम को नियुक्त किया। मार्च, 1957 में विशेषज्ञों की टीम ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जुलाई, 1957 में आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र में विशेषज्ञों की टीम की सिफारिशों का समर्थन किया गया। भारतीय श्रम सम्मेलन ने श्रमिक शिक्षा योजना को लागू करने हेतु एक अर्ध-स्वायत्त बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश की थी। उक्त सिफारिश के परिणामस्वरूप सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत 16 सितम्बर, 1958 को पंजीकृत एक त्रिपक्षीय सोसाइटी के रूप में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई।

संगठनात्मक ढाँचा

बोर्ड का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। बोर्ड, देश के विभिन्न भागों में स्थित अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों तथा 07 उप-क्षेत्रीय निदेशालयों के नेटवर्क द्वारा अपने कार्यकलापों का संचालन करता है। दिल्ली, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नै एवं भोपाल में स्थित 06 आंचलिक निदेशालय अपने-अपने अंचल के क्षेत्रीय निदेशालयों की प्रशिक्षण गतिविधियों का अनुवीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते हैं।

बोर्ड राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं इकाई जैसे तीन स्तरों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। सन् 1970 में स्थापित बोर्ड के शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

सशक्त और अधिक जवाबदार श्रमिक संघों का विकास करना, श्रमिक संघ प्रशासन में प्रजातांत्रिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना, प्रजातांत्रिक समाज में अपनी जगह बनाने के लिए श्रमिकों को सन्नद्ध करना, सामूहिक हित के आधार पर श्रमिकों में "राष्ट्रहित प्रथम" की भावना का निर्माण, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में बोर्ड को सक्षम बनाना ही भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान की स्थापना का प्राथमिक लक्ष्य है।

संस्थान एक सूचना केन्द्र है और श्रमिकों के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह बोर्ड के क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय निदेशालयों के लिए ज्ञान का भण्डार भी है। संस्थान में श्रमिकों के लिए शिक्षा प्रणाली साधनों को विकसित करने एवं परिष्कार करने के लिए अनुसंधान विंग भी है। यह बोर्ड के पदाधिकारियों के लिए गृह प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

बोर्ड तथा शासी निकाय

केन्द्र सरकार, केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि, केन्द्रीय संगठनों के नियोक्ता तथा राज्य सरकार एवं शैक्षणिक निकायों के प्रतिनिधि बोर्ड के सदस्य हैं। बोर्ड के सदस्यों में से चयनित शासी निकाय द्वारा बोर्ड की गतिविधियों का संचालन किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा नामित अंशकालिक गैर-सरकारी अध्यक्ष बोर्ड का नेतृत्व करते हैं। श्री विरजेश उपाध्याय बोर्ड ने दिनांक 01.01.2021 को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। बोर्ड के प्रशासकीय प्रधान बोर्ड के महानिदेशक हैं। जिनकी नियुक्ति कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा की गई है। श्री हर्ष वैद्य, महानिदेशक ने दिनांक 19.07.2018 को द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बोर्ड में निदेशक के पद का कार्यभार सँभाला।

क्षेत्रीय निदेशालय के स्तर पर योजना की प्रगति की समीक्षा करने, कार्यक्रमों के यथोचित कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाने तथा सामान्यतः क्षेत्रीय निदेशालयों के कार्य का पर्यवेक्षण करने के लिए क्षेत्रीय सलाहकार समितियों की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय सलाहकार समितियाँ भी त्रिपक्षीय प्रकार की हैं।

प्रशिक्षण

बोर्ड संगठित, असंगठित, ग्रामीण तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के श्रमिकों की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पर्यवेक्षी तथा प्रबंधकीय वर्ग के लिए भी संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। वर्ष 2020-2021 के दौरान संगठित, असंगठित, ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए आयोजित 6516 कार्यक्रमों में 225306 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया। बोर्ड की सहायता अनुदान कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों तथा श्रमिक संघों द्वारा प्रशिक्षित श्रमिकों को भी इसमें सम्मिलित किया गया है।

मूल्यांकन

बोर्ड की स्थापना से ही समय-समय पर दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जा रहा था। इसके अलावा बोर्ड आंतरिक रूप से अपने कार्यक्रमों का मूल्यांकन श्रमिकों के साथ-साथ कर्मचारियों तथा नियोक्ताओं के संगठनों द्वारा करता है और तदनुसार अपने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन भी करता है।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जाधवपुर/बाम्बे श्रम संस्थान, ई.डी.सी.एल., वी.वी.जी.एन.एल.आई. आदि बाहरी एजेंसियों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा चुका है। वर्ष 2020-2021 के दौरान 193 स्वावलंबन समूहों का गठन किया गया था जो असंगठित क्षेत्र में इन स्वावलंबन समूहों के सदस्यों के बीच स्व-रोजगार सृजित करने में मदद किया है।

ध्यानाकर्षित क्षेत्र

ग्रामीण, असंगठित तथा अनौपचारिक क्षेत्रों के बहुसंख्यक श्रमिकों को देखते हुए बोर्ड ने सामान्यतः ग्रामीण, असंगठित श्रमिकों तथा विशेषतः जनजातीय श्रमिकों, निर्माण कार्य श्रमिकों, बाल श्रमिकों एवं महिला श्रमिकों को शिक्षित करने पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र में विशेष कार्यक्रम

बोर्ड ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए क्षेत्र के श्रमिकों की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित किया है। इस क्षेत्र में बोर्ड के चार क्षेत्रीय निदेशालय हैं जो गुवाहाटी, इम्फाल, तिनसुकिया एवं सिलिगुड़ी में स्थित हैं।

बोर्ड का निष्पादन

पिछले 02 वर्षों में प्रशिक्षण की गतिविधियाँ:

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	2019–2020		2020–2021	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राष्ट्रीय स्तर					
1	श्रमिक संघों के कार्यकर्ताओं के लिए पाठ्यक्रम	11	265	27	623
	कुल	11	265	27	623
संगठित क्षेत्र					
राष्ट्रीय स्तर					
2	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम (5 दिवसीय)	8	240	—	—
क्षेत्रीय स्तर					
3	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (10 दिवसीय)	1	24	2	20
4	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (21 दिवसीय)	9	233	9	260
5	क्षमता निर्माण कार्यक्रम	7	117	3	57
6	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	209	4785	113	2271
7	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय)	649	12683	133	2508
8	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी पर कार्यक्रम	1207	30393	623	11972

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	2019–2020		2020–2021	
		कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
9	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	1207	30393	623	11972
10	आवश्यकता पर आधारित विशेष परिसंवाद (1 दिवसीय/5 दिवसीय)	—	—	15	434
11	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (3 दिवसीय)	2	35	—	—
	कुल	2106	48855	897	17516

इकाई स्तर					
12	संयंत्र में अंशकालीन/पूर्णकालीन इकाई स्तर की कक्षाएं	14	348	2	63
13	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	222	5331	85	1692
14	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	13	400	2	80
15	संयंत्र स्तर पर कार्यक्रम (1दिवसीय) (पुनःप्रशिक्षण)	143	3615	102	1879
	कुल	392	9694	197	3714
असंगठित क्षेत्र					
16	असंगठित क्षेत्र/ दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	31	1156	58	2292
17	श्रमिकों एवं उनके जीवन साथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4 दिवसीय)	5	166	14	558

18	श्रमिकों एवं उनके जीवन साथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (2 दिवसीय)	21	720	48	1864
19	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	21	869	—	—
20	उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	67	2099	24	720
21	उत्तर-पूर्व क्षेत्र में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)	6	190	2	60
22	पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1	40	5	171
23	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	402	14831	699	26389
24	महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	356	13412	593	22568
25	बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	33	1236	83	3156
26	बाल श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	—	—	5	200
27	अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	81	2862	186	7015
28	एससीएसपी/टीएसपी श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1720	61861	1583	59989
29	श्रम कल्याण एवं विकास पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	212	7914	401	14858
30	पंचायतीराज कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	6	232	29	1031
31	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पंचायतीराज कार्यक्रम (3 दिवसीय)	19	551	25	691

32	प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	—	—	449	17066
33	अभिनव कार्यक्रम (1 दिवसीय)	17	1312	6	266
34	कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	—	—	174	6330
	कुल	2998	109451	4384	165224
ग्रामीण क्षेत्र					
35	ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	413	15437	722	27369
36	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	11	424	1	40
37	पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	9	463	—	—
38	मनरेगा के गाँव स्तरीय कार्यक्रम	72	2614	288	10820
	कुल	505	18938	1011	38229
	कुल योग	6012	187203	6516	225306

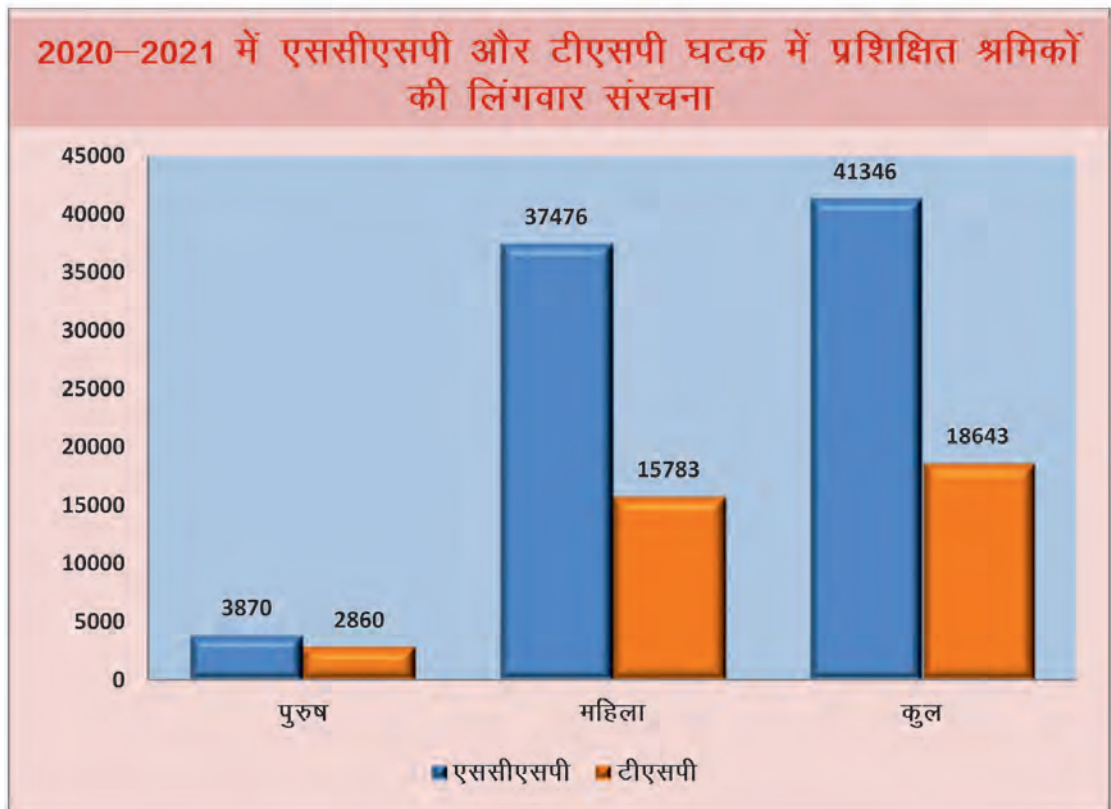
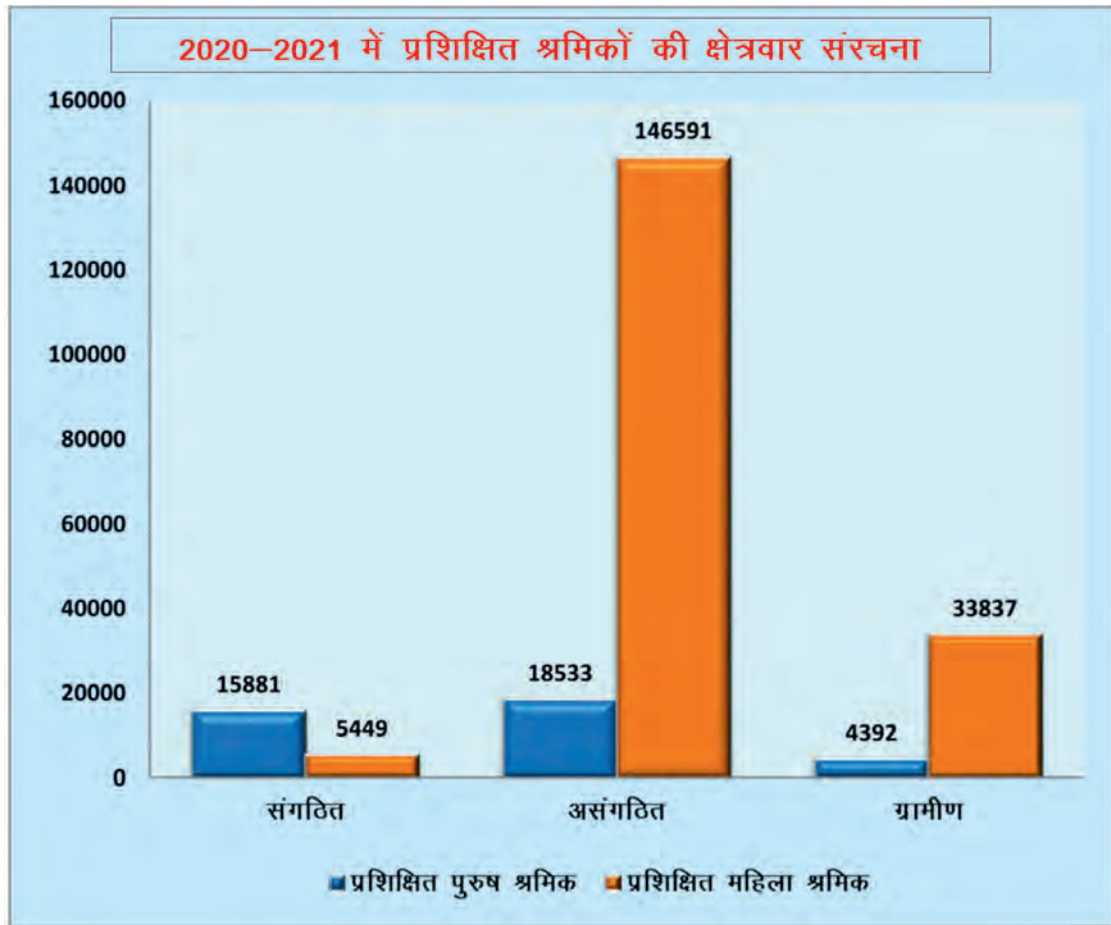
**राज्य/क्षेत्रीय निदेशालय स्तर पर अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक
बोर्ड की गतिविधियों की प्रगति**

राज्य/केन्द्र (शिक्षा अधिकारियों की सं.)	प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या				स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित राशि (रु.में)
	संगठित	असंगठित	ग्रामीण	कुल	
आंध्र प्रदेश (1)	186	1396	199	1781	रु. 40000
विजयवाड़ा (1)	168	1396	199	1763	
विशाखपट्टणम (0)	18	-	-	18	
असम (3)	169	2335	240	2744	-
गुवाहाटी (1)	116	832	160	1108	
तिनसुकिया (2)	53	1503	80	1636	
बिहार (2)	351	4632	947	5930	रु.58000
मुजफ्फरपुर (2)	351	4632	947	5930	
छत्तीसगढ़ (2)	282	2309	873	3464	रु.60000
रायपुर (2)	282	2309	873	3464	
दिल्ली (3)	207	5430	1340	6977	-
दिल्ली (3)	207	5430	1340	6977	
गोवा (2)	305	4075	739	5119	रु.127200
गोवा (2)	305	4075	739	5119	
गुजरात (5)	2538	9560	1667	13765	रु.184300
अहमदाबाद (3)	1710	5512	906	8128	
वड़ोदरा (1)	374	2554	437	3365	

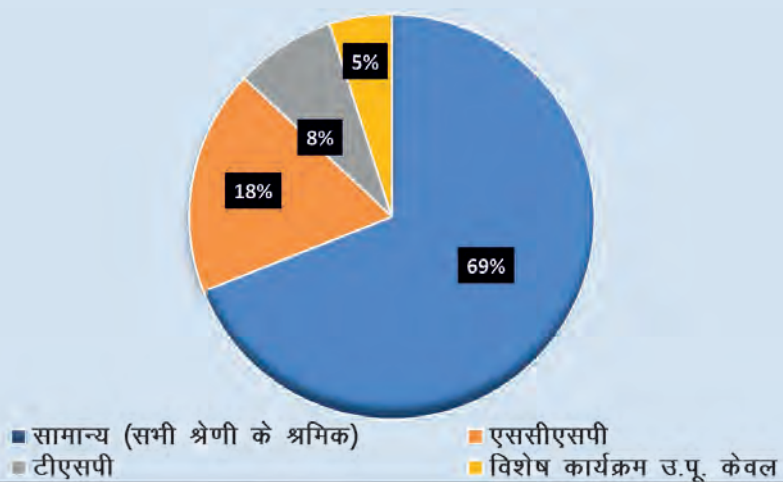
राज्य / केन्द्र (शिक्षा अधिकारियों की सं.)	प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या				स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित राशि (रु.में)
	संगठित	असंगठित	ग्रामीण	कुल	
राजकोट (1)	454	1494	324	2272	
हरियाणा (2)	1289	3823	222	5334	रु.12000
फरीदाबाद (2)	1289	3823	222	5334	
हिमाचल प्रदेश (1)	283	821	566	1670	रु.72150
परवाणू (1)	283	821	566	1670	
जम्मू एवं कश्मीर (1)	54	1651	220	1925	-
जम्मू (1)	54	1651	220	1925	
झारखण्ड (6)	1250	11492	802	13544	रु.256000
धनबाद (2)	357	3917	360	4634	
जमशेदपुर (2)	648	4489	180	5317	
राँची (2)	245	3086	262	3593	
कर्नाटक (5)	493	9876	1803	12172	रु.168000
बेंगलूरु (2)	87	4835	408	5330	
हुबली (1)	164	1172	789	2125	
मैंगलूरु (2)	242	3869	606	4717	
केरल (4)	773	5028	2471	8272	रु.21600
कोचीन (3)	504	3885	1588	5977	
मध्यप्रदेश (10)	2208	16602	3998	22808	रु.104400

राज्य / केन्द्र (शिक्षा अधिकारियों की सं.)	प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या				स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित राशि (रु.में)
	संगठित	असंगठित	ग्रामीण	कुल	
भोपाल (4)	938	7895	1857	10690	
ग्वालियर (1)	148	1424	319	1891	
इन्दौर (2)	549	3059	759	4367	
जबलपुर (3)	573	4224	1063	5860	
महाराष्ट्र (7)	1448	9662	1873	12983	रु.12000
मुंबई (1)	313	1192	72	1577	
नागपुर (3)	681	3904	965	5550	
पुणे (2)	80	3067	637	3784	
नासिक (1)	374	1499	199	2072	
मणिपुर (3)	281	3567	379	4227	-
इम्फाल एवं त्रिपुरा (3)	281	3567	379	4227	
उड़ीसा (8)	1320	11165	2779	15264	रु.102200
बेरहामपुर (2)	221	2762	859	3842	
भुवनेश्वर (4)	717	5964	1282	7963	
राऊरकेला (2)	382	2439	638	3459	
पंजाब (1)	385	1268	360	2013	रु.112000
चण्डीगढ़ (1)	385	1268	360	2013	
राजस्थान (4)	894	5811	1427	8132	-
जयपुर (2)	471	2517	875	3863	
उदयपुर (2)	423	3294	552	4269	

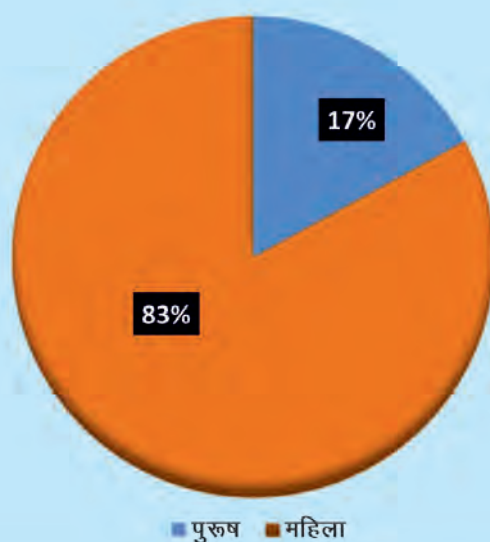
राज्य / केन्द्र (शिक्षा अधिकारियों की सं.)	प्रशिक्षित श्रमिकों की संख्या				स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत अर्जित राशि (रु.में)
	संगठित	असंगठित	ग्रामीण	कुल	
तमिलनाडु (12)	2602	17068	3872	23542	रु.48000
चेन्नै (4)	1656	7226	1590	10472	
कोयम्बतूर (4)	484	5091	1425	7000	
मदुरै (4)	462	4751	857	6070	
तेलंगाना (3)	389	6101	805	7295	-
हैदराबाद (3)	389	6101	805	7295	
उत्तर प्रदेश (15)	2854	18427	7209	28490	रु.192400
इलाहाबाद (4)	608	5654	1560	7822	
बरेली (2)	537	1436	685	2658	
गाजियाबाद (3)	693	3969	2016	6678	
गोरखपुर (3)	494	3499	1313	5306	
कानपुर (3)	522	3869	1635	6026	
पश्चिम बंगाल (9)	729	13065	3438	17232	रु.181800
आसनसोल (1)	184	1589	197	1970	
बैरकपुर (2)	147	2908	358	3413	
कोलकाता (4)	378	6493	1884	8755	
सिलिगुड़ी (2)	20	2075	999	3094	
कुल योग (109)	21290	165164	38229	224683	1752050



वर्ष 2020-21 में सामान्य, अनुसूचित जाति
उप-योजना, जनजाति उपयोजना में
प्रशिक्षित श्रमिक



2020-21 में प्रशिक्षित कुल श्रमिकों का लिंगवार
विवरण



फोटो

बोर्ड की प्रशिक्षण गतिविधियों में अति विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति



श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), सुश्री अनुराधा प्रसाद, अपर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार और श्री हिरन्मय पंड्या, माननीय अध्यक्ष, द.ठें.रा.श्र.वि.बो. एवं श्री अतुल सोबती महानिदेशक स्कोप ने दिनांक 16.12.2020 को असंगठित क्षेत्र के प्रशिक्षण कार्यक्रम और बोर्ड द्वारा दिल्ली में दत्तोपंत ठेंगड़ी की जन्म शताब्दी के अवसर पर उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।





श्री संतोष कुमार गंगवार, माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने असंगठित श्रमिकों के लिए बिशप मंडलो इंटर कॉलेज, सिविल लाईन्स, बरेली के प्रेक्षागृह में आयोजित 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।



बोर्ड का गठन

20 अक्टूबर, 2020 को 03 वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् अक्टूबर, 2023 तक बोर्ड का पुनर्गठन किया गया।

श्रम आयुक्त, चेन्नै के स्थान पर श्री अतुल आनंद, भा.प्र.से. श्रम आयुक्त, चेन्नै को प्रतिस्थापित किया गया। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्था से प्रतिनिधि के रूप में नये सदस्य श्री अजय पतकी, नागपुर को नामित किया गया है।

वार्षिक सामान्य बैठक

वर्ष 2020–21 की अवधि के दौरान 02 वार्षिक सामान्य बैठकें आयोजित की गईं।

1. 17 दिसम्बर, 2020 को 76वीं वार्षिक सामान्य बैठक। (वर्चुअल)
2. 10 मार्च, 2021 को मुख्य कमेटी रूम नई दिल्ली में 77वीं वार्षिक सामान्य बैठक। (वर्चुअल)

महत्वपूर्ण निर्णय

वार्षिक सामान्य बैठक में निम्नलिखित प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया:

- 76वीं वार्षिक सामान्य बैठक में वर्ष 2018–19 के लिए द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो. की 60वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा परिक्षित लेखा का मसौदा अनुमोदित।
- 77वीं असाधारण वार्षिक सामान्य बैठक में 03 साल (वर्ष 2020–23) के लिए शासी निकाय के सदस्य के चुनाव को मंजूरी दी गई है।

शासी निकाय की बैठक

- वर्ष 2020–21 के दौरान शासी निकाय की कोई बैठकें आयोजित नहीं हुईं।

31/03/2021 को बोर्ड में कर्मचारियों का पद के अनुसार विवरण

मुख्यालय, नागपुर	सं.
महानिदेशक	1
अपर निदेशक	-
वित्तीय सलाहकार	-
उप निदेशक	-
क्षेत्रीय निदेशक	2
सहायक निदेशक (रा.भा.)	1
शिक्षा अधिकारी	2
लेखा अधिकारी	1
सहायक निदेशक	1
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1
लेखापाल	3
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी	1
आशुलिपिक	3
सांख्यिकी सहायक	1
तकनीकी सहायक	1
वरिष्ठ लिपिक	6
कनिष्ठ कलाकार	1
उच्च श्रेणी लिपिक	9
निम्न श्रेणी लिपिक	1
हिन्दी टंकक	1
ड्राइवर	2
एमटीएस (चपरासी)	10
कुल	49

भा.श्र.शि.सं., मुंबई	सं.
उप निदेशक (प्रशिक्षण)	-
प्रशिक्षण अधिकारी	-
अनुसंधान अधिकारी	-
पुस्तकालयाध्यक्ष	1
पुस्तकालय सहायक	1
आशुलिपिक	2
वरिष्ठ लिपिक	1
उच्च श्रेणी लिपिक	-
निम्न श्रेणी लिपिक	-
केयर टेकर	1
ड्राइवर	-
एमटीएस (चपरासी)	4
कुल	10

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	ऑ. निदे. / क्षेत्रनिदे	शिक्षा अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ.श्रे. लि.	नि.श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	ऑच. निदे., मुंबई	.	.	1	1	.	.	1	.	1	4	स्वामित्व
2	अहमदाबाद	.	2	.	.	1	.	.	.	1	4	स्वामित्व
3	गोवा	.	2	.	.	.	1	1	.	1	5	किराया-रु. 37,500 / - मासिक
4	मुंबई	.	1	.	.	1	1	1	.	1	4	स्वामित्व
5	पुणे	.	3	.	1	1	.	1	.	.	6	किराया-रु. 62,670 / - मासिक
6	राजकोट	.	1	.	.	.	.	1	.	2	4	किराया-रु. 42,834 / - मासिक
7	ना. फ.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	2	किराया-रु. 28,800 / - मासिक
8	वडोदरा	.	2	.	1	.	1	.	.	1	5	किराया-रु. 21,530 / - मासिक
	कुल	0	12	1	3	3	3	5	.	8	34	.

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	ऑ. निदे. / क्षेत्रनिदे	शिक्षा अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ.श्रे. लि.	नि.श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	ऑच. निदे., भोपाल	.	.	.	.	1	.	1	.	.	2	किराया-मुफ्त
2	भोपाल	.	4	.	.	.	1	2	.	.	7	किराया-मुफ्त
3	ग्वालियर	1	1	.	1	.	1	1	.	.	5	किराया-रु. 24,750 / - मासिक
4	इन्दौर	.	2	.	.	.	1	.	.	2	5	किराया-रु. 10,000 / - मासिक
5	जबलपुर	.	3	.	.	.	2	.	.	.	5	किराया-रु. 23,625 / - मासिक
6	जयपुर	.	2	.	1	1	.	1	.	1	6	किराया-रु. 14,356 / - मासिक
7	नागपुर	.	3	.	1	1	1	1	1	2	10	- स्वामित्व
8	रायपुर	.	2	.	.	1	.	2	.	.	5	किराया-रु. 29,193 / - मासिक
9	उदयपुर	.	2	.	.	.	1	1	.	1	5	किराया-रु. 19,000 / - मासिक
	कुल	1	19	.	3	4	7	9	1	6	50	.

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	ऑ. निदे. / क्षेत्रनिदे	शिक्षा अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ.श्रे. लि.	नि.श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	ऑच. निदे., गुवाहाटी	-	-	-	01 ग्रेड.पद्ध	-	-	1	-	-	2	स्वामित्व
2	गुवाहाटी	1	1	-	1	-	-	-	-	2	5	
3	तिनसुकिया	-	2	-	1	-	1	-	-	2	6	मुपत सरकारी आवास
4	इम्फाल	-	3	-	1	1	1	-	1	02 (एमटीएस)	9	मुपत सरकारी आवास
5	सिलिगुड़ी	-	2	-	1	.	1	1	-	02 (एमटीएस)	7	किराया-रु. 27,877 / - मासिक
	कुल	1	8	-	5	1	3	2	1	8	29	

-	क्षेत्रीय निदेशालय	ऑ. निदे. / क्षेत्रनिदे	शिक्षा अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ.श्रे. लि.	नि.श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	ऑच.निदे., कोलकाता	-	-	-	1	1	-	1	1	1 (एमटीएस)	5	स्वामित्व
2	आसनसोल	-	2	-	-	1	1	1	-	2 (एमटीएस)	7	किराया-रु. 20,225 / - मासिक
3	बैरकपुर	1	2	-	-	-	1	1	-	1 (एमटीएस)	6	स्वामित्व
4	बेरहामपुर	-	2	-	-	-	1	1	-	-	4	किराया-रु. 22,986 / - मासिक
5	भुवनेश्वर	-	4	-	1	-	-	-	-	-	5	किराया-रु. 37,964 / - मासिक
6	धनबाद	-	2	-	-	1	2	1	-	1 (एमटीएस)	7	किराया-रु. 15,481 / - मासिक
7	जमशेदपुर	-	3	-	-	-	2	-	-	1 (एमटीएस)	6	टाटा द्वारा भेट
8	कोलकाता		3	-	1	1	-	1	-	3 (एमटीएस)	9	स्वामित्व
9	मुजफ्फरपुर	-	2	-	-	-	2	-	-	1 (एमटीएस)	5	किराया-रु. 28,452 / - मासिक
10	राँची	-	1	-	1	-	1	-	-	1 (एमटीएस)	4	किराया-रु. 30,857 / - मासिक
11	राऊरकेला	1	2	-	1	1	1	-	-	1 (एमटीएस)	7	किराया-रु. 17,244 / - मासिक
	कुल	2	23	.	5	5	11	6	1	12	65	

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	ऑ.निदे. / क्षेत्रनिदे	शिक्षा अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ.श्रे. लि.	नि.श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	ऑ.नि.(द.अं.), चेन्नै	-	.	1	-	-	3	-	-	1	5	स्वामित्व
2	चेन्नै	-	5	-	-	-	2	-	-	2	9	स्वामित्व
3	मदुरै	-	4	-	-	-	1	-	-	1	6	किराया-रु. 21,970 / - मासिक
4	कोयम्बतूर	1	4	-	-	-	1	1	1	-	8	किराया-रु. 31,170 / - मासिक
5	हैदराबाद	1	3	-	-	-	2	1	-	1	8	किराया-रु. 34,125 / - मासिक
6	विजयवाड़	-	2	-	1	-	-	1	-	1	5	किराया-रु. 36,504 / - मासिक
7	विशाखपट्टणम	-	1	-	-	1	2	-	-	-	4	किराया-रु. 30,000 / - मासिक
8	बेंगलूरु	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	किराया-रु. 36,792 / - मासिक
9	हबली	1	1	-	-	-	1	-	-	1	4	किराया-रु. 28,788 / - मासिक
10	मंगलूरु	-	2	-	-	-	1	-	-	1	4	स्वामित्व
11	कोचीन	1	3	-	1	-	2	-	-	1	8	किराया-रु. 25,420 / - मासिक
12	कोषिकोड	1	1	-	1	-	1	-	-	2	6	सी.जी.ओ.-रु. 31,992 / - मासिक
कुल		5	28	1	3	1	16	3	1	12	70	

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	ऑ.निदे. / क्षेत्रनिदे	शिक्षा अधि.	लेखापाल	आशुलिपिक	वरि. लिपिक	उ.श्रे. लि.	नि.श्रे. लि.	ड्राइवर	एमटीएस / चपरासी / चौकीदार	कुल स्थिति	भवन की स्थिति (स्वामित्व / किराए पर)
1	ऑ.नि.(उ.अं.), दिल्ली	.	.	.	1 (ग्रेड-1)	.	5	.	1	4	11	स्वामित्व
2	इलाहाबाद	1	3	.	1	1	.	2	.	2	10	किराया-रु. 35,959 / - मासिक
3	बरेली	.	2	.	.	1	.	1	.	2	6	किराया-रु. 28,000 / - मासिक
4	चण्डीगढ़	.	2	.	1	1	1	1	1	2	9	किराया-रु. 52,000 / - मासिक
5	दिल्ली	.	3	.	.	.	1 (उ.श्रे.लि.)	.	.	1 (एमटीएस)	5	किराया-मुफ्त
6	फरीदाबाद	1	3	.	1	.	.	.	.	1	6	किराया-रु.43,824 / - मासिक
7	गोरखपुर	0	3	..	1	..	.	..	..	2	6	किराया-रु.33,000 / - मासिक
8	गाजियाबाद	.	3	.	.	1	1	1	.	2	7	किराया-रु.38,000 / - मासिक
9	कानपुर	1	3	.	.	1	2	.	.	1	9	किराया- रु. 34,425 / -
10	जम्मू	.	1	.	1	1	1	1	.	1	4	किराया-रु.23,000 / - मासिक
11	परावाणू	1	1	.	1	.	1	1	.	2	6	किराया-रु.18,614 / - मासिक
कुल		4	24	.	7	6	12	4	2	20	79	

अध्याय—II

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान (भाश्रशिसं), मुंबई की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन हेतु दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रिशिबो) द्वारा वर्ष 1970 में की गई। भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान एक शीर्षस्थ प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते क्षेत्र (फील्ड) में कार्यरत केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों/परिसंघों एवं अन्य संघों के प्रतिनिधियों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करता है।

बोर्ड के शासी निकाय द्वारा गठित प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन के अंतर्गत संस्थान की गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। वर्तमान में प्रबंधन समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:

दिनांक 31.03.2021 को भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई की प्रबंध समिति

अध्यक्ष

श्री विरजेश उपाध्याय अध्यक्ष, दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

उपाध्यक्ष

श्रीमती नीता चौबे अखिल भारतीय सचिव, भा.म.सं.

श्री अतुल सोबती महानिदेशक, स्कोप, नई दिल्ली

सदस्य

श्री राहुल भगत निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

श्री रवि कात्याल निदेशक, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

डॉ. उदय चंद्र सुवर्णा राष्ट्रीय अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ ऐसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एफ.ए.एस.आई.आई.), बैंगलूरु

श्री के. सोमाशेखर उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय समिति, अखिल भारतीय यूनाइटेड श्रमिक संघ सेंटर, (आयटक), कर्नाटक

श्री सुधाकर आर. अपराज महासचिव, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डाक एवं जनरल एम्प्लॉईज यूनियन, मुंबई

सुश्री स्मिता वैंगरकर टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइन्स, प्रौढ शिक्षा, मुंबई

डॉ. किरण लिम्बे श्रम सांख्यिकी एवं अनुसंधान के प्रोफेसर

श्री एस. के. रॉय उप निदेशक (शिक्षा) प्रभारी

श्री हर्ष वैद्य महानिदेशक, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.

पदेन सदस्य सचिव उप निदेशक (प्रशि.) प्रभारी, भा.श्र.शि.संस्थान, मुंबई

वर्ष 2020-21 के दौरान संस्थान ने केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों, राष्ट्रीय परिसंघों एवं प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ 27 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजित किया।

कार्यक्रमों की अवधि, प्रतिभागियों की संख्या, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वर्गीकरण, विषय आदि का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	विषय	अवधि	लिंगवार विवरण		कुल
				पुरुष	महिला	
	श्रमिक संघों के पदाधिकारियों / कार्यकर्ताओं / एसजीएफ / बोर्ड के अधिकारियों के लिए ऑफलाइन / ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम					
1.	सी.टी.यू.ओ. / सम्बद्ध संघ	नोवेल कोरोना वायरस (कोविड 19) से लड़ने के लिए श्रमिक संघों की पहल	30.07.2020 (एक दिवसीय)	18	06	24
2.	जीवन ज्योति महिला श्रमिक फरसाण निर्माता सहकारी संघ	स्वयं रोजगार एवं महिला सशक्तीकरण	13.08.2020 (एक दिवसीय)	03	17	20
3.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मजदूर संघ	बदलते परिवेश में श्रमिक संघ पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ	29.08.2020 (एक दिवसीय)	19	02	21
4.	समृद्धि फाउण्डेशन महिला स्वावलम्बन समूह	ई-विपणन मार्गदर्शन	23.09.2020 (एक दिवसीय)	00	21	21
5.	गुजरात श्रमजीवी महामंडल	श्रमिक संघ पदाधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ	24.09.2020 (एक दिवसीय)	17	03	20
6.	महाराष्ट्र भवन और सामान्य श्रमिक संघ	श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं की भूमिका और कार्य	13.10.2020 (एक दिवसीय)	17	03	20
7.	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के शि. अधि.(च.श्रे.) / शि.अधि. के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	वर्तमान कोविड-19 स्थिति में वर्चुवल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना	15.10.2020 & 16.10.2020 (दो दिवसीय)	12	02	14
8.	एटक (सेनेटरी समारोह)	श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियाँ	29.10.2020 (एक दिवसीय)	14	06	20
9.	असंगठित क्षेत्रीय कामगार संगठन	राष्ट्रीय संविधान दिवस – 26 नवम्बर	26.11.2020 (एक दिवसीय)	14	04	18
10.	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के शि. अधि.(च.श्रे.) / शि.अधि. के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	वर्तमान कोविड-19 स्थिति में वर्चुवल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना	02.12.2020 & 03.12.2020 (दो दिवसीय)	14	00	14
11.	तृतीय श्रेणी डाक कर्मचारी राष्ट्रीय एसोसिएशन, मुम्बई सर्कल (इंटक)	कोविड-19 महामारी में मन और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए श्रमिक संघ पदाधिकारियों की भूमिका और कार्य	26.12.2020 (एक दिवसीय)	21	01	22
12.	महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महासंघ (भा.म.सं.)	कोविड-19 महामारी में मन और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए सुरक्षा कर्मियों की भूमिका	30.12.2020 (एक दिवसीय)	24	00	24

		और कार्य				
13.	भारतीय राष्ट्रीय परिवहन श्रमिक फेडरेशन (इंटक)	कोविड-19 महामारी में परिवहन श्रमिकों के समक्ष चुनौतियाँ	13.01.2021 (एक दिवसीय)	15	00	15
14.	तृतीय श्रेणी डाक कर्मचारी राष्ट्रीय एसोसिएशन, मुम्बई सर्कल (इंटक)	कोविड-19 महामारी में मन और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए श्रमिक संघ पदाधिकारियों की भूमिका और कार्य	16.01.2021 (एक दिवसीय)	15	00	15
15.	भारतीय राष्ट्रीय भवन, वन एवं लकड़ी श्रमिक फेडरेशन (इंटक)	कोविड-19 महामारी में निर्माण श्रमिकों के समक्ष चुनौतियाँ	19.01.2021 (एक दिवसीय)	29	11	40
16.	भारतीय श्रम परिसंघ	कोविड-19 महामारी में श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियाँ	23.01.2021 (एक दिवसीय)	30	10	40
17.	गुजरात श्रमजीवी महामंडल	श्रमिक संघों में श्रम संहिता कोड और नेतृत्व विकास	27.01.2021 (एक दिवसीय)	15	00	15
18.	इंटक, गुजरात	कोविड-19 महामारी की स्थिति में श्रमिक संघों की भूमिका और कार्य	29.01.2021 (एक दिवसीय)	32	03	35
19.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डॉक एवं सामान्य कर्मचारी संघ, मुंबई (उनके परिसर में ऑफलाइन कार्यक्रम)	कोविड-19 महामारी में श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियाँ	03.02.2021 (एक दिवसीय)	33	01	34
20.	भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक फेडरेशन (इंटक)	कोविड-19 महामारी की स्थिति में माइन श्रमिकों के समक्ष चुनौतियाँ	09.02.2021 (एक दिवसीय)	24	00	24
21.	भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण, वन एवं लकड़ी श्रमिक फेडरेशन (इंटक)	श्रम संहिता	23.02.2021 (एक दिवसीय)	39	01	40
22.	ए.वाय.एम. सिटेक्स लि. पालघर के कर्मचारियों के लिए स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम	कर्मचारी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	24.02.2021 (एक दिवसीय)	18	01	19
23.	वसुधारा डेरी, बोईसर कर्मचारियों के लिए स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम,	कर्मचारी विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	26.02.2021 (एक दिवसीय)	17	02	19
24.	अखिल भारतीय निर्माण मजदूर महासंघ (भा.म.सं.)	कोविड-19 महामारी में निर्माण श्रमिकों के समक्ष चुनौतियाँ	19.03.2021 (एक दिवसीय)	15	02	17
25.	अखिल भारतीय निर्माण मजदूर महासंघ (भा.म.सं.)	कोविड-19 महामारी में निर्माण श्रमिकों के समक्ष चुनौतियाँ	25.03.2021 (एक दिवसीय)	14	06	20
26.	नवजीवन लोकविकास संस्था (एन.एस.डी.)	कोविड-19 महामारी की स्थिति में कुशल भारत की भूमिका और जिम्मेदारियाँ	26.03.2021 (एक दिवसीय)	12	13	25
27.	नौसेना कर्मचारी संघ	कोविड-19 महामारी में श्रमिक संघों के समक्ष चुनौतियाँ	30.03.2021 (एक दिवसीय)	27	00	27
कुल कार्यक्रम : 27				508	115	623

संगठनवार

क्र.सं.	संघ का नाम	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या का नाम
1.	सी.टी.यू.ओ./ सम्बद्ध संघ	1
2.	जीवन ज्योति महिला श्रमिक फरसाण निर्माता सहकारी संघ	1
3.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मजदूर संघ (उनके परिसर में 01 ऑनलाइन और 01 ऑफलाइन)	2
4.	समृद्धि फाउण्डेशन महिला स्वावलम्बन समूह	1
5.	गुजरात श्रमजीवी महामंडल	2
6.	महाराष्ट्र भवन और सामान्य श्रमिक संघ	1
7.	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. पश्चिम एवं मध्य अंचल के के शि.अधि.(च.श्रे.)/शि.अधि. के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1
8.	एटक (सेनेटरी समारोह)	1
9.	असंगठित काश्तकारी कामगार संघटन	1
10.	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के उत्तर अंचल के शि.अधि.(च.श्रे.)/शि.अधि. के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1
11.	तृतीय श्रेणी डाक कर्मचारी राष्ट्रीय एसोसिएशन(इंटक), क्लास -III, मुंबई सर्कल (इंटक)	1
12.	महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महासंघ (भा.म.सं.)	1
13.	भारतीय राष्ट्रीय परिवहन श्रमिक फेडरेशन (इंटक)	1
14.	पोस्टल कर्मचारियों का राष्ट्रीय एसोसिएशन, क्लास -III, मुंबई सर्कल (इंटक)	1
15.	भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण, वन एवं लकड़ी श्रमिक फेडरेशन (इंटक)	2
16.	भारतीय श्रम परिसंघ	1
17.	इंटक, गुजरात	1
18.	भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक परिसंघ (इंटक)	1
19.	ए.वाई.एम. सिंटेक्स लि., पालघर के कर्मचारियों के लिए स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम	1
20.	वसुधारा डेरी, बोईसर कर्मचारियों के लिए स्व.को.नि. कार्यक्रम	1
21.	अखिल भारतीय निर्माण मजदूर महासंघ (भा.म.सं.)	2
22.	नवजीवन लोकविकास संस्था (एन.एस.डी.)	1
23.	नौसेना कर्मचारी संघ	1
कुल कार्यक्रम		27

क्र. सं.	संगठन का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	लिंगवार विवरण		
			पुरुष	महिला	कुल
1.	सी.टी.यू.ओ./ सम्बद्ध संघ	1	18	06	24
2.	जीवन ज्योति महिला श्रमिक फरसाण निर्माता सहकारी संघ	1	03	17	20
3.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट मजदूर संघ (उनके परिसर में 01 ऑनलाइन और 01 ऑफलाइन)	2	52	03	55
4.	समृद्धि फाउण्डेशन महिला स्वावलम्बन समूह	1	00	21	21
5.	गुजरात श्रमजीवी महामंडल	2	17	03	20
6.	महाराष्ट्र भवन और सामान्य श्रमिक संघ	1	17	03	20
7.	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के पश्चिम एवं मध्य अंचल के शि.अधि.(च.श्रे.)/शिक्षा अधि. के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	12	02	14
8.	एटक (सेनेटरी समारोह)	1	14	06	20
9.	असंगठित काश्तकारी कामगार संघटन	1	14	04	18
10.	द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के शि.अधि.(च.श्रे.)/शिक्षा अधि. के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	1	14	00	14
11.	तृतीय श्रेणी डाक कर्मचारी राष्ट्रीय एसोसिएशन(इंटक), क्लास -III, मुंबई सर्कल (इंटक)	1	21	01	22
12.	महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक महासंघ (भा.म.सं.)	1	24	00	24
13.	भारतीय राष्ट्रीय परिवहन श्रमिक फेडरेशन (इंटक)	1	15	00	15
14.	तृतीय श्रेणी डाक कर्मचारी राष्ट्रीय एसोसिएशन(इंटक), क्लास -III, महाराष्ट्र सर्कल (इंटक)	1	15	00	15
15.	भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण, वन एवं लकड़ी श्रमिक फेडरेशन (इंटक)	2	68	12	80
16.	भारतीय श्रम परिसंघ	1	30	10	40
17.	इंटक, गुजरात	1	15	00	15
18.	भारतीय राष्ट्रीय खान श्रमिक फेडरेशन (इंटक)	1	24	00	24
19.	ए.वाई.एम. सिंटेक्स लि., पालघर के कर्मचारियों के लिए स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम	1	18	01	19
20.	वसुधारा डेरी, बोईसर के कर्मचारियों के लिए स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम	1	17	02	19
21.	अखिल भारतीय निर्माण मजदूर महासंघ (भा.म.सं.)	2	29	08	37
22.	नवजीवन लोकविकास संस्था (एन.एस.डी.)	1	12	13	25
23.	नौसेना कर्मचारी संघ	1	27	00	27
कुल		27	508	115	623

संघ की स्थितिनुसार विवरण

क्र.सं.	पदनाम	पुरुष	महिला	कुल
1	अध्यक्ष	20	03	23
2	उपाध्यक्ष	25	04	29
3	कार्यकारी अध्यक्ष	01	00	01
4	आयोजन अध्यक्ष	01	00	01
5	महासचिव	14	01	15
6	उप महासचिव	01	00	01
7	सचिव	14	06	20
8	महा सचिव	01	01	02
9	आयोजन सचिव	05	00	05
10	सहायक सचिव	00	02	02
11	समन्वयक	01	00	01
12	कोषाध्यक्ष	18	02	20
13	कार्यकारी समिति सदस्य	21	10	31
14	पदाधिकारी / सदस्य	360	84	444
15	शिक्षा अधिकारी (चश्रे) / शिक्षा अधिकारी	26	02	28
	कुल	508	115	623

राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुरुष	महिला	कुल
1	महाराष्ट्र	273	84	357
2	गुजरात	79	06	85
3	छत्तीसगढ़	14	02	16
4	उड़ीसा	08	02	10
5	मध्य प्रदेश	20	06	26
6	दिल्ली	27	03	30
7	तमिलनाडु	10	03	13
8	हरियाणा	06	04	10
9	बिहार	13	00	13

क्र.सं.	राज्य का नाम	पुरुष	महिला	कुल
10	राजस्थान	13	03	16
11	पश्चिम बंगाल	07	00	07
12	गोवा	03	02	05
13	झारखण्ड	04	00	04
14	उत्तराखण्ड	10	00	10
15	तेलंगाना	01	00	01
16	महाराष्ट्र	02	00	02
17	आंध्र प्रदेश	10	00	10
18	पंजाब	01	00	01
19	आसाम	01	00	01
20	हिमाचल प्रदेश	04	00	04
21	चण्डीगढ़	01	00	01
22	जम्मू एवं कश्मीर	01	00	01
	कुल	508	115	623

श्रेणीनुसार विवरण

क्र.सं.	श्रेणी	पुरुष	महिला	कुल
1	अनु.जाति	80	22	102
2	अनु.ज.जाति	30	13	43
3	अन्य	398	80	478
	कुल	508	115	623

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, पुस्तकालय की सांख्यिकी रुपरेखा :

वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी प्रकोप के कारण दुनिया भर के पुस्तकालय सार्वजनिक उपयोग के लिए बंद रहे। कोविड-19 के साथ-साथ एस.एस. भवन की खराब स्थिति के कारण उपयोगकर्ताओं के लिए भा.श्र.शि.सं. की पुस्तकालय सेवाएं भी प्रभावित हुईं। भा.श्र.शि.सं., एस.एस. भवन शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सका। इस स्थिति में पुस्तकालय की वास्तविक उपयोगिता प्रभावित हुई।

जून, 2020 के बाद भा.श्र.शि.सं. ने ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दिया। पुस्तकालय के कर्मचारी इन कार्यक्रमों से जुड़ी कई गतिविधियों में लगे रहे, जैसे-संपर्क कार्य, कार्यक्रमों के विषयों से संबंधित संदर्भ खोज, अध्ययन सामग्री तैयार करना, कार्यक्रमों के ऑनलाइन संचालन में उप निदेशक (प्रशिक्षण) प्रभारी को सहायता प्रदान करना, अध्ययन सामग्री को अपलोड करना, ई-बुक तैयार करना आदि।

पुस्तकालय ने श्रम संहिता सहित समसामयिक विषयों पर 'फैक्ट्स फॉर यू' और 'मंथन' के प्रकाशन की अपनी

सेवाएं जारी रखीं। इसने पूरे भारत के उपयोगकर्ताओं के लिए बहुसंख्यक एस.डी.आई. सेवाएं प्रदान कीं। पुस्तकालयीन सेवाओं में ऑनलाइन प्रशिक्षण गतिविधियों एवं सम्बद्ध कार्य भा.श्र.शि.सं. से सम्बंधित थे। यह पुस्तकालय के नियमित कार्य के अतिरिक्त था। प्रारंभ में जून, 2020 तक लॉकडाउन के कारण बहुत कम गतिविधियाँ हुईं।

क्र.सं	पुस्तकालय गतिविधि	अप्रैल, 2020—मार्च, 2021
1.	पुस्तकालय प्रयोगकर्ताओं की संख्या	375
2.	जारी दस्तावेज एवं संदर्भित पुस्तकें	199
3.	सूचना का विशिष्ट प्रचार (एस.डी.आई.) प्रयोगकर्ताओं के लिए सेवा	15 प्रयोगकर्ता (63 विषयों पर)
4.	फोटो गैलरी आगंतुक	असुरक्षित भवन की स्थिति में अस्थायी रूप से प्रतिबंधित
5.	पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या	14883
6.	पुस्तकालय में सम्मिलित की गई पुस्तकों की संख्या	02
7.	सूचना का विशिष्ट प्रचार (एस.डी.आई.) सेवा के दौरान पुस्तकालय आबंटित विषय/समूह चर्चा	असुरक्षित भवन की स्थिति के कारण शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिबंधित थे और कोविड में कोई कार्य आयोजित नहीं किया गया था।
8.	अध्ययन सामग्री संदर्भ विषय	54 (14 प्रशिक्षण कार्यक्रम)
9.	प्रकाशन — आपके तथ्य (मासिक)	12 (मुद्दे)
10.	प्रकाशन — मंथन (हिन्दी मासिक)	04
11.	प्रकाशन — फोकस (विशेष अंक)	18
12.	चालू जागरूकता सेवाएं (सी.ए.एस.)	38
13.	पी.एच.डी. थेसिस की कुल संख्या	38

दृश्य श्रव्य साधन :

वर्ष 2020—21 के दौरान भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान का दृश्य एवं श्रव्य अनुभाग निम्नलिखित कार्य किया:

क्र.सं	दृश्य—श्रव्य साधन	संख्या
1.	लैपटॉप	24

कुल 27 कार्यक्रमों में से भा.श्र.शि.सं. में आयोजित 24 ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए लैपटॉप का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। 01 कार्यक्रम संबंधित संगठन के परिसर में ऑफलाइन आयोजित किया गया और 02 स्व.को.नि. कार्यक्रम संबंधित कम्पनियों के परिसर में ऑफलाइन आयोजित किए गए।

फोटो गैलरी :

श्रमिक शिक्षा भवन की वर्ष 2020—21 के दौरान दर्शकों को फोटो गैलरी में जाने के लिए अस्थाई रूप से प्रतिबंधित किया गया था।

श्रमिक शिक्षा सेवा :

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, मुंबई से मुख्यालय, नागपुर में अनुसंधान अधिकारी का पद स्थानान्तरित कर दिया गया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का विश्लेषण एवं प्रभाव :

वर्ष 2020-21 के दौरान संस्थान ने 27 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया और 623 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। जिनमें से 115 महिला एवं 508 पुरुष थे।

27 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम भा.श्र.शि.सं. परिसर में केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित किया गया।

1. 27 कार्यक्रमों में से केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठन के कार्यकर्ताओं के लिए 01 प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑफलाइन आयोजित किया गया।
2. बोर्ड के शिक्षा अधिकारी (च श्रे)/शिक्षा अधिकारियों के लिए 02 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए गए।
3. स्व.को.नि. कार्यक्रम (एक दिवसीय) आयोजित किए गए और 24,000६ रुपये बोर्ड के खाते में जमा किए गए।

सभी विषय पर आधारित कार्यक्रमों की प्रतिभागियों ने बहुत सराहना की।

वर्ष के दौरान ऑनलाइन/वर्चुवल गतिविधियों के माध्यम से भा.श्र.शि.सं. ने भारत के लगभग तीन चौथाई यानी 21 राज्यों और 01 केन्द्र शासित प्रदेश में प्रशिक्षण प्रदान किया है।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र पर बल :

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के संबंधित क्षेत्रीय निदेशालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

प्रबंध समिति की बैठक एवं बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णय :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भा.श्र.शि.सं. की प्रबंध समिति की बैठक आयोजित नहीं हुई।

प्रमुख विषेशताएँ :

- भा.श्र.शि.सं. ने इस वर्ष पहली बार केन्द्रीय श्रमिक संघ संगठनों (सीटीयूओ) के लिए 24 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और कुल मिलाकर 623 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।
- स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम (एक दिवसीय) आयोजित किया गया तथा बोर्ड के खाते में रुपये 24,000/- जमा किया गया था।
- वर्ष के दौरान भा.श्र.शि.सं. के अस्थायी ढांचे के निर्माण का प्रस्ताव प्रक्रिया में था, तदनुसार भा.श्र.शि.सं. की स्टेटस रिपोर्ट, भूमि और प्रशिक्षण गतिविधियों का विवरण श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया था।
- 'भा.श्र.शि.सं. स्थापना अर्थात् 1970 से अब तक की प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गतिविधियों का संकलन।
- इस शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अक्टूबर, 2020 में एटक के लिए विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।
- अनुभवी हिन्द मजदूर सभा के नेताओं की पुरानी तस्वीरों की प्रतियाँ हिन्द मजदूर सभा, नई दिल्ली को

फोटो गैलरी स्थापित करने के लिए प्रदान की गई।

- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एवं केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड (द.प.टें.रा.श्र.शि.वि.बो.) द्वारा श्रमिक शिक्षा को योगदान विषय पर अहमदाबाद में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन परिसंवाद में उप निदेशक (शिक्षा) प्रभारी को संदर्भित सेवा का प्रस्ताव किया गया।
- भा.श्र.शि.सं. ने पुस्तकालय द्वारा आयोजित सभी 27 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अध्ययन सामग्री और संबद्ध कार्य तैयार करने के लिए पुस्तकालय की सेवा ली गई।
- वर्ष के दौरान भा.श्र.शि.सं. ने प्रशिक्षण ले रहे प्रतिभागियों को विभिन्न अध्ययन सामग्रियाँ ई-पुस्तक के माध्यम से परिचालित की।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा की गई।
- भा.श्र.शि.सं. के ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित प्रतिष्ठित व्यक्तियों/ विशिष्ट व्यक्तियों ने सराहना की –
 - श्री हिरन्मय पण्ड्या, माननीय अध्यक्ष, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो.
 - डॉ. रामा चन्द्रा खुंटिया, पूर्व सांसद
 - श्री राजीव जलौटा, भा.प्र.से., अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
 - श्री सुधाकर अपराज, शासी निकाय सदस्य, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो.
 - सुश्री विजया लक्ष्मी, भूतपूर्व शासी निकाय सदस्य, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो.
 - श्री एस. क्यू. झामा, भूतपूर्व विधायक
 - सुश्री प्रेरणा प्रसाद, दक्षिण एशिया कार्यक्रम अधिकारी, दक्षिण एशिया बिल्डिंग एवं अंतर्राष्ट्रीय लकड़ी श्रमिक ।

संकाय :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान में 01 प्रशिक्षण अधिकारी और 01 पुस्तकालयाध्यक्ष ने संबंधित क्षेत्रों से विशेषज्ञ सेवाओं सहित समन्वय रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया।

अध्याय—3

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्र. सं.	पाठ्यक्रम शीर्षक	लक्ष्य समूह	विषय की रूपरेखा	अपेक्षित परिणाम
क.	संगठित क्षेत्र			
1.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (10 दिवसीय)	औद्योगिक, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, श्रम संघ/ उद्योग इ. से आए हुए श्रमिक जिन्हें औद्योगिक प्रबंधन से मुक्त किया गया है।	1. द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. का लक्ष्य एवं उद्देश्य है कि प्रशिक्षण प्रस्तुतीकरण कौशल विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करना तथा ज्ञानवर्धक आवश्यक अध्ययन सामग्री का प्रावधान करना। 2. सकारात्मक व्यवहार, स्वयं-विकास तथा नेतृत्व गुण विकसित करना। 3. औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान विकासात्मक पहलूओं के बारे में प्रतिभागियों में जागरूकता का निर्माण करना। 4. व्यक्ति में व्यक्तिगत सामाजिक/ मनोवैज्ञानिक/ व्यवहारात्मक इ. सभी पहलूओं से संबंधित विकास करना। 5. श्रमिकों में जिम्मेदारी तथा उनके कर्तव्य के प्रति साथ ही क्षमता का निर्माण करना।	पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि, संगठनों में गृह-प्रशिक्षकों को विकसित करना ताकि वे अपने सह-श्रमिकों को प्रशिक्षण दे सकें। श्रमिकों के प्रशिक्षण तथा शैक्षिक कौशल को विकसित करने पर ज्यादा बल दिया गया। पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को समर्थ करने हेतु उनके इकाइयों में इकाई स्तर की कक्षाओं का प्रभावी रूप से आयोजन।
2.	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम/क्षमता निर्माण कार्यक्रम (05 दिवसीय)	औद्योगिक, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र इ. उद्योग/श्रम संघ से आए हुए श्रमिक जिन्हें औद्योगिक प्रबंधन से मुक्त किया गया।	1. प्रतिभागियों में नेतृत्व कौशल तथा समग्र व्यक्तित्व विकास करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। 2. सकारात्मक व्यवहार, स्व-विकास एवं नेतृत्व विकास करने पर ध्यान दिया गया। 3. औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में वर्तमान विकासात्मक पहलूओं के बारे में प्रतिभागियों में जागरूकता का निर्माण करना। 4. व्यक्ति में व्यक्तिगत सामाजिक/ मनोवैज्ञानिक/ व्यवहारात्मक इ. सभी पहलुओं से संबंधित विकास करना। 5. श्रमिकों में जिम्मेदारी तथा उनके कर्तव्य के प्रति साथ ही क्षमता का निर्माण करना।	समग्र कर्मचारियों के सम्मिलित होने से तथा सहायक वातावरण होने से उत्पाद तथा सेवा में उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार होता है।

3.	श्रमिक प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (1 सप्ताह)	केवल ऐसे प्रशिक्षकों के लिए जो अपने इकाई में विगत 3 वर्ष पहले कम से कम 01 इकाई स्तर की कक्षाओं का आयोजन किया हो।	नवीन जानकारी एवं नई प्रशिक्षण तकनीक के साथ श्रमिक प्रशिक्षकों को सज्जित एवं तैयार करना।	इसे निरंतर प्रशिक्षण के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रमिकों की संख्या बड़ी मात्रा में होने से इसे सहज से पाना मुश्किल है।
4.	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1/2/3 दिवसीय)	बोर्ड की सेवाएं कोई भी उद्योग/संगठन/एजेंसी शुल्क के भुगतान पर लेना चाहता है।	द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. ने 1/2/3 दिवसीय अवधि के विशेष कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं जिसका शुल्क नाममात्र है। प्रबंधन व्यवहार, आदतें, सोच-विचार, अपेक्षाएँ तथा मूल्यों इ. के लिए प्रबंधकीय उत्कृष्टता की आवश्यकता है।	हमारी सोसायटी अगले दो दशकों में ज्ञान, सोसायटी, सामाजिक, मानवतावादी की तरफ उभरती नजर आ रही है। द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. ने 1/2/3 दिवसीय अवधि के विशेष कार्यक्रमों को प्रारंभ किया है, जिसका शुल्क नाममात्र है बल्कि द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. के अन्य सभी कार्यक्रमों के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है, अन्य सभी कार्यक्रम निःशुल्क है।
5.	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)/ आवश्यकता पर आधारित विशेष पाठ्यक्रम (अंशकालीन- एक सप्ताह)	बोर्ड की सेवा को कोई भी उद्योग/संगठन/एजेंसी, उनकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करता है।	प्रबंधनों/श्रम संघों इ. की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड ने श्रमिक संघों/प्रबंधनों इ. के महत्वपूर्ण विषयों पर गहन एवं अद्यतन ज्ञान प्रदान करने हेतु दो दिवसीय आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद का आयोजन किया गया है।	प्रबंधन/श्रम संघों के द्वारा की गई आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण प्रदान करना ही कार्यक्रम का उद्देश्य था। जिससे श्रमिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन में वे अपनी प्रभावी एवं सकारात्मक भूमिका निभा सकें। सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन से उत्पादकता में सुधार तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में श्रमिक समर्थ रूप से निर्णय ले सकेंगे।
6.	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1/2/3- दिवसीय)	कोई भी इच्छुक प्रबंधन और श्रम संघ बोर्ड की सेवाओं का लाभ पा सकते हैं।	प्रतिभागात्मक संस्कृति तथा सहायक कार्य-वातावरण प्रदान करना। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि श्रमिक एवं प्रबंधन, दोनों में भी एक-दूसरे की भावना का सम्मान करना चाहिए और उन्हें, यह समझना चाहिए कि वे दोनों भी एक ही रथ के दो पहिये हैं। यदि उनके विचार एवं कार्य समकालिक हैं (संगठन का विकास एवं वृद्धि) तो प्रगति होना चाहिए। एक की वृद्धि दूसरे की वृद्धि पर निर्भर है।	कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि श्रमिकों ने अपने कार्य एवं जिम्मेदारी को अपने कार्य एवं संगठन के प्रति जागरूक रहना चाहिए और प्रबंधन को श्रमिक के अधिकारों के प्रति प्रबंधन को मनवाना चाहिए। जिससे सहायक वातावरण होगा। समग्र कर्मचारियों के शामिल होने से तथा सहायक वातावरण होने से उत्पाद तथा सेवा में उत्पादकता तथा गुणवत्ता में सुधार होता

				है।
7.	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (3 दिवसीय)		कार्यक्षेत्र, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की पद्धति और कार्य, प्रतिभागात्मक प्रबंधन को सशक्त करना, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, कार्य संस्कृति इ. विषयों को इन कार्यक्रमों में पढ़ाया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के औद्योगिक संबंध प्रभाग से इन कार्यक्रमों के लिए अलग से निधि आना है।	इन कार्यक्रमों को आयोजित करने से प्रबंधन और श्रमिकों में अच्छा वातावरण निर्मित होता है तथा एक-दूसरे से परिचित होते हैं ताकि संगठन का विकास हो सकें।
8.	अंशकालीन इकाई स्तर की कक्षाएँ/पूर्णकालीन इकाई स्तर की कक्षाएँ	तीन स्तर प्रणाली के अंतर्गत: शिक्षा अधिकारियों का चयन करके तथा उन्हें 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें नियुक्त किया जाता है। उनके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के तत्पश्चात वे श्रमिक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ पर दूसरा स्तर पूरा होता है। इकाई स्तर की कक्षाएँ, तिसरा स्तर है जहाँ पर प्रशिक्षित श्रमिक, प्रशिक्षक, संगठन के सह-श्रमिकों को शिक्षा प्रदान करते हैं।	द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. द्वारा तीन स्तरों पर प्रशिक्षण प्रणाली है। जिससे श्रमिक शिक्षा सभी श्रमिकों को प्राप्त हो सकें। परंतु बदलते युग की वजह से यह अनिवार्य है। आजकल प्रत्येक श्रमिक को इस बदलते परिवर्तन की आवश्यकता है। इसे केवल निरंतर प्रशिक्षण के जरिए ही प्राप्त किया जा सकता है। बड़ी मात्रा में श्रमिकों की संख्या होने से इसे सहजता से प्राप्त नहीं किया जा सकता है।	श्रमिक प्रशिक्षण द्वारा पूर्णकालिक आधार पर या अंशकालिक आधार पर संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार, प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अंशकालिक कार्यक्रम में कक्षाओं की अवधि 45 दिवसीय है जिसे अपने-अपने संगठन में कक्षाएँ ली जाती हैं। इन कक्षाओं को प्रतिदिन 01 घंटा चलाया जाता है। उस इकाई स्तर की कक्षाओं को द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. के संबंधित क्षेत्रीय निदेशालयों के शिक्षा अधिकारियों के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के अंतर्गत चलाया जाता है। शिक्षा अधिकारी इन कक्षाओं की आवश्यकतानुसार जब चाहे निरीक्षण करते हैं और श्रमिक प्रशिक्षकों को सहायता करते हैं और गतिविधियों पर ध्यान भी देते हैं।
9.	संयंत्र स्तर पर प्रशिक्षित श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (एक दिवसीय)	कोई भी उद्योग/संगठन जहाँ पर श्रमिक प्रशिक्षक है।	लक्ष्य समूह और निर्धारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार/प्रबंधन द्वारा आवश्यकतानुसार, बोर्ड द्वारा 1-दिवसीय संयंत्र स्तर पर परिसंवाद का आयोजन, श्रमिकों/मध्यम वर्ग के प्रबंधकों/श्रम संघ कार्यकर्ता इ. के लिए किया जाना है। प्रबंधन के साथ परिचर्चा के बाद ही कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। संगठन की एकल आवश्यकता-नुसार विषय, समूह परिचर्चा/वाद-विवाद, अभ्यास इ. यह	बदलते सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में श्रमिकों की अपनी प्रभावी एवं सकारात्मक भूमिका निभाने में सहज है। इस कार्यक्रम से उत्पादकता में वृद्धि और श्रमिकों की अपनी निर्णय क्षमता प्रभावी रूप से रखने में सहायक है।

			एकल कार्यक्रम है।	
10.	एफ.ए.एल.सी. खनन बगान अन्य	कोई भी उद्योग/ संगठन जहाँ पर श्रमिक प्रशिक्षक है।	लक्ष्य समूह और निर्धारित पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार। प्रबंधन और श्रम संघों की सुविधानुसार।	
11.	श्रमिकों एवं उनके जीवनसाथियों के लिए जीवन की गुणवत्ता पर विशेष कार्यक्रम (2/4 दिवसीय संगठित क्षेत्र)	यह कार्यक्रम केवल दम्पतियों के लिए है अर्थात् पति-पत्नी दम्पति इस कार्यक्रम में शुरु से लेकर अंतिम तक उपस्थित रहते हैं।	प्रतिभागियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र के श्रमिकों को उनके अपने कार्यक्षेत्र में समस्याएँ होती हैं और साथ ही उनके घरों में भी समस्याएँ निर्माण होती हैं। इन सभी घटकों को केश्रिशिबो ने ध्यान में लेकर ही एक अनुपम कार्यक्रम इनके लिए तैयार किया है अर्थात् जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम। संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों ने अपना ध्यान जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम की तरफ केन्द्रित नहीं किया है। शायद इसका कारण न्यूनतम शिक्षा, न्यूनतम कमाई, अनावश्यक खर्च, सामाजिक बुराईयाँ इ. है।	पत्नी को परिवार के प्रति अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के लिए संवेदनशील बनाना। परिवार में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनना। उनके द्वारा परिवार में माता, बहू साथ ही पत्नी की भूमिका निभाने हेतु उन्हें समझाना। पति की परिवार के प्रति आजिविका संभालने की भूमिका तथा पति के कर्तव्य और जिम्मेदारी निभाने हेतु उन्हें संवेदनशील बनाना। उनके द्वारा पिता, दामाद तथा एक पति की भूमिका निभाने हेतु उन्हें समझाना। उनमें बेहतर समझदारी होनी चाहिए ताकि एक सुखी परिवार का जीवन बीता सकें।
ख.	असंगठित क्षेत्र			
1.	असंगठित/दुर्बल वर्ग के श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण कार्यक्रम	हथकरघा, बिजली करघा, खादी तथा ग्रामीण उद्योग, लघु उद्योग, औद्योगिक संपदा, हस्तशिल्प, रेशम उद्योग, नारियल जटा उद्योग, बीड़ी उद्योग, नमक श्रमिक, स्वास्थ्य श्रमिक(नर्सस,मेट्रन इ.) रैग पिकर्स	खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रभाव बनाए रखने हेतु डीटीएनबीडब्ल्यूईडी ने वर्ष 2003 से चार दिवसीय सशक्तीकरण शिविर का आयोजन ग्रामीण श्रमिकों हेतु कार्यान्वित किया गया। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में अपनी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के बारे में जागरूक होकर वे अपने स्वयं के संगठन को विकसित करें। यह आवासिय कार्यक्रम है, जिसमें कार्यक्रम की अवधि समाप्त होने तक प्रतिभागी ठहर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि श्रमिकों के आचरण तथा मनस्थिति में परिवर्तन आए ताकि उनका समग्र विकास हो सकें।	इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उनके हक एवं अधिकारों के प्रति जागरूक करना। विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा उपायों के बारे में उन्हें जागरूक करना। श्रमिकों को संगठित होने की आवश्यकता है, उन्हें सहायता करना। श्रमिकों को अपना हित स्वीकारना और उनका अहित अस्वीकार करने हेतु उनमें जागरूकता का निर्माण करना। साथ ही सकारात्मकता का स्वीकारना चाहिए।

2.	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (4/2 दिवसीय)	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक एवं उनके जीवनसाथी	1. द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. के उद्देश्य एवं कार्यक्रम	1. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक अपने सामाजिक-आर्थिक वातावरण की समस्याओं और श्रमिकों, ग्राम समाज के सदस्यों तथा नागरिकों के रूप में अपने हक एवं दायित्वों के प्रति गंभीर जागरूकता हासिल करेंगे।
3.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कौशल विकास हेतु राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	2. स्वतन्त्रता आंदोलन	2. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए जानकारी हासिल करेंगे।
4.	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम(10 दिवसीय)	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	3. हमारी सांस्कृतिक विरासत	3. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी वैयक्तिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा स्वयं करेंगे।
5.	पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	पत्थर तोड़ने वाले श्रमिक	4. जमीन एवं लोग	4. उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के जरिए अपने निजी संगठनों का विकास करेंगे और ग्रामीण समाज का लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ढाँचा को भी सशक्त बनाएंगे।
6.	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	असंगठित क्षेत्र के श्रमिक	5. ग्रामीण श्रमिक संघटन की आवश्यकता एवं महत्व	5. केन्द्र सरकार एवं
7.	महिला श्रमिकों के लिए कार्यक्रम	असंगठित महिला श्रमिक	6. श्रमिक संघ क्या है- इसे संगठित कैसे करें?	
8.	बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम	बाल श्रमिकों के अभिभावकों	7. श्रमिक संघों के कार्य	
9.	बाल श्रमिकों के लिए कार्यक्रम	बाल श्रमिक	8. कुटीर उद्योगों का अर्थशास्त्र - इसके विकास में श्रमिकों की भूमिका	
10.	अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	अ.जा./अ.ज.जा. के श्रमिक	9. नियोक्ता - कर्मचारी संबंध एवं इसका महत्व	
11.	अ.जा. के श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (एससीएसपी)(2 दिवसीय)	अ.जा. के श्रमिक	10. उद्योग के लिए लागू श्रम कानून	
12.	जनजातिय श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय) (टीएसपी)	जनजातिय श्रमिक	11. सामाजिक सुरक्षा	
13.	श्रम कल्याण एवं विकास पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	1. नमक श्रमिक, 2. सिनेमा श्रमिक, 3. खदान श्रमिक,	12. राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.)	
			13. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.)	
			14. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	
			15. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना	
			16. अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.)	
			17. प्रधानमंत्री जनधन योजना	
			18. प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना	
			19. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	
			20. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)	
			21. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	
			22. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम	

		4. पत्थर खदान श्रमिक	ज्योति योजना	संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पंजीयन कराने के लिए वे स्वयं को प्रेरित करेंगे।
14.	पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	पंचायती राज कार्यकर्ता	23. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	
15.	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए पंचायती राज कार्यक्रम (3 दिवसीय)	पंचायती राज कार्यकर्ता	24. गृह बजट कैसे तैयार करें।	6. आशा की जाती है कि वे
16.	निर्माण श्रमिकों के लिए कार्यक्रम (2 दिवसीय)	निर्माण श्रमिक	25. परिवार कल्याण योजना, जनसंख्या, शिक्षा एवं परिवार स्वास्थ्य	क. छोटा परिवार मानक अपनाएंगे।
			26. मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य	ख. कोविड-19 के सुधारात्मक उपायों का अनुसरण करेंगे।
			27. आर्थिक विकास में कुटीर उद्योग की भूमिका	ग. स्वयं को एच.आई.वी./टी.बी.(तपेदिक) से बचाएंगे।
			28. कुटीर उद्योगों में उत्पादकता का महत्व	घ. शराब पीना, जुआ खेलना, ड्रग लेना, नाजायज खर्च आदि न करने जैसे विभिन्न सामाजिक बुराईयाँ छोड़ देंगे।
			— गुणवत्ता संचेतना	ड. श्रमिकों से आशा की जाती है कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का अनुसरण करेंगे और स्वयं को विभिन्न स्वास्थ्यपरक जोखित से बचाएंगे।
			— उपभोक्ता जागरूकता	
			29. राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द	
			30. प्रौद्योगिकीय परिवर्तन का प्रभाव	
			31. सामाजिक बुराईयाँ — शराब पीना, जुआ खेलना, ड्रग लेना, नाजायज खर्च आदि से बचना।	
			32. बचत का महत्व — जीवन की गुणवत्ता	
			33. पोस्ट ऑफिस/बैंक की वेतन पर्ची/वेतन निकासी पर्ची आदि भरना एवं रेलवे आरक्षण फार्म, धनादेश फार्म इ. भरना	
			34. मानव अधिकार— बाल श्रमिकों का मानव अधिकार	
			35. महिला सशक्तीकरण	
			36. बाल श्रमिकों की समस्याएं — कार्यक्रम एवं नीतियाँ	
			37. बाल श्रम उन्मूलन में सरकार, नियोक्ताओं, श्रमिक संघों एवं अन्य एजेंसियों की भूमिका	
			38. ठेका श्रमिकों का उन्मूलन	
			39. महिला-पुरुष विभेद एवं महिला-पुरुष बजट	
			40. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, कोविड-19, एचआईवी/एड्स, (टी.बी.) तपेदिक जागरूकता	
ग.	ग्रामीण क्षेत्र			
17.	ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम	भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक और	1. द.ठे.रा.श.वि.बो. की ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम के	1. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक अपने

18.	ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)	सीमांत कृषक, मत्स्य श्रमिक, ग्रामीण कारीगर, वन श्रमिक, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगार, जनजातीय श्रमिक, वृक्षारोपण श्रमिक मनरेगा श्रमिक	उद्देश्य 2. स्वतन्त्रता संघर्ष 3. हमारी सांस्कृतिक विरासत 4. जमीन एवं लोग 5. ग्रामीण श्रमिक संगठन की आवश्यकता, महत्व एवं उद्देश्य 6. ग्रामीण श्रमिकों को संगठित करने में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका 7. ग्रामीण श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों/ सदस्यों के उत्तरदायित्व 8. राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं अन्य एजेन्सियों के कल्याणकारी कार्यक्रम: क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना ग) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना घ) प्रधानमंत्री जीवनज्योति बीमा योजना ड) बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ योजना च) अटल पेंशन योजना (एपीवाई) छ) प्रधानमंत्री जनधन योजना ज) प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना झ) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) च) परम्परागत कृषि विकास योजना ट) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई ठ) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ड) जवाहर समृद्धि योजना ढ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना ण) ग्रामीण जनसंख्या संबंधी बीमा योजना त) वृद्धा पेंशन योजना थ) ग्राम सर्वोदय योजना एवं ग्रामीण श्रमिकों से संबंधित अन्य संगत योजनाएं द) प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 9. कल्याणकारी कानून: — कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी — बंधुआ श्रमिकों का उन्मूलन	सामाजिक-आर्थिक वातावरण की समस्याओं और श्रमिकों, ग्राम समाज के सदस्यों तथा नागरिकों के रूप में अपने हक एवं दायित्वों के प्रति गंभीर जागरूकता हासिल करेंगे। 2. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिक अपना आत्मविश्वास बढ़ाने और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए जानकारी हासिल करेंगे। 3. असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों से उम्मीद की जाती है कि वे अपनी वैयक्तिक एवं सामाजिक हितों की रक्षा करेंगे। 4. उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सामाजिक-आर्थिक कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के जरिए अपने निजी संगठनों का विकास करेंगे और ग्रामीण समाज का लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी ढाँचा को सशक्त बनाएंगे। 5. वे स्वयं को केन्द्र सरकार एवं संबंधित राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पंजीयन कराने के लिए प्रेरित होंगे। 6. आशा की जाती है कि वे क. छोटा परिवार मानक अपनाएंगे। ख. कोविड-19 के सुधारात्मक उपायों का अनुसरण करेंगे। ग. स्वयं को एच.आई.वी./टी.बी. (तपेदिक) से बचाएंगे। घ. शराब पीना, जुआ खेलना, ड्रग लेना, नाजायज खर्च आदि न करने जैसे विभिन्न सामाजिक बुराइयों छोड़ देंगे। ड. श्रमिकों से आशा की
19.	ग्रामीण श्रमिकों के लिए पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम (1 दिवसीय)			
20.	मनरेगा के गाँव स्तरीय कार्यक्रम			
21.	मनरेगा के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम			
22.	सहायता अनुदान कार्यक्रम	श्रमिक संघ के कार्यकर्ता		
23.	आत्मनिर्भरता शिविर (4 दिवसीय)			
उत्तर-पूर्व विंश कार्यक्रम				
24.	पंचायतीराज कार्यक्रम (3 दिवसीय)	विशेष रूप से उत्तर-पूर्व के कार्यकर्ता		
25.	राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)			
26.	वैयक्तिक विकास पर विशेष कार्यक्रम (5 दिवसीय)			
27.	ग्रामीण नेतृत्व विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)			
28.	कोविड-19 के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)			
29.	प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)			

			एवं उनका पुनर्वासन – समान कार्य के लिए समान वेतन – देश एवं विदेश में प्रवासी श्रमिकों की समस्याएँ 10. भूमि सुधार कानून: – किराएदारी अधिनियम (जैसे जमीन जोतने का काम) – कृषि उत्पादकता – कृषि उपज के लिए उच्च वैज्ञानिक तकनीकी अपनाने की आवश्यकता 11. सामाजिक बुराइयाँ: – शराब पीना – जुआ खेलना – एच.आई.वी./एड्स/हिपेटाइटिस जागरूकता – नशा करना (ड्रग लेना) – फिजूल खर्च से बचना – दहेज – बाल विवाह – अस्पृश्यता आदि 12. सामाजिक प्रगति: – परिवार कल्याण योजना – जच्चा बच्चा स्वास्थ्य, शिशु की देखभाल एवं वैयक्तिक स्वास्थ्य तथा सफाई – अल्प बचत – गृह बजट – जीवन की गुणवत्ता – बैंक/पोस्ट ऑफिस में विभिन्न फार्म जैसे वेतन पर्ची तथा बैंक से पैसा निकासी की पर्ची भरना, मनी ऑर्डर फार्म भरना तथा रेलवे आरक्षण फार्म आदि भरना। 13. शिक्षा का महत्व 14. सहकारिता तंत्र 15. पंचायतीराज तंत्र 16. ग्रामीण महिला सशक्तीकरण 17. बाल श्रम उन्मूलन में विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेंसियों की भूमिका 18. मानव अधिकार – बाल श्रमिकों का मानव अधिकार 19. सामाजिक, आर्थिक एवं	जाती है कि वे कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का अनुसरण करेंगे और स्वयं को विभिन्न स्वास्थ्यपरक जोखिम से बचाएंगे
--	--	--	--	---

			साम्प्रदायिक सौहार्द की आवश्यकता एवं महत्व 20. ग्रामीण रोजगार – समस्याएं एवं निदान 21. महिला-पुरुष विभेद एवं महिला पुरुष बजट 22. प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल, कोविड-19, एचआईवी/एड्स, टि.बी. (तपेदिक) जागरूकता	
--	--	--	---	--

घ) प्रकाशन एवं शैक्षिक सामग्री का वितरण

दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (केश्रशिबो) एक शैक्षिक संस्थान होने के नाते संगठित, असंगठित एवं ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों के लिये सरल एवं सुबोधगम्य पाठ्यपुस्तिकाएं प्रकाशित करता है। इसी प्रकार कक्षा में प्रौढ़ प्रतिभागियों की रुचि को बनाए रखने तथा शिक्षण को और अधिक रोचक एवं आशयपूर्ण बनाने के लिये सचित्र पुस्तिकाएं, पोस्टर, सी.डी., फिल्म आदि दृश्य-श्रव्य साधन के रूप में भी निरंतर प्रकाशित किये जाते हैं। ये पुस्तिकाएं रु. 5६ प्रति पुस्तिका की किफायती दर पर बेची जाती है।

श्रमिक शिक्षा पत्रिका

बोर्ड द्वारा “श्रमिक शिक्षा” नामक तिमाही गृह पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है जिसमें श्रम संघवाद, औद्योगिक संबंध, श्रम अर्थशास्त्र, शिक्षा के उपकरण एवं तकनीक, उत्पादकता, भागीदारी प्रबंधन आदि विषयों पर अंग्रेजी एवं हिन्दी में उच्च कोटि के लेख होते हैं। “श्रम किरण” बोर्ड की गृह पत्रिका ई-मैगजिन पत्रिका में बोर्ड की उपलब्धियों के बारे में प्रकाशन किया जाता है और वर्ष 2020-21 के दौरान भी इससे परिचालित किया गया है तथा साथ ही साथ श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में द्विभाषी में कैलेंडर भी विशेष रूप से प्रकाशित किया गया है।

बोर्ड की प्रमुख उपलब्धियाँ

श्रमिक शिक्षा का शीर्ष न्यायालय

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1984 में बोर्ड को निर्देशित करते हुए निर्णय दिया कि बोर्ड, फरीदाबाद जिले में पत्थर खदान तथा पत्थर पीसने का काम करने वाले श्रमिकों को उनके अधिकार एवं हक के प्रति जागरूक करने के लिए समय-समय पर शिविर आयोजित करना है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार बोर्ड वर्ष 1984 से फरीदाबाद जिले में इन श्रमिकों के लिए दो दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन करता आ रहा है। ये शिविर खदानों में काम कर रहे श्रमिक संघों के सहयोग से श्रमिकों के अनुकूल स्थानों/कार्यस्थलों पर आयोजित किये जाते हैं।

इन शिविरों में बंधुआ श्रम प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976, ठेका मजदूर (विनियम और उन्मूलन) अधिनियम, 1976, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961, समान वेतन अधिनियम, 1976, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948, खदान अधिनियम, 1952, फैक्टरी अधिनियम, 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952, अंतर राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 जैसे विभिन्न कानूनों के अंतर्गत श्रमिकों को दिए गए हक, अधिकार, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी प्रावधानों के बारे में उनमें जागरूकता उत्पन्न करने पर जोर दिया गया।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 05 शिविर में 171 श्रमिकों ने भाग लिया। विवरण निम्नानुसार है:

क्र.स.	स्थान	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या		कुल
			पुरुष	महिला	
1.	बयानंद बस्ती, फरीदाबाद	17.09.2020 से 18.09.2020	6	22	28
2.	बाबू लाल का डेरा, फरीदाबाद	28.09.2020 से 29.09.2020	7	21	28
3.	महालक्ष्मी डेरा, फरीदाबाद	21.10.2020 से 22.10.2020	1	34	35
4.	गुरुकुल डेरा, फरीदाबाद	02.11.2020 से 03.11.2020	3	37	40
5.	जसवंत डेरा, फरीदाबाद	25.11.2020 से 26.11.2020	8	32	40
कुल			25	146	171

अध्याय—IV

सहायता अनुदान

बोर्ड की सहायता अनुदान योजना 1960 में प्रारम्भ हुई है। सहायता अनुदान के नियमों एवं प्रक्रिया को श्रमिक संघों की आवश्यकताओं के अनुकूल सरल एवं संशोधित कर दिया गया है।

श्रमिक संघ संगठनों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सहायता अनुदान निम्नानुसार चार प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिये उपलब्ध होता है :

- | | | |
|---|---|---------------|
| 1 | पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम | 3 से 7 दिवसीय |
| 2 | पूर्णकालिक गैर आवासीय कार्यक्रम | 3 से 7 दिवसीय |
| 3 | अंशकालिक गैर आवासीय कार्यक्रम | 2 से 4 दिवसीय |
| 4 | राज्य स्तर पर पूर्णकालिक आवासीय कार्यक्रम | 3 से 7 दिवसीय |

वर्ष 2020-21 के दौरान, श्रमिक संघ संगठनों को रु.25,200/- राशि सहायता अनुदान के रूप में कार्यक्रम आयोजित करने हेतु दी गई, जिनमें 40 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया था।

बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशकों/ शिक्षा अधिकारियों ने सहायता अनुदान कार्यक्रमों का निरीक्षण किया तथा अनुदानग्राहियों को अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किए।

वर्ष 2019-2020 एवं 2020-2021 के दौरान श्रम संगठनों को दी गई सहायता अनुदान का विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	संगठन	श्रमिक संघों / संस्थानों की संख्या जिन्हें अनुदान दिया गया		प्रदत्त अनुदान राशि (रुपयों में)	
		2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
केन्द्रीय श्रम संघ संगठन / राष्ट्रीय परिसंघ					
1	भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.)	5	0	25,200/-	0
2	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (इंटक)	0	0	0	0
3	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एटक)	0	0	0	0
4	हिन्द मजदूर सभा	0	0	0	0
5	सेन्टर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स (सीटू)	0	0	0	0
6	इन्डिपेंडेंट ट्रेड यूनियन्स	0	0	0	0
7	सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य निकाय	0	1	0	15,930/-
8	ऑल इंडिया डिफेन्स एम्पलॉईज फेडरेशन	0	0	0	0
	कुल	5	1	25,200/-	15,930/-

मार्च, 2021 तक 1593 श्रमिक संघ संगठनों आदि ने बोर्ड से रु. 28,237,831.62/- सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त करके 6,84,607 श्रमिकों को प्रशिक्षित किया। प्रदत्त सहायता अनुदान और प्रशिक्षित श्रमिकों संबंधी विस्तृत विवरण सारणी-X में दिया गया है।

अध्याय—V

अन्य गतिविधियाँ

पारदर्शी प्रशासन

लोक शिकायत:

लोक शिकायत	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निपटाये गये मामलें
	15	15

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 :

सूचना का अधिकार अधिनियम के मामलें	कुल प्राप्त आवेदनों की संख्या	निपटाये गये मामलें
	91	91

कर्मचारी की स्थिति

बोर्ड में वर्ग क, ख, ग एवं एम.टी.एस. के कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की संख्या निम्नानुसार थी :

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वर्ग 'क'	वर्ग 'ख'	वर्ग 'ग'	एम टी एस	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मुख्यालय, नागपुर	6	12	45	12	75
2	भा.श्र.शि.सं., मुम्बई	1	5	10	6	22
3	ऑचलिक निदेशालय (6)	6	4	20	5	35
4	क्षेत्रीय निदेशालय (50)	0	265	197	121	583
	कुल	13	286	272	144	715

1. बोर्ड में राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

क) वर्ष 2020-2021 के दौरान भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग की हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिन्दी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 02 संख्यक 'ग' श्रेणी के कर्मचारियों को पुरस्कार एवं प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

मुख्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 01 बैठक आयोजित की गई और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा की गई।

ख) हिन्दी दिवस/ पखवाड़ा का आयोजन

मुख्यालय, नागपुर में हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं प्रोत्साहन पुरस्कार राशि के रूप में क्रमशः रु.1800/-, 1500/-, 1200/- एवं 500/- प्रदान किए गये।

ग) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को अंशदान

वर्ष 2020-21 में छमाही बैठकों, प्रतियोगिताओं का आयोजन करने, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की गतिविधियों, हिन्दी पत्रिका के प्रकाशन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राऊरकेला तथा

मुजफ्फरपुर को बोर्ड ने रु.8,000/- (आठ हजार रुपये मात्र) की स्वीकृति प्रदान की है।

घ) प्रवासी श्रमिकों की पुस्तिका का प्रकाशन:

प्रवासी श्रमिकों की पुस्तिका का हिन्दी में प्रकाशन किया गया।

2: बोर्ड में विभिन्न महत्वपूर्ण दिवसों का आयोजन

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 01 मई, 2020
- आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, 2020
- स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, 2020
- सद्भावना दिवस 20 अगस्त, 2020
- हिन्दी पखवाड़ा 01 से 14 सितम्बर, 2020
- हिन्दी दिवस 14 सितम्बर, 2020
- श्रमिक शिक्षा दिवस 16 सितम्बर, 2020
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 27 अक्टूबर से 02 नवम्बर, 2020
- राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर, 2020
- कौमी एकता दिवस 19 से 25 नवम्बर, 2020
- संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2020
- गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2021
- शहीद दिवस 30 जनवरी, 2021

इस अवसर पर परिसंवाद, संगोष्ठियाँ, विशेष व्याख्यान, फिल्म शो, प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। साथ ही प्रशिक्षार्थियों को शपथ दिलाई गई।

**वर्ष 2020-21 में उच्च अधिकारियों द्वारा भेंट/ निरीक्षण
श्री हिरन्मय पण्ड्या, मान.अध्यक्ष ने अप्रैल, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक
निम्नलिखित स्थानों का निरीक्षण किया:**

क्र.सं.	दिनांक	स्थानों का दौरा	उद्देश्य
1.	21.10.2020	दिल्ली	क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली से मुलाकात कर क्षेत्र के प्रगति पर चर्चा की।
2.	22.10.2020	दिल्ली	माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), भारत सरकार एवं अपर सचिव (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय), भारत सरकार से मुलाकात की एवं बोर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।
3.	23.10.2020	दिल्ली	उप निदेशक (शिक्षा) प्रभारी एवं उप निदेशक (प्रशा.) प्रभारी के साथ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बोर्ड संबंधी चर्चा की।

क्र.सं.	दिनांक	स्थानों का दौरा	उद्देश्य
4.	09.11.2020	दिल्ली	दि. 09.11.20 को मान. पर्यावरण मंत्री, वन एवं जलवायु परिवर्तन, भारत सरकार के साथ मुलाकात की एवं बोर्ड के कार्यों संबंधी चर्चा की।
5	27.11.2020 एवं 28.11. 2021	दिल्ली	क्षेत्रीय निदेशालय, द.टं.रा.श्र.शि.वि.बो., वड़ोदरा में शासी निकाय की बैठक में स्टैक होल्डर्स को सम्बोधित किया।
6	16.12.2020	वड़ोदरा	क्षेत्रीय निदेशालय, राजकोट द्वारा दि. 28.11.20 को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को सम्बोधित किया।
7	22.12.2020	दिल्ली	क्षेत्रीय निदेशालय, दिल्ली द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन तथा दि.16.12.20 को मान. श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार की उपस्थिति में महान श्रम संघी श्री दत्तोपंत ठेंगडी के जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन।
8	23.12.2020	चेन्नै	दि.22.12.21 को दक्षिण अंचल चेन्नै में 'लेबर कोड' पर शिक्षा अधिकारियों ने अभिविन्यास कार्यक्रम द्वारा प्रतिभागियों को संबोधित किया।
		कोचीन	दि. 23.12.20 को कोचीन में नवल शिप रिपेरिंग यार्ड सर्दन नवल कमांड में बोर्ड के अधिकारियों के लिए 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित किया।

वर्ष 2020-21 में उच्च अधिकारियों द्वारा भेंट/ निरीक्षण
श्री विरजेश उपाध्याय, मान.अध्यक्ष ने जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक
निम्नलिखित स्थानों का निरीक्षण किया

क्र.सं.	दिनांक	स्थानों का दौरा	उद्देश्य
1.	04.02.2021 से 06.02.2021	नागपुर	महानिदेशक महोदय एवं मुख्यालय, नागपुर के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर बोर्ड की पॉलिसी विषय, प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। दि. 05.02.21 को उप निदेशक (शिक्षा) प्र. एवं उप निदेशक (मुख्या.) प्रभारी के साथ अनु.जा./अनु.ज.जा. कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित किया।
2.	08.02.2021 से 16.02.2021	चेन्नै	ऑचलिक निदेशक (द.अं.) प्रभारी से दक्षिण अंचल के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा एवं चर्चा की। दि. 09.02.21 को ऑच.निदे.(द.अं.) में महिला श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित किया। साथ ही दि. 15.02.21 को चेन्नै में मनरेगा श्रमिकों को भी संबोधित किया।

क्र.सं.	दिनांक	स्थानों का दौरा	उद्देश्य
3.	13.03.2021 से 16.03.2021	इम्फाल	क्षेत्रीय निदेशक, इम्फाल मणिपुर जिला में आयोजित उत्तर पूर्व क्षेत्र के 10 दिवसीय ग्रामीण नेतृत्व विकास कार्यक्रम के प्रतिभागियों से चर्चा की।
			दिनांक 14.03.2021 को स्वास्थ्य श्रमिक संघ स्ट्रीट वेंडर एवं आंगनबाड़ी श्रमिक संघ के विभिन्न नेताओं के साथ मणिपुर जिला के जनजातीय उप योजना के लिये आयोजित दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का निरीक्षण किया और वार्ता भी की।
			मणिपुर में नांक 15.03.2021 को उत्तर-पूर्व क्षेत्र के श्रमिक संघ कार्यक्रमों के लिए 3 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यक्रम का निरीक्षण किया और क्षेत्रीय निदेशालय, इम्फाल का भी निरीक्षण किया।

**वर्ष 2020-21 के दौरान श्री हर्ष वैद्य, भा.र.ले.से., महानिदेशक,
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. द्वारा प्रशासनिक दौरा**

क्र.सं.	दिनांक	स्थानों का दौरा	उद्देश्य
1	15.03.2021 एवं 16.03.2021	दिल्ली	भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के सचिव के साथ बैठक

अध्याय—VI

वर्ष 2020–21 के दौरान बोर्ड द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

नागपुर

क) 16 सितम्बर, 2020 को श्रमिक शिक्षा दिवस का आयोजन :

श्री एच.जे.पांड्या, अध्यक्ष, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. ने 16 सितंबर, 2020 को 63वें 'श्रमिक शिक्षा दिवस' के अवसर पर महानिदेशक — श्री हर्ष वैद्य (भा.र.ले.से.) और द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. के सभी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को बधाई दी। उन्होंने इस महामारी काल में इतिहास में पहली बार नई तकनीक का उपयोग करने के लिए बोर्ड प्रशंसा करते हुए बधाई दी। इस विशेष दिन पर, अध्यक्ष ने संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों की भूमिका, उद्देश्यों, कल्याण और अधिकारों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गूगल मीट जैसी नई तकनीक के प्रयोग से बोर्ड के शिक्षा अधिकारियों ने सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं के विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जो प्रशंसनीय हैं। आज का समाज विकास और उत्थान चाहता है और इसलिए सभी क्षेत्रों के कार्यकर्ता अपने विकास के लिए काम करने के अवसर प्राप्त करने के लिए विभिन्न उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और उसके लिए समाज और लोगों के विकास के लिए द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. की भागीदारी अनिवार्य है।

अध्यक्ष ने कहा कि श्रमिक हमारे देश का सबसे मूल्यवान अंश हैं जो द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. ने उद्योग के कई श्रमिकों को श्रमिक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया है जिन्होंने उद्योगों और राष्ट्र के श्रमिकों के लिए अपनी सेवाओं का योगदान दिया है जो कि बहुत ही सराहनीय है। देश और उद्योग जगत के बहुत से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है जो कि बोर्ड की शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि बोर्ड गतिविधियों का विज्ञापन और प्रचार नहीं कर सकता लेकिन अगर ऐसा होता है, तो बहुत से लोग इसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

अध्यक्ष ने कहा कि जब उन्होंने अं.श्र. संगठन का दौरा किया, बोर्ड की गतिविधियों के बारे में बात की और सम्मेलन में लोग बहुत आश्चर्य चकित हुए और द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. के कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. अन्य संगठनों की तुलना में सबसे आगे है क्योंकि इसे श्रमिक शिक्षा योजना के लिए 100% वित्तीय सहायता मिली है। उन्होंने जोर दिया कि एशियाई देशों और यूरोपीय देशों में कोई श्रमिक शिक्षा योजना नहीं है, लेकिन यह केवल भारत में है जो गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. का साहित्य स्विट्जरलैंड में अं.श्र. संगठन के पुस्तकालय में उपलब्ध है और वे बोर्ड की गतिविधियों से सहमत हैं और प्रशंसा भी करते हैं। उन्होंने जापान के लोगों के साथ श्रमिक शिक्षा योजना के बारे में भी बात की और वे भी इस गतिविधियों के लिए सहमत हुए।

अध्यक्ष ने कहा कि डीटीएनबीडब्ल्यूईडी अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालय के माध्यम से वी.वी.गिरी संस्थान की तुलना में लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न गांवों और जिलों तक पहुंचने की क्षमता रखता है। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को बोर्ड की गतिविधियों की जानकारी हो रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के शिक्षा अधिकारी इतने सशक्त हैं और इस महामारी में वेबिनार के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम करने में सक्षम हैं।

यहां तक कि उन्होंने कहा कि यू.एस. और यू.एन.ओ ने वेबिनार के माध्यम से बैठक और सम्मेलन आयोजित करने

पर भी ध्यान दिया है जो एक नई तकनीक है और दुनिया के हर लोग ज्ञान और सूचना का लाभ उठा सकते हैं जिससे वे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि यूनेस्को, आईएलओ और यूएनओ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन सूचना और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के अधिकारों के लिए सहमत हैं, इसके लिए भारत सरकार ने पिछले छह महीनों में नई योजनाएं शुरू की हैं जो हमारे पास आएंगी और बोर्ड इसे साझा करेगा। देश की जनता को जानकारी देगी। उन्होंने बताया कि संसदीय समिति ने पहले ही चार संहिताएं तैयार की हैं जिनमें 44 श्रम कानून शामिल हैं और उनमें से एक संहिता संसद में पहले ही पारित हो चुकी है और अन्य तीन संहिताएं संसद से पारित होने जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा संहिता मिलनी चाहिए और उसके प्रावधान का उल्लेख नए कानून में किया गया है और इसके ज्ञान को देश के लोगों तक साझा किया जाना चाहिए।

श्री हर्ष वैद्य, (भा.र.ले.से.) महानिदेशक ने 63वें श्रमिक शिक्षा दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में द.टें.रा.श्र.शि. वि.बो. के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी, उन्होंने इसकी स्थापना के बाद से यानी 16 सितंबर, 1958 से बोर्ड के सभी अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की। आगे उन्होंने कहा कि पिछले छह महीने से हम कोविड-19 के कारण चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

लॉक डाउन के दौरान द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. ने बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी जैसी विभिन्न भाषाओं में “श्रमिकों के लिए कोविड-19 दिशानिर्देश” पर पुस्तिका तैयार की है और श्रमिक शिक्षा के सभी हितधारकों के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया का उपयोग करके प्रसारित की है।

पेंडमिक की इस अवधि में संगठित क्षेत्रों में 327 वेबिनार आयोजित किए गए जिसमें 5281 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। बोर्ड ने असंगठित और ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यक्रमों के संचालन के लिए एसओपी तैयार किया है और अनलॉक-3 और 4 में, बोर्ड ने असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रमों का संचालन शुरू कर दिया है और अब तक असंगठित और ग्रामीण क्षेत्रों में 33 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें कुल 1111 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था। इस दौरान डीपीसी की गई और स्टाफ सदस्यों को एमएसीपी भी दिया गया। अंत में, उन्होंने बोर्ड के सभी अधिकारियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की और कामना की कि कोविड-19 का टीका जल्द से जल्द आ जाए।

सभी 50 क्षेत्रीय निदेशालयों ने श्रमिक शिक्षा दिवस 16 सितंबर, 2020 को वस्तुतः मनाया।

ख) सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन

27 अक्टूबर, 2020 से 2 नवंबर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह प्रधान कार्यालय, नागपुर और द.टें.रा.श्र. शि.वि.बो. के क्षेत्रीय निदेशालयों में मनाया गया।

संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (जेईपी)

वडोदरा

दिनांक 04.03.2021 को वडोदरा में प्लेसोर इंडिया संगठन में एक दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री वेद मिश्रा, प्रमुख (ओएसएच) ने सुरक्षा दिवस कार्यक्रम में उद्घाटन किया। बोर्ड ने कार्यस्थल पर सुरक्षा आधारित व्यवहार तथा सुरक्षा दिवस पर कटौती, तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया। प्रतिभागियों और प्रबंधन ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम से कार्यस्थल पर कर्मचारियों के तनाव को कम करने में मदद मिलेगी और इससे दुर्घटनाएं भी कम होंगी और

दुर्घटनाएं भी शून्य दुर्घटना और उच्चतम स्तर को बनाए रखने का लक्ष्य रखती हैं। संगठन द्वारा सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है।

मुजफ्फरपुर

25 प्रशिक्षुओं के लिए वेबिनार, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नालंदा में दिनांक 20.08.2020 को वेबिनार के माध्यम से एक दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन और समापन श्री एम.ए.वॉ, महाप्रबंधक द्वारा किया गया। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक चिकित्सक को कोविड अवधि के दौरान सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। श्रम कानूनों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए। यह बहुत प्रभावशाली कार्यक्रम था और सभी प्रतिभागियों ने ज्ञान प्राप्त किया।

चंडीगढ़

पंजाब अल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड, नया नंगल, जिला रोपड़ में “संगठनात्मक नैतिकता विकास प्रणाली” पर दो दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। रोपड़ (पंजाब) क्षेत्रीय निदेशालय, चंडीगढ़ के माध्यम से कर्मचारियों के लिए 30.09.2020 से 01.10.2020 तक विभिन्न व्यवहार/व्यवहार संबंधी पहलुओं को कवर किया है। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और सभी प्रतिभागियों ने इसकी सराहना की। शिक्षा अधिकारी ने विषय के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही जानकारीपूर्ण, संवादात्मक और जीवंत तरीके से समझाया है। प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उनके द्वारा उत्तर दिया गया। कार्यक्रम में 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसने कंपनी के कर्मचारियों को उत्पादकता, टीम वर्क, प्रेरणा, व्यवहार/दृष्टिकोण, व्यक्तित्व/आत्म विकास आदि के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन में सुधार करने में मदद की। प्रतिभागी बोर्ड के आभारी थे कि उन्होंने नया नंगल में उपरोक्त वेबिनार/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

आवश्यकता आधारित परिसंवाद (एनबीएस)

मुजफ्फरपुर

क्षेत्रीय निदेशालय, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 26.09.2020 तथा 27.09.2020 तक परिवर्तनशील प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार प्रदेश, पटना में 20 प्रशिक्षुओं के लिए दो दिवसीय आवश्यकता आधारित परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सचिव श्री आनंद मिश्रा ने किया। प्राप्त फीडबैक के अनुसार कार्यक्रम बहुत ही प्रभावशाली रहा। कोविड-19 और वर्कलाइफ बैलेंस के बारे में अपडेट मिलने के बाद उन्हें प्रोत्साहित किया गया।

संयंत्र स्तरीय कार्यक्रम

कानपुर

दिनांक 08.02.2021 को विद्युत प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर मध्य रेलवे, कानपुर में क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर द्वारा एक दिवसीय संयंत्र स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 29 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री जे. बी. सिंह, प्राचार्य, विद्युत प्रशिक्षण केंद्र, उत्तर मध्य रेलवे, कानपुर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में दे.ठे.रा.श.वि.ने. की भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम के दौरान, प्रतिभागियों को कोविड-19 चुनौतियों, रोकथाम, टीकाकरण, स्वास्थ्य स्वच्छता आदि के बारे में जागरूक किया गया और प्रतिभागियों के बीच संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच बहुत जानकारीपूर्ण, प्रभावी और उपयोगी था।

स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम (एसजीएफ)

मंगलोर

दिनांक 05.01.2021 को केआईओसीएल लिमिटेड, पनम्बूर, मंगलोर में एक दिवसीय स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी प्रतिभागियों ने प्रसन्नता व्यक्त की और आश्वासन दिया कि यह कार्यक्रम उनके सदस्यों को जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करने में सहायक है। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की और कार्यस्थल पर सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व की सराहना की।

कोचीन

नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी, रक्षा मंत्रालय, कक्कानाडु में एक दिवसीय स्वयं कोष निर्माण कार्यक्रम में प्रतिभागियों को कोविड-19 की जागरूकता दी गई और 7 प्रतिभागियों को कोविड-19 टीकाकरण-कोविन के लिए पंजीकृत किया गया।

5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (वेबिनार)

जबलपुर

एचआरडी में पांच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (वेबिनार) का आयोजन किया गया। केंद्र आर.डी.वी.वी. जबलपुर ब्लॉक और जिला, जबलपुर, मध्य प्रदेश में दिनांक 05.10.2020 से 09.10.2020 तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एवं संचालन डॉ. संजीव कुमार पांडेय, सहायक द्वारा किया गया। निदेशक एच.आर.डी. केंद्र आरडीवीवी, जबलपुर ने व्यक्तित्व विकास के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताया, जिन पर आगे 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम को बोर्ड द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

कानपुर

पांच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रशिक्षण हॉल, दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर में 15.03.2021 से 19.03.2021 तक आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री एल मुखर्जी, संयुक्त निदेशक, कौशल विकास मंत्रालय, क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर पांच दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिभागियों ने कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप, आलमबाग, लखनऊ, लोको वर्कशॉप, उत्तर रेलवे, लखनऊ, राज्य श्रम आयुक्त कार्यालय, कानपुर, टी.एस.एम. शेड, उत्तर मध्य रेलवे, कानपुर, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया। प्रतिभागियों से प्राप्त जानकारी प्रभावी और उपयोगी थी।

मुंबई

अखिल भारतीय औद्योगिक एवं महा श्रमिक संघ (एटक) के लिए आयटक सेनेटरी वर्ष समारोह को चिन्हित करने हेतु दिनांक 29.10.2020 को एक दिवसीय ऑनलाइन/वर्चुअल विशेष वेबिनार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्तमान महामारी की स्थिति में ऑनलाइन प्रशिक्षण बहुत प्रभावी है। प्रतिभागियों ने भा.श्र.शि. संस्थान के संकाय द्वारा दिए गए व्याख्यान की सराहना की।

पश्चिम क्षेत्र और मध्य क्षेत्र के शिक्षा अधिकारियों/शिक्षा अधिकारियों (च.श्रे.) के लिए वर्तमान कोविड -19 स्थिति

में दिनांक 02.12.2020 से 03.12.2020 तक ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया गया। बोर्ड के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत अच्छी पहल है। यह कार्यक्रम ऑनलाइन कार्यक्रमों के संचालन के लिए अधिकारियों की मानसिकता को बदलने में मदद करेगा। यह कार्यक्रम अधिकारियों को ऑनलाइन कार्यक्रमों के दौरान आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेगा। श्री हिरणमय पंड्या, माननीय अध्यक्ष, द.प.टें.रा.श्र0शि.वि.बो. और सुश्री विजया लक्ष्मी, पूर्व शासी निकाय सदस्य, द.प.टें.रा.श्र0शि.वि.बो. भी शिक्षा अधिकारी / शिक्षा अधिकारी (च.श्रे.) के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के उद्घाटन के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हुए।

प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी

कानपुर

क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर द्वारा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, फैजाबाद रोड, लखनऊ में दिनांक 09.02.2021 से 11.02.2021 तक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी विषय पर तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 28 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री एस.एस.चंदेल, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एचएएल, लखनऊ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री एस.पी. सिंह, मुख्य प्रबंधक (प्रशिक्षण), एचएएल, लखनऊ भी उपस्थित थे। समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री रवि प्रकाश, अपर महाप्रबंधक थे। कार्यक्रम में प्रबंधन के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने भी भाग लिया। अपने आप में हीरा खोजें, प्रबंधन, संचार में श्रमिकों की भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के अंतिम दिन कठपुतली शो का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रतिभागियों के बीच बहुत जानकारीपूर्ण, प्रभावी और उपयोगी कार्यक्रम था। श्री एस एस चंदेल, उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन), एचएएल, लखनऊ ने समापन सत्र की अध्यक्षता की।

महिला श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

मंगलौर

दुग्ध डेयरी हॉल, धर्मपुरा कोडी गांव, हुंसुर तालुक, मैसूर जिले में महिला श्रमिकों के लिए दिनांक 11.02.2021 से 12.02.2021 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी प्रतिभागियों ने अटल पेंशन योजना, बीमा सुरक्षा योजना और आयुष्मान स्वास्थ्य योजना आदि में नामांकन करने का वादा किया।

परवाणू

क्षेत्रीय निदेशालय, परवाणू द्वारा ग्राम-प्रटिया, प्रखंड-धर्मपुर, जिला सोलन (हि.प्र.) में महिला श्रमिकों के लिए दिनांक 25.11.2020 से 26.11.2020 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये महिला कार्यकर्ता अत्यधिक प्रेरित थीं और उन्होंने स्वयं सहायता समूह का गठन किया और छोटी व्यावसायिक गतिविधियाँ शुरू कीं। स्वावलम्बन सहायता समूह ने शहद और डेयरी फार्मिंग का उत्पादन शुरू किया।

कोषिकोड

महिला श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम नल्लालम, अरीकाड, कोषिकोड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्रीमती देवी, पूर्व सदस्य, महिला आयोग, केरल ने किया। समापन भाषण एडवोकेट मिनी,

लीगल काउंसलर द्वारा दिया गया। सभी प्रतिभागियों ने अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के साथ-साथ खुद को सशक्त बनाने के लिए इस तरह के और अधिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुरोध किए और आयोजित किए गए कार्यक्रम की सराहना की।

बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिए कार्यक्रम

उदयपुर

बाल श्रम के बारे में जानकारी प्रदान करने की दृष्टि से बाल कल्याण समिति, उदयपुर के बाल श्रमिकों के अभिभावकों हेतु दिनांक 01.01.2021 से 02.01.2021 तक दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी प्रतिभागियों ने बाल श्रम उन्मूलन का वादा किया और सुकन्या समृद्धि योजना में शामिल हुए। सभी ने कोविड-19 से बचाव का आश्वासन दिया।

तिनसुकिया

दिनांक 12.10.2020 से 13.10.2020 तक श्रीमती रिनिमोनी गोगोई, ग्राम- अलीमुर गांव, ब्लॉक- लाहोल, जिला- डिब्रूगढ़, असम के आवास पर बाल श्रम के अभिभावकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने चर्चा किए गए विषयों की सराहना की अर्थात् बाल श्रम की बुराई और इसके निषेध, आय सृजन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, बाल श्रम पर श्रम कानून – निषेध और संरक्षण, सरकार की कल्याण योजनाएं जैसे अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सुकन्या समृद्धि खाता, मध्याह्न भोजन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), शिक्षा का महत्व और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, माइक्रोफाइनेंस और इसका महत्व कोविड-19 आदि के समय में स्वरोजगार, स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए और भविष्य में इसका पालन करेंगे।

कोषिकोड

क्षेत्रीय निदेशालय, कोषिकोड द्वारा कन्नाथुमपारा, चेरुवयूर, कोंडोथी ब्लॉक, जिला मलप्पुरम, केरल में दिनांक 21.12.2020 से 22.12.2020 तक दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शिक्षा अधिकारी के जागरूकता कार्यक्रम से प्रतिभागियों में काफी उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के बीच मनरेगा, पीएम आयुष्मान योजना, कौशल विकास, पीएमजेजेवाई, पीएम श्रमयोगी मानधन योजना, एपीवाई आदि विषय जैसे पर चर्चा की गई। इन प्रतिभागियों ने पंचायत कोष की सहायता से साबुन बनाने और मोमबत्ती बनाने की इकाई शुरू की।

कोचीन

पुलिंचोड, चेरथला दक्षिण, कांजीकुड्डी, अलाप्पुझा में दिनांक 26.11.2020 से 27.11.2020 तक दो दिवसीय ग्रामीण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, 5 प्रतिभागियों ने कोविड ऐप डाउनलोड किया और पंजीकरण किया और प्रतिभागियों में से एक ने महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा की रोकथाम पर एक समस्या उठाई। महामारी के तनाव के कारण बाल शोषण और जनमैत्री पुलिस और काउंसलर का फोन नंबर दिया। उन्हें कोविड-19 महामारी के कारण अनियमित आय को दूर करने के लिए अचार बनाने, नाश्ता बनाने, चटार्ई बनाने और कचरे से बाहर निकलने जैसी विभिन्न सूचना देने वाली गतिविधियाँ भी बताई गई।

श्रम कल्याण विकास कार्यक्रम (एलडब्ल्यूडी)

इलाहाबाद

रेडियंट पब्लिक स्कूल, कोटवा चौराहा, ग्राम-कोटवा, ब्लॉक-तिलोई, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश में दिनांक 22.10.2020 से 23.10.2020 तक श्रम कल्याण विकास कार्यक्रम के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को उत्तर प्रदेश भवन और सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड के लाभों और लेबर कार्ड के लिए नामांकन कैसे करें, के बारे में जागरूक किया गया।

उत्तर-पूर्व (पूर्वोत्तर) क्षेत्र के श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

तिनसुकिया

तरुण संघ, कुवारीताल, जिला-नागांव में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के लिए दिनांक 11.02.2021 से 13.02.2021 तक तीन दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने देखा कि उन्होंने विभिन्न श्रम कानूनों के साथ-साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), आरएसबीवाई और कौशल विकास पहल योजना जैसी विभिन्न कल्याणकारर योजनाओं के बारे में सीखा। (एसडीआईएस), मुद्रा ऋण आदि जो उन्हें अपने संघ को मजबूत करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र का ग्रामीण नेतृत्व विकास विशेष कार्यक्रम

सामुदायिक हॉल, एरालोनी/सीतापानी गांव, पीओ- महादेवपुर, ब्लॉक- महादेवपुर, जिला- नामसाई (लोहित), अरुणाचल प्रदेश में 02.03.2021 से 11.03.2021 तक दस दिवसीय पूर्वोत्तर विशेष ग्रामीण नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (चडैल्डक्ल), अटल पेंशन योजना (।च्ल), स्वच्छ भारत मिशन – स्वास्थ्य के लिए इसका महत्व, व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम- ब्यूटीशियन, कोविड-19 – इसके लक्षण और सावधानियां, शिक्षा का महत्व- का अधिकार शिक्षा अधिनियम, सरकारी योजनाएं – प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), सुकन्या समृद्धि खाता, कृषि विभाग के तहत योजनाएं, महिला अधिकारिता और स्वरोजगार, कार्य संस्कृति और कार्य नैतिकता, सरकारी योजनाएं – मुद्रा ऋण जैसे विषयों पर की गई चर्चा की सराहना की। प्रतिभागियों ने कहा कि सिलाई, कौशल भारत और डिजिटल भारत, जीवन कौशल आदि पर व्यावसायिक पाठ्यक्रम और इसका पालन करेंगे क्योंकि यह उनके भविष्य में उनकी मदद करेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

वडोदरा

क्षेत्रीय निदेशालय, वडोदरा द्वारा सामुदायिक भवन, मंजुशर में दिनांक 16.12.2020 से 17.12.2020 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने स्वावलम्बन अर्थात् चेतना महिला मत्स्य मंडल का गठन किया।

बेरहामपुर

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए दो दिवसीय विशेष संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 22.02.2021 से 23.02.2021 तक क्षेत्रीय निदेशालय, ग्राम-साकिरी, ब्लॉक-खालीकोट, जिला बरहामपुर सामुदायिक भवन, में किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 35 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को भारत के संविधान द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों को दिए गए अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक किया गया और भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूक किया गया, तदनुसार प्रतिभागियों को कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए संबोधित किया गया।

जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) कार्यकर्ताओं के लिए विशेष कार्यक्रम

तिनसुकिया

टीएसपी कार्यकर्ताओं के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन मेगाला गांव पंचायत, ग्राम-मेगाला गांव, प्रखंड-सैखोवा, जिला-तिनसुकिया के प्रशिक्षण कक्ष में दिनांक 11.11.2020 से 12.11.2020 तक किया गया। प्रतिभागियों ने अनुसूचित जनजाति श्रमिकों की समस्याएं और इसके समाधान, सरकार जैसे विषयों पर चर्चा की। गाँव पंचायतों के तहत योजनाएँ, स्वास्थ्य – कोविड-19 और इसके लक्षण और सावधानियाँ, सरकार। योजनाएँ – अटल पेंशन योजना (एपीवाई), आरएसबीवाई, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), सुकन्या समृद्धि खाता आदि, स्वयं सहायता समूह और एनआरएलएम- इसका महत्व, कौशल विकास पहल – इसकी स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार आदि के लिए महत्व को बताया और भविष्य में इसका पालन करेंगे।

अनुसूचित जाति-उप-योजना (एससीएसपी) कार्यकर्ताओं के लिए विशेष कार्यक्रम

गोरखपुर

ग्राम-बरियारपुर, प्रखंड-जंगल कौरिया, जिला- गोरखपुर (उ.प्र.) में अनुसूचित जाति के श्रमिकों के लिए दिनांक 26.12.2020 से 27.12.2020 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को अनुसूचित जाति कार्यकर्ताओं के अधिकारों और जिम्मेदारियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना आदि के बारे में जागरूक किया गया। सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं के प्रतिभागियों को संबोधित किया गया।

मुंबई

एससीएसपी श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम को बदलापुर, जिला – ठाणे, महाराष्ट्र में दि. 04.03. 2021 से 05.03.2021 तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने अगरबत्ती, मोमबत्ती, कृत्रिम फूल आदि बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की और अन्य कार्यक्रमों को भाग लेने के लिए अपनी चिंता व्यक्त की। श्री किसान कठौर ने असंगठित कार्यबल के लिए बोर्ड की गतिविधियों की सराहना की।

मनरेगा के अंतर्गत कार्यक्रम

जयपुर

सामुदायिक धर्मशाला, झड़ली गांव, सीकर, राजस्थान में 25.12.2020 से 26.12.2020 तक दो दिवसीय ग्राम स्तरीय मनरेगा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम मनरेगा श्रमिकों के लिए आयोजित किया गया था और उन्होंने मनरेगा के अधिकारियों से अपना बकाया और काम समय पर प्राप्त करने और अन्य सरकारी कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए स्वावलम्बन समूह का गठन किया।

धनबाद

दो दिवसीय मनरेगा (ग्राम स्तर) कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 05.01.2021 से 06.01.2021 तक क्षेत्रीय निदेशालय धनबाद द्वारा पंचायत सचिवालय, ग्राम लखथाही, प्रखंड बेंगाबाद, जिला गिरिडीह, झारखंड में किया गया। प्रतिभागियों ने स्वावलम्बन समूह का गठन किया।

असंगठित कार्यक्रम

इलाहाबाद

असंगठित श्रमिकों के लिए दिनांक 14.10.2020 से 15.10.2020 तक ग्राम—भागूतीपुर, प्रखंड—धनूपुर, जिला—प्रयागराज, उ0प्र0 में 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीमती मनिता देवी ने प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। वह कार्यक्रम से प्रेरित थी और सामाजिक कार्यों से जुड़ी थी। श्रीमती मनिता देवी को पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम प्रधान चुना गया।

4 दिवसीय सशक्तीकरण कार्यक्रम

कोयंबतूर

जी. सेल्विस हाउस एमपीएन नगर, चेन्नीमलाई, इरोड, टी.एन. में कमजोर वर्ग के लिए दिनांक 09.03.2021 से 12.03.2021 तक चार दिवसीय अधिकारिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने व्यक्त किया कि उन्हें शिक्षा के महत्व, संगठन के लिए विकास की आवश्यकता, माता—पिता की जिम्मेदारी, कोविड —19 जागरूकता और रोकथाम, महिला और बाल देखभाल कल्याण योजनाओं के बारे में जानने और समझने का बहुत अच्छा अवसर मिला। कोंगु कम्युनिटी रेडियन टीम ने कार्यक्रम का दौरा किया और 14.03.2021 को कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके प्रसारित किया।

इलाहाबाद

प्राथमिक विद्यालय, ग्राम—खलिशपुर, ब्लॉक—चिराई गांव, जिला—वाराणसी, उत्तर प्रदेश में दिनांक 15.01.2021 से 18.01.2021 तक कमजोर वर्ग के श्रमिकों के लिए चार दिवसीय अधिकारिता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन और समापन श्रीमती सीता देवी मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि, वाराणसी द्वारा किया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम से प्रेरित होकर, अपना व्यवसाय शुरू किया। बैंक से ऋण प्राप्त किया और व्यवसाय शुरू किया।

पंचायती राज पदाधिकारी

तिनसुकिया

दिनांक 20.01.2021 से 22.01.2021 तक कलियाबोर विकास खंड, प्रखंड—कलियाबोर, जिला—नागांव में तीन दिवसीय उत्तर पूर्व विशेष पंचायती राज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की क्योंकि वे पंचायत प्रणाली के उचित कामकाज को सीख सकते थे। उन्होंने सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में भी जाना। जैसे प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएमएसवाईएमडीवाई), आरएसबीवाई और कौशल विकास पहल योजना (एसडीआईएस), मुद्रा ऋण , एनआरएलएम आदि जो उन्हें अपने कर्तव्यों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने में मदद करेंगे।

ग्वालियर

क्षेत्रीय निदेशालय ग्वालियर द्वारा दिनांक 18.02.2021 से 19.02.2021 तक प्रखंड भितरवार, ग्वालियर (म.प्र.) में दो दिवसीय पंचायती राज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित किया गया है और उन्होंने पंचायती राज प्रणाली और इसके कामकाज, विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। प्रतिभागियों ने अपने ज्ञान को उन्नत किया अब वे प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम हैं।

जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (क्यूएलपी) – 2 से 4 दिन

इलाहाबाद

असंगठित श्रमिकों के लिए चार दिवसीय जीवन गुणवत्ता कार्यक्रम ग्राम—ढाबिया, ब्लॉक—शंकरगढ़, जिला—प्रयागराज में दिनांक 01.04.2015 से आयोजित किया गया था। 09.03.2021 से 12.03.2021 तक। इस कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन एवं समापन श्री. बृजेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रयागराज। सभी प्रतिभागियों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, अटल पेंशन योजना आदि के बारे में जाना, जो सभी श्रमिकों / प्रतिभागियों के लिए लाभान्वित है।

प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

धनबाद

क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा दिनांक 22.02.2021 से 23.2.2021 तक प्रवासी श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम, ग्राम कुशियारी, प्रखंड सरायहाट, जिला. दुमका में आयोजन किया गया था। प्रतिभागियों ने स्वावलम्बन समूह चमेली महिला समिति और दुर्गा महिला मंडल का गठन किया।

नागपुर

क्षेत्रीय निदेशालय, नागपुर द्वारा प्रवासी कामगारों के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम पिपला, जिला नागपुर में आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के प्रतिभागियों को कोविड -19 अवधि के दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। इन प्रतिभागियों ने स्वयं सहायता समूह बनाया, प्रतिभागियों ने परिधान सिलाई और मास्क बनाना शुरू किया।

इलाहाबाद

प्रवासी कामगारों के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम का विशेष कार्यक्रम ग्राम— लेधूपुर, प्रखंड— चिरईगांव, जिला— वाराणसी में दिनांक 16-02-2021 से 17-02-2021 तक में किया गया। द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., इलाहाबाद ग्रामीण जनता के बीच जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सभी प्रतिभागियों को उत्तर प्रदेश द्वारा कौशल विकास मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में पता है।

कोविड-19 के लिए कार्यक्रम

तिनसुकिया

21.12.2020 से 22.12.2020 तक जेंगानी कोटिया चापोरी एल.पी. स्कूल, ग्राम— जेंगानी गांव, ब्लॉक— पचिम कलियाबोर, जिला— नागांव में कोविड-19 के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिभागियों ने देखा कि उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई), कोविड-19, अटल पेंशन योजना (एपीवाई), आरएसबीवाई और कौशल विकास पहल योजना (एसडीआईएस), एनआरएलएम जैसे नए विषयों आदि को सीखा। जो उन्हें अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।

बोर्ड की गतिविधियों से संबंधित फोटोग्राफ्स



श्री एच. जे. पाण्ड्या
अध्यक्ष



श्री हर्ष वैद्य, भा.र.ले.से.
महानिदेशक

63वाँ 'श्रमिक शिक्षा दिवस' 16 सितम्बर, 2020 को वर्चुअल पद्धति से पूरे भारत में द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यालय के सभी अधिकारी, 06 ऑचलिक निदेशालय और 50 क्षेत्रीय निदेशालय के अधिकारी और संबंधित क्षेत्रीय सलाहकार समितियों के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया था।



क्षेत्रीय निदेशालय, इम्फाल द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यक्रम पर दस दिवसीय पूर्वोत्तर विशेष कार्यक्रम में श्री विरजेश उपाध्याय, माननीय अध्यक्ष, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।



क्षेत्रीय निदेशालय, इम्फाल द्वारा आयोजित श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं के लिए तीन दिवसीय विशेष उत्तर-पूर्व राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री विरजेश उपाध्याय, माननीय अध्यक्ष, द.तें.रा.श.शि.वि.बो. उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।



श्री बिमान बनर्जी, माननीय अध्यक्ष पश्चिम बंगाल विधान सभा, पश्चिम बंगाल, सरकार और श्री मोलोक घटक, माननीय मंत्री प्रभारी, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार 05.01.2021 को श्रमिक मेला, उन्नयन भवन, सोनारपुर ब्लॉक, दक्षिण 24 परगना जिला में एलडब्ल्यूडी में आयोजित दो दिवसीय विशेष संगोष्ठी में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए।



श्री कृष्ण कुमार, श्रम सचिव, अंडमान एवं निकोबा द्वीप समूह दि. 18.01.2021 से 19.01.2021 तक आईटीआई डॉलीगंज, पोर्टब्लेयर के प्रशिक्षण हॉल में आयोजित असंगठित श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय विशेष संगोष्ठी के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए। श्री अतुल कुमार सिंह, अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्री एम. वैद्य, श्रम आयुक्त, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह।



बदलापुर, जिला- ठाणे, में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री किसान कठौर, माननीय विधान सभा सदस्य, सुरबाड निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र ने 9 फरवरी, 2021 को कार्यक्रम में सम्मिलित हुए।



श्री जगन्नाथ सरकार, माननीय सांसद, 13 राणाघाट लोकसभा पश्चिम बंगाल ने 31.12.2020 को अर्पित स्मृति सरस्वती शिशु, मंदिर, ग्राम-अरपारा, ब्लॉक शांतिपुर में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए 02 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया।



श्रीमती संयुक्ता भाटिया, माननीय मेयर, लखनऊ दिनांक 05.02.2021 को हंस खेडा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में महिला श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करती हुई।

Appreciation Credential for Board's Training programmes



ISIDORE A. FERNANDES
DY. SPEAKER
GOA LEGISLATIVE ASSEMBLY &
CHAIRMAN, GOA FOREST DEVELOPMENT
CORPORATION

Ref: CAN-40/LETTER OF APPRECIATION/DTNBWED /1184/2020-21

Date: 17 /02 /2021

To,
Regional Director,
Dattopant Thengadi
National Board for Workers Education & Development
Ministry of Labour & Employment
Government of India
1st floor, Rukmini Madhav Sadan
Above Madgao Urban Co-operative Bank,
Kaziwada, Ponda-Goa.

Letter of Appreciation

You Education Officers are doing herculeas work in the field of Socio Economic Development of organised and unorganised workers and also enhancing the quality of life. your topics like importance of education and role of parents, Swach Bharat and Environment Protection, women empowerment, self help group, skill development activities, awerness of various government schemes and welfare, family budget, health and hygine – HIV-AIDS & TB, Covid -19, safty measures, SoPs, vaccination awareness small savining, mis- belief, organisation Building team work, unity in diversity and many other topics are not only appreciated by also brought in notice in day to day life.

As Silent working organisation, It is a high time that we should highlight your activities and appreciate it as a Nobel cause in nation building through your work in remote area all over area under your jurisdiction.

Your work is appreciable and need of society.

Thanks and Regards

Shri. Isidore A. Fernandes
Dy. Speaker
Goa Legislative Assembly

Office: 202, Second Floor, Goa Legislative Assembly, Porvorim, Goa-403521
Email: isidore1951@rediffmail.com www.goavidhansabha.gov.in
Tel: 0832-2493300, 2493301, 2493202 Fax: 0832-2411024
0832-2410916 Res. Cumicono 2640316

Appreciation Credential for Board's Training programmes

F.No. 01/Misc/Worker Edu.Scheme/LC-2020/89
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF LABOUR, EMPLOYMENT & TRAINING

Port Blair, dated the 19th January 2021

To,

Smti. Anuradha Prasad
Additional Secretary, Labour & Employment
Government of India
Shram Shakti Bhawan
New Delhi- 1

Sub: Letter of appreciation for generating awareness among unorganized sector workers by DTNBWED at A & N Islands - reg.

Sir,

It gives me immense pleasure to inform you that, the DTNBWED has organized 02 number of 02 days awareness programme for unorganized sector workers at Government Industrial Training Institute, Dollygunj, Andaman & Nicobar Islands from 18th to 19th January 2021. About 120 workers of various categories and their trade union leaders of the islands participated in the programme. I had the privilege to inaugurate the programme and taking feedback from the attending participants.

My personal experience has been very good and the participants have been immensely benefited out of this educational and awareness programme. The seminars primarily focused about the organizational set up meant for the welfare of unorganized workers such BOCW Welfare Board and its scheme, Labour Department efforts in enrolling them under PMSYM NPS (LVPS), benefits and modalities of enrolment. It also emphasized the importance of developing positive attitude towards achieving the goal of better life and eradicating of social evils. It is encouraging to observe the increase in the level of motivation and information among the participants. This has generated momentum among the workers as it has been organized first time here in these islands involving limited number of participants. I would request you kindly give a personal visit to the island for smooth implementation of the scheme.

I believe in future the Director General of DATTOPANT THENGADI, National Board for workers Education & Development under your ministry may be advised to organize and conduct series of educational programme for the workers to cover atleast 50% of the working population in the islands.

Thanking you

Yours Faithfully

(Krishan Kumar, IAS)

अध्याय—VII

प्रतिभागियों एवं समाज पर प्रशिक्षण का प्रभाव

मुंबई

दिनांक 08.02.2021 एवं 09.02.2021 को मुरबाड, जिला रायगढ़ में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री किसान कठौर, माननीय विधान सभा, मुरबाड निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य ने 09 फरवरी, 2021 को कार्यक्रम में भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यक्रम की सराहना की और अन्य कार्यक्रमों के लिए अपना विचार व्यक्त किया। श्री किसान कठौर ने असंगठित कार्यबल के लिए बोर्ड की गतिविधियों की सराहना की।

भा.श्र.शि.सं., मुंबई

श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं/ भारतीय राष्ट्रीय भवन निर्माण, वन और लकड़ी श्रमिक संघ (आईएनबीसीडब्ल्यूएफ) के पदाधिकारियों के लिए दिनांक 19.01.2021 को एक दिवसीय ऑनलाइन/प्रशिक्षण कार्यक्रम 'कोविड-19 में निर्माण श्रमिकों के सामने चुनौतियाँ— महामारी की स्थिति' पर 40 प्रतिभागियों के लिए आयोजित किया गया था। ऑनलाइन प्रशिक्षण से प्रतिभागियों को बहुत लाभ हुआ है। प्रतिभागियों के लिए प्रदान की गई अध्ययन सामग्री बहुत मददगार होगी। 1. डॉ.राम चंद्र खुंटिया, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, इंटक, राज्य अध्यक्ष, ओडिशा, इंटक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आईएनबीसीडब्ल्यूएफ। 2. सुश्री प्रेरणा प्रसाद, साउथ एशिया कार्यक्रम ऑफिसर, साउथ एशिया ऑफिस ऑफ बिल्डिंग एण्ड वुड वर्कर्स इंटरनेशनल (बीडब्ल्यूआई), ग्लोबल यूनियन फेडरेशन वर्चुअल मोड प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए।

श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डॉक और सामान्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के लिए उनके सम्मलेन हॉल में 'कोविड-19 में ट्रेड यूनियनों के समक्ष चुनौतियाँ— महामारी की स्थिति' विषय पर दिनांक 03.02.2021 एक दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 34 प्रतिभागियों के लिए आयोजित किया गया था। 1. प्रतिभागियों का ज्ञान उन्नत किया गया। 2. ऑफलाइन कार्यक्रम महामारी की स्थिति में जीवित रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। 3. सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद किया। श्री राजीव जलोटा, आईएस, अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट और श्री सुधाकर अपराज, जी.बी. कार्यक्रम के दौरान सदस्य, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., महा सचिव, एमबीपीटी और जनरल कर्मचारी संघ उपस्थित थे।

कानपुर

असंगठित कामगारों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर द्वारा हंसखेड़ा, लखनऊ में दिनांक 02.02.2021 एवं 05.02.2021 को किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्रीमती संयुक्ता भाटिया, माननीय मेयर, लखनऊ समापन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना की और प्रतिभागियों से यह भी अपील की कि वे कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अपने दैनिक जीवन में शिक्षा का उपयोग करें। कार्यक्रम के दौरान, सभी प्रतिभागियों ने पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई के तहत अपना नामांकन कराया। कार्यक्रम के दौरान डीडीयू कौशल विकास के तहत नामांकित 12 प्रतिभागियों ने स्वावलम्बन समूह का गठन किया।

क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर द्वारा आबेट मार्केट, झाँसी में असंगठित श्रमिकों के लिए दिनांक 15.02.2021 से 16.02.2021 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। श्री हरगोविन्द कुशवाहा, माननीय राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार, झाँसी 02 दिवसीय विशेष कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम के दौरान, सभी प्रतिभागियों ने पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई के तहत अपना नामांकन कराया। कार्यक्रम के दौरान डीडीयू कौशल विकास के तहत नामांकित 10 प्रतिभागियों ने दो स्वावलम्बन समूह का गठन किया।

धनबाद

समुदेल मंडप में दिनांक 15.12.2020 से 16.12.2020 तक दो दिवसी एमसीएसपी कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा किया गया। कार्यक्रम अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने अर्थात् गोविंदा स्वावलम्बन समूह और पारखी महिला समिति ने 02 स्वावलम्बन समूहों का गठन किया। स्वयं सहायता समूह। पाँच महिला प्रतिभागियों ने परिवार में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नसबंदी कराने का फैसला किया है।

क्षेत्रीय निदेशालय, धनबाद द्वारा दिनांक 17.12.2020 से 18.12.2020 तक पंचायत सचिवालय भवन में दो दिवसीय पंचायती राज पदाधिकारी के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों द्वारा पंचायतीराज पदाधिकारियों की प्रशंसा की गई। उन्होंने रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में जागरूकता देने का निर्णय लिया है और जिले के बरमासिया गाँव के ग्रामीणों के लिए 20 मनरेगा जॉब कार्ड जारी किया।

बैंगलुरु

वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., बंगलुरु ने कौशल विकास कार्यक्रमों में नामांकन करने वाले युवाओं को आकर्षित करने के उद्देश्य से केनरा बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, चिक्कबल्लापुर के सहयोग से कार्यक्रमों का आयोजन किया है। द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. – सी.बी.आर.एस.ई.टी.आई. प्रयत्नों के कारण 150 पुरुषों और महिलाओं ने विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और वे अपने कौशल के साथ आजीविका कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक शामिल हुए।

वड़ोदरा

महिला श्रमिकों के लिए, हरसिद्धि नगर, करोदिया, जिला— वड़ोदरा में क्षेत्रीय निदेशालय, वड़ोदरा द्वारा दिनांक 07.01.2021 से 08.01.2021 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रतिभागियों ने स्वावलम्बन समूह का गठन किया और महिला श्रमिकों ने थ्री लेयर कॉटन मास्क बनाने का प्रशिक्षण लिया और थोक उत्पादन भी शुरू किया और समुदाय के गरीब और वंचित परिवार को आपूर्ति की और साथ ही उन्हें श्रमिकों के लिए आसपास के उद्योगों और स्वदेश संगठन से ऑर्डर मिला। इस प्रकार एसएचजी ने अपने नेक काम से देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद की और आर्थिक संकट और महामारी के समय में उन्हें कुछ अतिरिक्त आय भी मिली।

एससीएसपी कार्यकर्ता सामुदायिक हॉल, ग्राम सेवसी, जिला के लिए दिनांक 24.01.2021 से 25.01.2021 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। वड़ोदरा ग्रामीण महिला श्रमिकों ने द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो. से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्वावलम्बन समूह का गठन किया और उन्हें मत्स्य विभाग से जोड़ा गया था। प्रतिभागियों को मत्स्य विभाग से प्रशिक्षण लिया गया और स्थानीय तालाबों में मछली पालन शुरू किया गया और इस तरह

उन्हें महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आय का अतिरिक्त स्रोत मिला। द.ठं.रा.श्र.शि.वि.बो., वड़ोदरा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रेरित होकर प्रतिभागियों ने कोरोना से लड़ने के लिए कोविड-19 वैक्सीन भी लिया।

चंडीगढ़

फेडरल मोगुल गोएट्ज इंडिया लिमिटेड, बहादुरगढ़, पटियाला (पंजाब) में दिनांक 18.03.2021 से 19.03.2021 तक दो दिवसीय आवश्यकता आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रबंधन ने अपने विचार व्यक्त किए हैं “मैं यह पत्र व्यवहार प्रशिक्षण विषय पर दिनांक 18.03.2021 से 19.03.2021 तक आयोजित अद्भुत संगोष्ठी के लिए धन्यवाद देने के लिए लिख रहा हूँ। संगोष्ठी न केवल अत्यंत पेशेवर तरीके से आयोजित की गई थी, बल्कि विषय के बारे में साझा की गई सभी जानकारी उत्कृष्ट थी। साझा की गई प्रशिक्षण सामग्री और आयोजित की गई चर्चाएं अत्यधिक प्रेरक थीं।”

मुजफ्फरपुर

25 प्रशिक्षुओं के लिए वेबिनार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नालंदा, बिहार के माध्यम से दिनांक 20.08.2020 को एक दिवसीय संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. एम. ए. वॉघ, महाप्रबंधक द्वारा किया गया। उन्होंने सामाजिक चिकित्सक के रूप में कोविड अवधि के दौरान सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

गुवाहाटी

असम के कामरूप (मेट्रो) जिले के डिमोरिया विकास खंड के तहत सभागार बोरकुची गांव में दिनांक 13.10.2020 से 14.10.2020 तक 39 प्रतिभागियों के लिए क्षेत्रीय निदेशालय गुवाहाटी द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। निम्नलिखित 5 सदस्यों ने इसका लाभ उठाया। उन्होंने विभाग द्वारा प्रदान किए गए पावर टिलर खरीदने में सब्सिडी (जैसा कि कक्षा में चर्चा की गई है) के लिए आवेदन किया था। इन प्रतिभागियों द्वारा प्राप्त पावर टिलर्स के माध्यम से, वे अब इस सीजन में आजीविका पैदा कर रहे हैं।

कोलकाता

क्षेत्रीय निदेशालय, कोलकाता द्वारा दिनांक 04.01.2021 से 05.01.2021 तक 40 प्रतिभागियों के लिए श्रम कल्याण एवं विकास पर श्रमिक मेला (उन्नयन भवन) में दो दिवसीय विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री बिमान बंधोपाध्याय, माननीय अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल विधान सभा, पश्चिम बंगाल सरकार और श्री मोलोय घटक, माननीय मंत्री प्रभारी, श्रम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार भी उपस्थित थे।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डॉलीगंज, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 40 प्रतिभागियों के लिए 18.01.2021 से 19.01.2021 तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री कृष्ण कुमार, आईएस, सचिव (श्रम), अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और समापन भाषण दिया।

कानपुर

क्षेत्रीय निदेशालय, कानपुर द्वारा घई पैलेस, पंडित खेड़ा, सदरौना, लखनऊ में महिला श्रमिकों के लिए दिनांक 08.03.2021 से 09.03.2021 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में 40 प्रतिभागियों

ने भाग लिया। डॉ. सुचिता, चतुर्वेदी, माननीय सदस्य, उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि थीं। क्षेत्रीय निदेशक, द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. कानपुर ने उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की। इस अवसर पर श्री राज किशोर, डीआईजी, आईटीबीपी, लखनऊ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। श्री नीरज श्रीवास्तव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, बजाज एनर्जी लिमिटेड विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर राज्य आयुर्वेदिक कॉलेज, लखनऊ के विभागाध्यक्ष डॉ. शशि शर्मा विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान पीएम आयुष्मान भारत योजना, कौशल विकास, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान धन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना आदि पर चर्चा हुई। कार्यक्रम के दौरान दो स्वावलम्बन समूह अर्थात् राधा, माँ अम्बे का गठन हुआ। पीएमएसबीवाई के तहत 40 प्रतिभागियों ने खुद को नामांकित किया, 22 प्रतिभागियों ने पीएमजेजेबीवाई के तहत बीमा कराया।

कोचीन

माननीय अध्यक्ष श्री हिरणमय जे. पंड्या, क्षेत्रीय निदेशालय, कोचीन द्वारा दिनांक 23.12.2020 आयोजित एक दिवसीय स्वयं को.नि. कार्यक्रम के समापन समारोह में शामिल हुए। एडमिरल सुपरिंटेंडेंट, नेवल शिप रिपेयर यार्ड, श्री दीपक बेंसल, वीएसएम अन्य सेवा अधिकारियों और मानव संसाधन विभाग के साथ आयोजन को सफल बनाने में सफल भूमिका निभाई। सभी कोविड प्रोटोकॉल के साथ एनएसआरवाई प्रबंधन ने उत्कृष्ट तरीके से समारोह का संचालन किया।

परवाणू

पंचायतीराज पदाधिकारियों के लिए दिनांक 04.03.2021 से 05.03.2021 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम ग्राम दरलाघाट, ब्लॉक कुनिहार, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) में आयोजित किया गया। श्रीमती सोमा कुंडल, चेयर पर्सन और श्री के. तन्मय, प्रखंड विकास अधिकारी, कुनिहार कार्यक्रम में सम्मिलित थीं।

चंडीगढ़

पंचायतीराज पदाधिकारियों के लिए दिनांक 09.03.2021 से 10.03.2021 तक दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम रुपनगर (पंजाब) में आयोजित किया गया। रुपनगर (पंजाब)। इसमें 40 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसका उद्घाटन और अध्यक्षता श्री. चांद सिंह, बीडीपीओ श्री आनंदपुर साहिब ने किया। प्रतिभागियों को स्वावलम्बन समूहों के गठन और कोविड-19 वैक्सीन के लिए अत्यधिक प्रेरित किया गया।

बोर्ड के प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रभाव के रूप में स्वावलम्बन समूहों का गठन:

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वावलम्बन समूहों के महत्व और आवश्यकता पर चर्चा ने कार्यकर्ताओं को सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए स्वावलम्बन समूह बनाने के लिए प्रेरित किया। बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशालयों की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में प्रतिभागियों द्वारा लगभग 193 स्वावलम्बन समूहों का गठन किया गया।



सांख्यिकी सारणियाँ



रिपोर्ट में प्रयुक्त संक्षिप्त नाम

शि.अधि.	शिक्षा अधिकारी
क्षे.निदे.	क्षेत्रीय निदेशक
प्र.प्र.पा.	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
व्य.वि.का.	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम
प्र.पु.पा.	प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
सं.शै.का.	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम
आ.आ.प.	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद
इ.स्त.क.	इकाई स्तर की कक्षाएं
का.प्रौ.सा.क.	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं
आ.आ.वि.का.	आवश्यकता पर आधारित विशेष कार्यक्रम
अ.सं. / दु.व.	असंगठित / दुर्बल वर्ग
ग्रा.जा.शि.	ग्रामीण जागरूकता शिविर
बा.श्र. / बा.श्र.अ.	बाल श्रमिक / बाल श्रमिकों के अभिभावक
स्व.को.नि.का.	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम
श्र.क.वि.का.	श्रम कल्याण एवं विकास कार्यक्रम
ग्रा.श्र.स.शि. ग्रामीण श्रमिकों के लिए सशक्तीकरण शिविर	
आं.निदे.	ऑंचलिक निदेशक
शा.नि.	शासी निकाय

सारणी – I

ग्रामीण जागरूकता शिविरों में प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा

क्र. सं.	ग्रामीण श्रमिकों की श्रेणी	*पाँच दिवसीय शिविर 1977-84		**सशक्तीकरण शिविर (4 दिवसीय)				दो दिवसीय जागरूकता शिविर @			प्रतिभागियों की संख्या		
		कार्यक्रम	प्रतिभागी	2003-2020		2020-2021		1977-2020	2020-2021	कुल	1977-2020	2020-2021	कुल
				कार्यक्रम	प्रतिभागी	कार्यक्रम	प्रतिभागी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	भूमिहीन श्रमिक	328	12846	1284	50158	1	40	21920	722	22642	854783	27409	882192
2	खेतीहर श्रमिक तथा सीमान्त कृषक	969	38520	601	23638	0	0	34152	0	34152	1342698	0	1342698
3	मत्स्य श्रमिक	36	1479	32	1246	0	0	872	0	872	34117	0	34117
4	आदिवासी श्रमिक	91	3595	24	929	0	0	1228	0	1228	47777	0	47777
5	ग्रामीण कारीगर	57	2299	76	2948	0	0	1762	0	1762	67449	0	67449
6	वन श्रमिक	17	683	46	1769	0	0	459	0	459	17368	0	17368
7	शिक्षित बेरोजगार	163	6291	87	3413	0	0	2551	0	2551	99458	0	99458
8	बागान श्रमिक	0	0	49	1983	0	0	254	0	254	10166	0	10166
9	ग्रामीण श्रमिक (सामान्य)	290	11656	220	9258	0	0	10794	0	10794	425057	0	425097
	कुल	1951	77369	2419	95342	1	40	73827	722	74714	2898913	27409	2926322

सारणी – II
अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान ग्रामीण श्रमिक शिक्षा
प्रशिक्षित श्रमिकों का श्रेणीवार ब्यौरा

क्र. सं.	ग्रामीण श्रमिकों की श्रेणी	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	अ. जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	भूमिहीन श्रमिक	723	799	200	2304	3303	6641	1576	15889	24106	27409
2	खेतीहर श्रमिक तथा सीमान्त श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	मत्स्य श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ग्रामीण कारीगर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	वन श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	शिक्षित बेरोजगार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	बागान श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	आदिवासी श्रमिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	723	799	200	2304	3303	6641	1576	15889	24106	27409

सारणी - III

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान प्रशिक्षित श्रमिकों (ग्रामीण क्षेत्र)
का क्षेत्रीय निदेशालय अनुसार ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	33	96	-	406	502	199	-	619	818	1320
2	बरेली	14	16	-	50	66	210	-	246	456	522
3	चण्डीगढ़	7	21	-	13	34	84	-	162	246	280
4	दिल्ली	35	38	-	90	128	270	-	942	1212	1340
5	फरीदाबाद	2	-	-	-	-	40	-	27	67	67
6	गाज़ियाबाद	42	50	-	134	184	335	1	1076	1412	1596
7	गोरखपुर	29	34	-	69	103	395	-	568	963	1066
8	जम्मू	3	19	-	-	19	62	-	19	81	100
9	कानपुर	33	111	-	297	408	295	-	612	907	1315
10	परवाणू	12	49	-	74	123	113	-	211	324	447
	कुल उ.अं.	210	434	-	1133	1567	2003	1	4482	6486	8053
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	5	-	-	-	-	95	-	102	197	197
12	बैरकपुर	6	15	-	20	35	35	24	118	177	212
13	बरहामपुर	20	-	51	-	51	296	29	405	730	781
14	भुवनेश्वर	21	46	7	48	101	268	108	332	708	809
15	धनबाद	1	16	-	-	16	24	-	-	24	40
16	जमशेदपुर	2	-	2	7	9	-	30	26	56	65
17	कोलकाता	36	1	-	10	11	566	-	787	1353	1364
18	मुजफ्फरपुर	19	-	-	31	31	126	1	565	692	723
19	राँची	2	-	-	-	-	-	35	37	72	72
20	राऊरकेला	8	48	8	24	80	41	73	126	240	320
	कुल पू.अं.	120	126	68	140	334	1451	300	2498	4249	4583
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	15	22	-	14	36	173	150	204	527	563
22	वडोदरा	9	-	-	-	-	178	21	158	357	357
23	गोवा	15	-	3	109	112	-	50	432	482	594
24	मुम्बई	2	-	-	-	-	-	-	72	72	72
25	पुणे	16	2	-	11	13	63	1	560	624	637
26	राजकोट	7	-	-	-	-	-	-	244	244	244
27	नाशिक	3	-	-	-	-	13	19	88	120	120
	कुल पं.अं.	67	24	3	134	161	427	241	1758	2426	2587
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरु	7	-	-	-	-	37	-	196	233	233
29	चेन्नै	25	-	-	105	105	392	111	383	886	991
30	कोचीन	28	-	-	177	177	10	-	813	823	1000
31	कोयम्बतूर	29	48	-	134	182	216	-	747	963	1145
32	हुवेली	14	-	4	22	26	249	30	324	603	629
33	हैदराबाद	13	6	-	54	60	45	-	401	446	506
34	कोषिकोड	14	5	-	30	35	85	-	398	483	518
35	मद्रुरे	16	-	-	-	-	155	-	462	617	617
36	मंगलूरु	10	-	1	3	4	122	59	155	336	340
37	विजयवाड़	3	-	-	5	5	22	-	92	114	119
38	विशाखपट्टणम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल द.अं.	159	59	5	530	594	1333	200	3971	5504	6098
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	4	6	-	2	8	27	29	96	152	160
40	इम्फाल	10	-	-	81	81	2	-	296	298	379
41	सिलीगुड़ी	23	10	11	25	46	486	31	357	874	920
42	तिनसुकिया	2	-	-	-	-	2	1	77	80	80
	कुल उ.पू.अं.	39	16	11	108	135	517	61	826	1404	1539
	मध्य अंचल										
43	रायपुर	15	31	2	34	67	48	25	381	454	521
44	भोपाल	31	98	90	92	280	336	161	414	911	1191
45	ग्वालियर	4	2	-	2	4	80	-	75	155	159
46	इन्दौर	12	-	-	-	-	77	124	278	479	479
47	जबलपुर	21	2	3	94	99	138	82	394	614	713
48	जयपुर	15	3	5	23	31	94	31	354	479	510
49	नागपुर	16	-	-	1	1	100	81	368	549	550
50	उदयपुर	14	4	13	13	30	37	269	90	396	426
	कुल म.अं.	128	140	113	259	512	910	773	2354	4037	4549
	कुल योग	723	799	200	2304	3303	6641	1576	15889	24106	27409

सारणी – IV
अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान असंगठित क्षेत्र के
श्रमिकों के लिए सप्ताहिक प्रशिक्षण (4 दिवसीय)

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की सं.	पुरुष				महिला				सार्व. क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल योग
			अ. जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ. जा.	अ.ज. जा.	अन्य	योग			
	उत्तर अंचल												
1	इलाहाबाद	2	-	-	56	56	-	-	24	24	-	-	80
2	बरेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	दिल्ली	3	-	-	14	14	53	-	53	106	-	-	120
5	फरीदाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गाजियाबाद	1	-	-	17	17	-	-	23	23	-	-	40
7	गोरखपुर	1	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	40
8	जम्मू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	कानपुर	1	-	-	4	4	4	-	32	36	-	-	40
10	परवाणू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल उ.अ.	8	-	-	91	91	57	-	172	229	-	-	320
	पूर्व अंचल												
11	आसनसोल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	बैरकपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	बैरहामपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	भुवनेश्वर	1	-	-	-	-	6	-	34	40	-	-	40
15	धनबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	जमशेदपुर	1	-	-	6	6	-	-	34	34	-	-	40
17	कोलकाता	1	1	-	5	6	16	-	18	34	-	-	40
18	मुजफ्फरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	राँची	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	राऊरकेला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल पू.अ.	3	1	-	11	12	22	-	86	108	-	-	120
	पश्चिम अंचल												
21	अहमदाबाद	3	-	-	-	-	97	-	17	114	-	-	114
22	वडोदरा	1	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	40
23	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मुम्बई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	पुणे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	राजकोट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	नाशिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल प.अ.	4	-	-	-	-	97	-	57	154	-	-	154
	दक्षिण अंचल												
28	बैंगलूरु	1	-	-	-	-	8	2	30	40	-	-	40
29	चेन्नै	1	-	-	-	-	34	-	6	40	-	-	40
30	कोचीन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	कोयम्बतूर	1	10	-	-	10	30	-	-	30	-	-	40
32	हुबली	1	-	-	-	-	-	-	40	40	-	-	40
33	हैदराबाद	1	-	-	-	-	5	-	35	40	-	-	40
34	कोषिकोड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	मदुरै	1	-	-	-	-	3	-	37	40	-	-	40
36	मंगलूरु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	विजयवाड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	विशाखपट्टणम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल द.अ.	6	10	-	-	10	80	2	148	230	-	-	240
	उत्तर पूर्व अंचल												
39	गुवाहाटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	इम्फाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	सिलीगुड़ी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	तिनसुकिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल उ.पू.अ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	मध्य अंचल												
43	रायपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	भोपाल	1	-	-	-	-	1	-	39	40	-	-	40
45	ग्वालियर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	इन्दौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	जबलपुर	4	3	47	37	87	1	41	31	73	-	-	160
48	जयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	नागपुर	1	-	4	-	4	-	35	-	35	-	-	39
50	उदयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल म.अ.	6	3	51	37	91	2	76	70	148	-	-	239
	कुल योग	27	14	51	139	204	258	78	533	869	-	-	1073

सारणी - V
अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान प्रशिक्षित श्रमिकों (विशेष परिसंवाद)
का क्षेत्रीय निदेशालय अनुसार ब्यौरा

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	72	204	14	564	782	715	-	1337	2052	2834
2	बरेली	27	77	-	161	238	131	35	571	737	975
3	चण्डीगढ़	23	60	-	55	115	506	-	287	793	908
4	दिल्ली	102	37	-	218	255	512	-	3050	3562	3817
5	फरीदाबाद	52	169	-	278	447	626	-	870	1496	1943
6	गाजियाबाद	76	84	-	155	239	555	-	2060	2615	2854
7	गोरखपुर	57	53	-	212	265	711	-	1086	1797	2062
8	जम्मू	24	97	50	35	182	385	100	264	749	931
9	कानपुर	59	149	-	186	335	822	-	1203	2025	2360
10	परवाणू	13	24	2	19	45	153	19	249	421	466
	कुल उ.अ.	505	954	66	1883	2903	5116	154	10977	16247	19150
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	18	3	33	1	37	105	74	493	672	709
12	बैरकपुर	39	212	2	100	314	531	33	524	1088	1402
13	बेरहामपुर	36	12	59	146	217	455	163	553	1171	1388
14	भुवनेश्वर	69	80	30	471	581	391	153	1598	2142	2723
15	धनबाद	51	48	8	114	170	304	93	1473	1870	2040
16	जमशेदपुर	87	24	98	379	501	126	542	1951	2619	3120
17	कोलकाता	93	81	10	136	227	1540	61	1730	3331	3558
18	मुजफ्फरपुर	53	148	23	311	482	432	-	1142	1574	2056
19	राँची	31	9	40	90	139	12	701	385	1098	1237
20	राऊरकेला	18	10	49	41	100	71	199	349	619	719
	कुल पू.अ.	495	627	352	1789	2768	3967	2019	10198	16184	18952
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	77	62	1	112	175	802	141	1693	2636	2811
22	वडोदरा	33	39	23	77	139	429	20	726	1175	1314
23	गोवा	83	-	40	287	327	5	400	2540	2945	3272
24	मुम्बई	25	7	-	11	18	230	133	499	862	880
25	पुणे	49	-	-	9	9	349	88	1422	1859	1868
26	राजकोट	31	-	-	-	-	53	1	1005	1059	1059
27	नाशिक	20	22	7	36	65	183	111	386	680	745
	कुल प.अ.	318	130	71	532	733	2051	894	8271	11216	11949
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरु	78	22	-	48	70	413	106	2284	2803	2873
29	चेन्नै	109	-	9	-	9	2575	46	1719	4340	4349
30	कोचीन	53	46	14	423	483	102	41	1162	1305	1788
31	कोयम्बतूर	60	30	-	69	99	981	-	1250	2231	2330
32	हवेली	14	22	-	58	80	167	-	313	480	560
33	हैदराबाद	92	70	27	143	240	739	128	2464	3331	3571
34	कोषिकोड	32	17	-	151	168	140	-	775	915	1083
35	मद्रै	68	-	-	-	-	668	-	1972	2640	2640
36	मंगलूरु	72	-	-	4	4	624	209	1870	2703	2707
37	विजयवाड़ा	20	33	1	57	91	299	22	384	705	796
38	विशाखपट्टणम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल द.अ.	598	240	51	953	1244	6708	552	14193	21453	22697
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	14	9	19	45	73	46	215	175	436	509
40	इम्फाल	48	38	79	125	242	170	116	1343	1629	1871
41	तिनसुकिया	41	8	21	49	78	671	171	677	1519	1597
42	सिलीगुड़ी	20	-	1	19	20	41	154	532	727	747
	कुल उ.पू.अ.	123	55	120	238	413	928	656	2727	4311	4724
	मध्य अंचल										
43	रायपुर	38	14	3	1	18	242	210	824	1276	1294
44	भोपाल	103	76	51	151	278	1484	252	2074	3810	4088
45	ग्वालियर	23	11	1	21	33	257	48	504	809	842
46	इन्दौर	50	6	-	24	30	538	95	1234	1867	1897
47	जबलपुर	59	27	53	366	446	205	431	1153	1789	2235
48	जयपुर	42	74	8	87	169	543	109	643	1295	1464
49	नागपुर	60	27	17	14	58	505	390	1122	2017	2075
50	उदयपुर	37	15	35	24	74	219	614	275	1108	1182
	कुल म.अ.	412	250	168	688	1106	3993	2149	7829	13971	15077
	कुल योग	2451	2256	828	6083	9167	22763	6424	54195	83382	92549

सारणी - VI

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान दुर्बल वर्ग (4 दिवसीय)

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान दुर्बल वर्ग (4 दिवसीय)											
क्रं. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
उत्तर अंचल											
1	इलाहाबाद	1	5	-	-	5	35	-	-	35	40
2	बरेली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	दिल्ली	2	-	-	-	-	-	-	80	80	80
5	फरीदाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	गाजियाबाद	1	-	-	-	-	-	-	37	37	37
7	गोरखपुर	1	-	-	-	-	11	-	29	40	40
8	जम्मू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	कानपुर	1	-	-	-	-	1	-	39	40	40
10	परवाणू	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल उ.अ.		6	5	-	-	5	47	-	185	232	237
पूर्व अंचल											
11	आसनसोल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	बैरकपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	बैरहामपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	भुवनेश्वर	1	-	-	-	-	-	-	40	40	40
15	धनबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	जमशेदपुर	1	-	-	-	-	-	-	40	40	40
17	कोलकाता	1	-	-	-	-	24	-	16	40	40
18	मुजफ्फरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	राँची	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	राऊरकेला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल पू.अ.		3	-	-	-	-	24	-	96	120	120
पश्चिम अंचल											
21	अहमदाबाद	7	4	-	-	4	218	-	46	264	268
22	वडोदरा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मुम्बई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	पुणे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	राजकोट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	नाशिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल प.अ.		7	4	-	-	4	218	-	46	264	268
दक्षिण अंचल											
28	बैंगलूरु	2	-	-	-	-	5	-	75	80	80
29	चेन्नै	2	-	-	-	-	68	-	10	78	78
30	कोचीन	1	-	-	-	-	-	-	40	40	40
31	कोयम्बतूर	3	-	-	-	-	70	-	50	120	120
32	हुबली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	हैदराबाद	1	1	-	13	14	3	1	22	26	40
34	कोषिकोड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	मद्रै	1	-	-	-	-	1	-	39	40	40
36	मंगलूरु	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	विजयवाड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	विशाखपट्टणम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल द.अ.		10	1	-	13	14	147	1	236	384	398
उत्तर पूर्व अंचल											
39	गुवाहाटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	इम्फाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	तिनसुकिया	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	सिलीगुड़ी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल उ.पू.अ.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मध्य अंचल											
43	रायपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	भोपाल	1	3	-	-	3	34	-	3	37	40
45	ग्वालियर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	इन्दौर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	जबलपुर	2	-	-	22	22	3	36	19	58	80
48	जयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	नागपुर	1	-	-	-	-	31	-	5	36	36
50	उदयपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल म.अ.		4	3	-	22	25	68	36	27	131	156
कुल योग		30	13	-	35	48	504	37	590	1131	1179

सारणी - VII												
अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट												
क्र. सं.	गतिविधि	वार्षिक लक्ष्य	कार्यक्रम सं.	पुरुष				महिला				कुल योग
				अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	राष्ट्रीय स्तर											
1	उत्तर-पूर्व राष्ट्रीय स्तर (5 दिवसीय)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	क्षेत्रीय स्तर											
2	प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (45 दिवसीय)	-	1	9	-	23	32	-	-	3	35	
3	आदर्शता पर आधारित परिसंवाद (2 दिवसीय)	246	113	120	53	1396	1569	107	112	483	2271	
4	सीटीपीजी सहित स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (3 दिवसीय)	-	1	3	-	13	16	-	-	4	20	
5	प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (3 दिवसीय)	20	9	16	1	205	222	-	-	17	239	
6	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	494	623	595	493	7375	8463	419	415	2675	11972	
7	व्यक्तिगत विकास कार्यक्रम (10 दिवसीय)	4	2	-	-	-	-	4	22	34	60	
8	अ.जा./अ.ज.जा. के लिये सशक्तिकरण शिविर (4 दिवसीय)	-	1	-	7	-	7	-	33	-	40	
9	आवश्यकता पर आधारित परिसंवाद (1 दिवसीय)	-	15	-	40	228	268	9	9	148	434	
10	5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम (5 दिवसीय)	20	3	12	-	40	52	-	-	5	57	
	इकाई स्तर											
11	इकाई स्तर की कक्षाएं (अंशकालीन) (45 दिवसीय)	48	2	9	3	51	63	-	-	-	63	
12	संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम (2 दिवसीय)	370	85	81	30	1289	1400	34	22	236	1692	
13	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (2 दिवसीय)	147	30	28	23	433	484	-	4	30	518	
14	स्वयंकोष निर्माण कार्यक्रम (1 दिवसीय)	246	102	74	62	1722	1858	2	6	104	1970	
15	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (संगठित क्षेत्र) (4 दिवसीय)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (संगठित क्षेत्र) (2 दिवसीय)	26	2	3	-	38	41	3	-	36	80	
17	संयंत्र स्तर पर कक्षाएं (1 दिवसीय)	198	108	89	53	1264	1406	11	132	330	1879	
	कुल	1824	1097	1039	765	14077	15881	589	755	4105	21330	
	असंगठित क्षेत्र											
18	असंगठित क्षेत्र के लिए सशक्तिकरण शिविर (4 दिवसीय)	20	27	14	51	139	204	258	78	533	1073	
19	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (4 दिवसीय)	9	14	43	17	216	276	43	16	223	558	
20	जीवन की गुणवत्ता कार्यक्रम (असंगठित क्षेत्र) (2 दिवसीय)	37	48	220	39	672	931	220	41	672	1864	
21	उत्तर-पूर्व राज्य स्तरीय कार्यक्रम (3 दिवसीय)	55	24	8	11	99	118	20	36	546	720	
22	एससीएसपी के लिए सशक्तिकरण शिविर (2 दिवसीय)	851	1087	3858	1	11	3870	37167	67	242	41346	
23	विशेष अनु.जा. श्रमिकों के लिए एससीएसपी (2 दिवसीय)	454	496	31	2825	4	2860	36	15744	3	18643	
24	कोविड- 19 (2 दिवसीय)	133	174	112	26	585	723	1333	310	3964	6330	
	दुर्बल क्षेत्र											
25	दुर्बल वर्ग के लिये सशक्तिकरण कार्यक्रम (4 दिवसीय)	20	30	13	-	35	48	504	37	590	1179	
26	पथर तोड़ने वाले श्रमिकों के लिये कार्यक्रम (2 दिवसीय)	10	5	10	-	15	25	90	-	56	171	
	विशेष परिसंवाद											
27	असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	261	699	535	78	2060	2673	5618	1155	16943	26389	
28	महिला श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	246	593	-	-	8	8	5124	1221	16215	22568	
29	बाल श्रमिकों के अभिभावकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	109	83	72	22	135	229	822	209	1896	3156	
30	बाल श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	-	5	6	4	29	39	5	112	44	200	
31	अ.जा./अ.ज.जा. श्रमिकों के लिये विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	148	186	477	289	-	766	4246	1969	34	7015	
32	श्रम कल्याण एवं विकास पर विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	233	401	265	112	1293	1670	3216	675	9297	14858	
33	पंचायती राज (2 दिवसीय)	86	29	137	33	264	434	225	59	313	1031	
34	परिवर्तनात्मक कार्यक्रम (1 दिवसीय)	-	6	-	-	135	135	-	-	131	266	
35	प्रवासी श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम (2 दिवसीय)	540	449	764	290	2159	3213	3507	1024	9322	17066	
	उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज											
36	उत्तर-पूर्व पंचायती राज विशेष कार्यक्रम (3 दिवसीय)	22	25	26	18	267	311	37	24	319	691	
	कुल	3234	4381	6591	3816	8126	18533	62471	22777	61343	165124	
	ग्रामीण क्षेत्र											
37	ग्रामीण जागरूकता शिविर (2 दिवसीय)	475	722	799	200	2281	3280	6641	1576	15872	27369	
38	ग्रामीण क्षेत्र हेतु सशक्तिकरण शिविर (4 दिवसीय)	-	1	-	-	23	23	-	-	17	40	
	मनरेगा											
39	मनरेगा ग्राम स्तर पर कार्यक्रम (2 दिवसीय)	222	288	247	147	695	1089	2681	892	6158	10820	
	कुल	697	1011	1046	347	2999	4392	9322	2468	22047	38229	
	कुल योग	5755	6489	8676	4928	25202	38806	72382	26000	87495	224683	

सारणी – VIII

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान ग्रामीण स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम (2 दिवसीय)

क्र. सं.	क्षेत्रीय निदेशालय	कार्यक्रमों की संख्या	पुरुष				महिला				कुल योग
			अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	अ.जा.	अ.ज.जा.	अन्य	योग	
	उत्तर अंचल										
1	इलाहाबाद	6	25	-	65	90	40	-	110	150	240
2	बरेली	4	18	36	59	113	-	-	50	50	163
3	चण्डीगढ़	2	9	-	2	11	49	-	20	69	80
4	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	फरीदाबाद	4	-	-	15	15	94	-	46	140	155
6	गाज़ियाबाद	11	-	-	72	72	155	1	192	348	420
7	गोरखपुर	7	-	-	15	15	36	-	196	232	247
8	जम्मू	3	-	-	4	4	41	-	75	116	120
9	कानपुर	8	4	-	63	67	38	-	215	253	320
10	परवाणू	3	11	7	1	19	28	33	39	100	119
	कुल उ.अ.	48	67	43	296	406	481	34	943	1458	1864
	पूर्व अंचल										
11	आसनसोल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	बैरकपुर	4	16	-	1	17	96	2	31	129	146
13	बैरहामपुर	2	-	-	-	-	7	-	71	78	78
14	भुवनेश्वर	12	6	-	13	19	148	-	306	454	473
15	धनबाद	8	-	-	21	21	9	-	290	299	320
16	जमशेदपुर	4	-	2	9	11	-	54	50	104	115
17	कोलकाता	13	6	-	-	6	274	1	239	514	520
18	मुज़फ्फरपुर	6	16	-	22	38	65	-	121	186	224
19	राँची	5	4	24	18	46	8	120	16	144	190
20	राऊरकेला	8	5	17	8	30	42	133	113	288	318
	कुल पू.अ.	62	53	43	92	188	649	310	1237	2196	2384
	पश्चिम अंचल										
21	अहमदाबाद	10	4	-	20	24	89	-	230	319	343
22	वडोदरा	2	-	-	-	-	79	1	-	80	80
23	गोवा	4	-	-	24	24	-	-	121	121	145
24	मुम्बई	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	पुणे	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	राजकोट	2	-	-	-	-	-	-	80	80	80
27	नाशिक	2	-	-	-	-	20	55	4	79	79
	कुल प.अ.	20	4	-	44	48	188	56	435	679	727
	दक्षिण अंचल										
28	बैंगलूरु	6	-	-	2	2	22	-	151	173	175
29	चेन्नै	15	-	-	5	5	274	30	290	594	599
30	कोचीन	16	6	-	116	122	30	-	436	466	588
31	कोयम्बतूर	7	2	-	12	14	65	-	201	266	280
32	हुबली	4	13	-	10	23	67	-	70	137	160
33	हैदराबाद	8	17	-	4	21	73	10	195	278	299
34	कोषिकोड	10	9	-	28	37	113	6	209	328	365
35	मद्रै	6	-	-	-	-	46	-	194	240	240
36	मंगलूरु	8	-	-	1	1	12	36	217	265	266
37	विजयवाड़	2	2	-	-	2	61	2	15	78	80
38	विशाखपट्टणम	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल द.अ.	82	49	-	178	227	763	84	1978	2825	3052
	उत्तर पूर्व अंचल										
39	गुवाहाटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	इम्फाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	तिनसुकिया	2	2	-	8	10	38	-	31	69	79
42	सिलीगुड़ी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल उ.पू.अ.	2	2	-	8	10	38	-	31	69	79
	मध्य अंचल										
43	रायपुर	10	12	-	-	12	74	39	227	340	352
44	भोपाल	18	26	17	16	59	151	34	422	607	666
45	ग्वालियर	4	15	-	14	29	48	-	83	131	160
46	इन्दौर	7	-	-	-	-	83	-	197	280	280
47	जबलपुर	10	8	34	10	52	40	161	97	298	350
48	जयपुर	10	11	-	37	48	118	-	199	317	365
49	नागपुर	11	-	-	-	-	46	61	308	415	415
50	उदयपुर	4	-	10	-	10	2	113	1	116	126
	कुल म.अ.	74	72	61	77	210	562	408	1534	2504	2714
	कुल योग	288	247	147	695	1089	2681	892	6158	9731	10820

सारणी – IX प्रशिक्षित शिक्षा अधिकारियों, प्रशिक्षकों एवं श्रमिकों की संख्या (1958-2021)										
योजना/वर्ष	शिक्षा अधिकारी	प्रशिक्षक	व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	श्रमिक			श्रमिक			
				इकाई स्तर कक्षाएं	अल्प कालीन कार्यक्रम	ग्रामीण स्वयं सेवक	ग्रामीण जागरूकता शिविर	असंगठित क्षेत्र शिविर	कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाएं	अनुदान ग्राहियों द्वारा
दूसरी योजना (1958-61)	100	1070		9070						0
तीसरी योजना (1961-66)	217	6340		309470						2371
वार्षिक योजना (1966-69)	59	9055		419823	105975					9187
चौथी योजना (1969-74)	36	14856		802394	307591					72987
पाँचवी योजना (1974-78)	44	15166		720458	485594		6214			110393
वार्षिक योजना (1978-79)	46	3955		213677	91306		7386			25417
(1979-80)		3927		185891	38563		17671	5241	4149	25911
छठवी योजना 1980-85	56	15984	3087	667160	32970	589	268556	86691	116551	124106
सातवी योजना 1985-90	78	6588	19677	279194	170485	236	451936	60027	64749	123121
वार्षिक योजना 1990-91		1209	3957	52385	46041	169	139798	17138	13607	15056
1991-92	24	1305	3904	52424	47504	124	136861	18321	9972	15544
आठवी योजना 1992-97	75	5721	17397	230281	240562	1054	494239	84909	40258	59424
नौवी योजना 1997-2002		2737	16495	112171	706939	149	403588	187672	9310	36926
दसवी योजना 2002-2007	81	1470	10606	28071	336173	0	516765	623111	1698	30369
ग्यारहवी योजना 2007-2012		1134	7275	15361	279644	0	500276	700630	343	24922
वार्षिक योजना 2012-2013		204	1158	2318	46542		90442	281710	366	2322
वार्षिक योजना 2013-2014		195	988	1757	47169	0	91742	285992	185	2847
वार्षिक योजना 2014-2015		185	1075	2306	43437	0	66564	237208	51	3134
वार्षिक योजना 2015-2016		83	417	1726	43607	0	83696	337099	0	240
वार्षिक योजना 2016-2017	0	16	468	1199	54578	0	58736	216560	0	0
वार्षिक योजना 2017-2018	0	0	302	563	50303	0	51109	209435	0	0
वार्षिक योजना 2018-2019	0	24	353	562	40825	0	42243	167675	0	0
वार्षिक योजना 2019-2020	0	20	567	348	59116	0	18938	107949	0	0
वार्षिक योजना 2020-2021			177	63	21953	0	38229	164858	0	0
कुल योग	816	91200	86983	4107762	3196936	2321	3423808	3516602	261239	684277

सारणी – X

अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 के दौरान श्रम संघ संगठनों और अन्य निकायों/संस्थानों को प्रदत्त सहायता अनुदान

क्र. सं.	संगठन	संघों की संख्या	31 मार्च, 2020 तक प्रदत्त राशि	अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक प्रदत्त राशि	मार्च, 2021 तक प्रदत्त कुल राशि	मार्च, 2021 प्रशिक्षित श्रमिक
1	2	3	4	5	6	7
निम्न केन्द्रीय श्रमिक संघों से सम्बद्ध श्रम संघ केन्द्रीय संगठन						
1	भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस)	184	3,566,322.43	15,930.00	3,591,522.43	50385
2	इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काँग्रेस (इंटक)	363	5,702,939.00		5,702,939.00	165577
3	ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन काँग्रेस (एटक)	162	3,479,053.03		3,479,053.03	86831
4	हिन्द मजदूर समा (एचएमएस)	111	3,103,274.82		3,103,274.82	89625
5	सेंटर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन	16	91,564.04		91,564.04	2699
6	युनाईटेड ट्रेड यूनियन काँग्रेस	8	30,071.05		30,071.05	2522
7	नेशनल फ्रंट ऑफ इण्डिया ट्रेड यूनियन	15	166,405.67		166,405.67	10743
8	राष्ट्रीय श्रम संगठन	27	1,130,237.76		1,130,237.76	32848
9	हिन्द मजदूर पंचायत	15	44,062.25		44,062.25	2555
10	हिन्द खेत मजदूर पंचायत	1	118,976.00		118,976.00	1960
11	नेशनल फेडरेशन					
	क) ऑल इण्डिया पोर्ट एण्ड डॉक वर्कर्स फेडरेशन	3	71,159.95		71,159.95	1458
	ख) ऑल इण्डिया डिफेंस एम्प्लोईज फेडरेशन	28	459,934.64		459,934.64	20763
	ग) ऑल इण्डिया केमिकल एण्ड फार्मासुटिकल एम्प्लोईज एसोसिएशन	1	2,109.75		2,109.75	83
	घ) ऑल इण्डिया पी एण्ड टी एम्प्लोईज फेडरेशन	1	3,177.00		3,177.00	225
	ङ) ऑल इण्डिया रेलवेमेन्स फेडरेशन	1	17,106.15		17,106.15	519
	च) ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लोईज फेडरेशन	2	121,184.23		121,184.23	3402
	छ) इण्डियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन	1	26,781.90		26,781.90	454
	ज) नेशनल फेडरेशन ऑफ इम्प्लोईज ऑफ द गर्वमेंट ऑफ इंडिया प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी	1	4,574.70		4,574.70	262
	झ) ऑल इण्डिया रिजर्व बैंक वर्कर्स फेडरेशन	3	8,331.60		8,331.60	159
	ञ) ऑल इण्डिया मेडिकल एण्ड हैल्थ एम्प्लोईज फेडरेशन, कोलकाता	1	693.00		693.00	40
	ट) ऑल इण्डिया इन्श्योरेंस कॉर्पोरेशन फेडरेशन	6	48,774.95		48,774.95	784
	ठ) ऑल इण्डिया कॉन्फेडरेशन ऑफ सी.जी.ओ. एसोसिएशन	1	1,444.50		1,444.50	40
	ड) ऑल इण्डिया बैंक इम्प्लोईज फेडरेशन	4	11,894.00		11,894.00	1256
	ढ) ऑल इण्डिया कन्टोनमेंट इम्प्लोईज फेडरेशन	1	3,082.50		3,082.50	82
	ण) ऑल इण्डिया न्यूजपेपर इम्प्लोईज फेडरेशन	1	17,755.90		17,755.90	400
	त) एल.पी.एफ. (राज्य स्तरीय फेडरेशन)	3	78,345.65		78,345.65	2231
12	एस.एल.एफ. (राज्य स्तरीय फेडरेशन)	60	406,313.70		406,313.70	26600
13	स्वतंत्र श्रमिक संघ	309	4,453,860.10		4,453,860.10	116261
14	शैक्षणिक संस्थाएं	15	74,089.41		74,089.41	7196
15	सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट XXI, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत अन्य निकाय	249	4,953,181.94		4,969,111.94	56647
	कुल	1593	28,196,701.62	15,930.00	28,237,831.62	684607

वार्षिक लेखा

वित्तीय वर्ष

2020–2021



दत्तोपंत ठेंगड़ी
राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड
भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय



के.पी. यादव

महानिदेशक, लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय)

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक का कार्यालय (केन्द्रीय)
सी-25, लेखा परीक्षा भवन, आयकर भवन के पीछे,
बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई- 400 051
दूरभाषः(022) 26571752 / 41 / 42 / 36, फैक्स: 2657 2451
डी.ओ.सं. डीजीए(सी)/मु./सी एण्ड एबी/प्रबंधन पत्र/
डीटीएनबीडब्ल्यूईडी, नागपुर/20-21/33,
दिनांक : 07 अप्रैल, 2022

प्रिय महोदय,

मैंने वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर की वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा की है तथा दिनांक 07.04.2022 को लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी की है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निम्नलिखित त्रुटियाँ, जोकि लेखा परीक्षा रिपोर्ट में समावेश नहीं की गई थीं, को आपके सुधारक तथा उपचारी कार्रवाई हेतु ध्यान में लाया जा रहा है:-

1. बोर्ड ने आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार अंकित मूल्य पर मूल्यहास को अंगीकार कर लिया है। विवरण-I में यथा उल्लिखित दर की यथार्थता न होने से बोर्ड ने रुपये 2.29 लाख की अधिक मूल्यहास की गणना किया है (प्रति संलग्न)। परिणामस्वरूप आस्तियों का विवरण रुपये 2.59 लाख कम बताया गया है तथा व्यय को अधिक बताया गया है।
2. रुपये 14640 का समय अनुबंधित चेक सं. 374947, दिनांक 16.03.2020 को आय के रूप में नहीं लिखा गया है, (द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., मुदरै)।

सादर,

आपका

संलग्न: उपर्युक्त

हस्ता/-
(के. पी. यादव)

श्री हर्ष वैद्य,
निदेशक,
दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक
शिक्षा एवं विकास बोर्ड,
उत्तर अंबाझरी मार्ग, नागपुर- 440033

क्र सं.	संपत्ति का नाम	राशि (रुपये में)			जोड़ का महीना	मूल्य हास की दर (%)	मूल्यहास		
		प्रारंभिक जमा	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	मुख्यालय के अतिरिक्त			बोर्ड खाते के अनुसार	वास्तविक डब्ल्यूडीए के प्रति	अंतर
1	मोटर और अन्य वाहन	429293.17	1361717.9	1361717.9	मार्च, 21	7.5	268651.66	166522.8225	102128.84
2	फर्नीचर	4567361.92	473220	202790	जुलाई, 20	10	504058	4906315	13426.50
				268530	मार्च, 21	5			
3	कार्यालय उपस्कर	4053557.24	640491	316261	जुलाई, 20	7.5	704107	680387.425	23719.57
4	कम्प्यूटर सामग्री	1061213.06	1712695	166300	जुलाई, 20	40	1109563	1028105.6	81457.40
				407287	मार्च, 21	20			
5	दृश्य-श्रव्य साधन	689010.66	510973.00	510973.00	मार्च, 21	7.5	17997.55	141674.575	38322.97
	कुल		4699096.90	3233858.9			2766377.21	2507321.92	259055.29



सत्यमेव जयते

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक का कार्यालय (केन्द्रीय)
सी-25, लेखा परीक्षा भवन, आयकर भवन के पीछे,
बान्द्रा, कुर्ला काम्प्लेक्स, मुंबई- 400 051
दूरभाषः(022) 2657 2578, फ़ैक्स: 2657 2451

इपीएबीएक्स: 2657 1750/41/42/36, फ़ैक्स: 657 2951/657 2451

सं.म.नि.ले.प.(के.)/ना.एवं.स्वा.नि./एस.ए.आर./20-21/डीटीएनबीडब्ल्यूईडी नागपुर/

दि. 07.04.2022

सेवा में,
सचिव,
भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली- 110 001

विशय: वर्ष 2020-21 के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखाओं पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन...

महोदय,

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखों पर पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ संसद के दोनों सदनों की पटल पर प्रस्तुत करने हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

- 1) वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखे
- 2) अनुबंधक सहित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन-सह-लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र।

कृपया संसद में प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियाँ एवं सदनों में उनकी प्रस्तुति की तिथि के संबंध में सूचना इस कार्यालय को अग्रेषित की जाए।

कृपया पत्र की प्राप्ति की सूचना दें।

यह पत्र महानिदेशक ऑडिट (केन्द्रीय), मुंबई के अनुमोदन के साथ जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

हस्ता/—

संलग्नक: यथोपरि।

उप निदेशक/ना.एवं.स्वा.नि.

सं.म.नि.ले.प.(के.)/ना.एवं.स्वा.नि./एस.ए.आर./20-21/डीटीएनबीडब्ल्यूईडी नागपुर/31

दि.07.04.2022

सेवा में,

महानिदेशक

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर — 440 033

अनुबंधक के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जा रही है। संसद में दस्तावेजों की प्रस्तुति की तिथि एवं उनकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।

हस्ता/—

उप निदेशक/ना.एवं.स्वा.नि.

संलग्नक: उपर्युक्त।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखा पर भारतीय नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2021 को दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के अंतर्गत लेखा परीक्षा कर ली हैं। 2022-23 की अवधि तक लेखा परीक्षा सौंपी गई है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है।

2. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखाकरण पद्धतियाँ, लेखाकरण मानदण्डों एवं अनावृत मानकों आदि सहित वर्गीकरण, अनुरूपता से संबंधित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं दक्षता-सह-निष्पादन तथ्य आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट्स नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है।
3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा संचालित किया है। सामग्रियों के यथार्थ विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें लेखा परीक्षा की योजना बनाना एवं निष्पादित करना इन मानकों के लिए अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों में राशि के पक्ष में एवं विपक्ष में साक्ष्य जाँच आधार पर परीक्षण करना लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों में सर्वांगीण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में एक यथार्थ आधार मुहैया कराती है।
4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है:
 - (i) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।
 - (ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया है।
 - (iii) हमारी राय में बोर्ड द्वारा लेखा की उचित पुस्तकें एवं अन्य संगत अभिलेख यथा अपेक्षित बनाये रखे गये हैं जैसा कि हमने ऐसी पुस्तकों की जाँच की है।
 - (iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. सामान्य टिप्पणी:

1. "चालू देयताएं एवं प्रावधान" के अधीन विविध लेनदारों को सेवानिवृत्त लाभ, बिजली, जल प्रभार, छुट्टी की नकदीकरण आदि के साथ समाविष्ट किया गया है। विविध प्रावधानों के साथ सेवानिवृत्त लाभ के लिए अलग से प्रावधान को समाविष्ट नहीं किया गया है। लेखा के प्रस्तुतीकरण में अलग से लेखा शीर्ष एवं पारदर्शिता के उद्देश्यों का पालन नहीं किया गया है।
2. समग्र/पूँजीगत निधि (अनुसूची 1) रुपये 11.98 करोड़ को रुपये 50,000 प्रकट किया गया है। लेखा के मानक प्रपत्र के अनुसार कर्मचारी आस्ति हैं। कर्मचारियों को दी गई वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम वसूली योग्य है। तथापि बोर्ड ने उपर्युक्त को पूँजीगत व्यय के रूप में प्रकट किया है और इसे समग्र निधि में समाविष्ट किया है। पिछली अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख करने के बावजूद भी प्रबंधन में कोई उपचारी कार्यवाही नहीं किया है।
3. अवितरित डी.बी.टी. राशि रुपये 82.69 लाख (तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित) अनुदान देने वाले को वापस करने के बजाए समग्र निधि में प्रकट किया गया है।
4. मार्च, 2021 का वेतन बोर्ड के वार्षिक लेखा में उपलब्ध नहीं कराया गया था, अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक के लेखा वर्ष का प्रोद्भवन आधार पर पालन किए बिना मार्च, 2020 से फरवरी, 2021 का वास्तविक आधार पर गणना की गई है, जो कि अनियमित है।
5. बोर्ड ने यथा अपेक्षित लेखाकरण मानक 15 के अनुसार वास्तविक आधार पर पेंशन, ग्रेच्युटी एवं छुट्टी के भुगतान जैसे सेवानिवृत्त लाभ का प्रावधान नहीं किया है। पिछली अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी करने के बाद भी प्रबंधन में सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
6. i) अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान के अधीन अन्य जमा में रुपये 62.86 लाख प्रकट किया गया है।, जिसमें जीएसएलआई की बीमा किस्त, वेतन से स्रोत पर कर कटौती, व्यवसाय कर, सीजीएचएस अंशदान आदि के जमा का समावेश किया गया है जिसे "सांविधिक देयताएं" के अधीन स्पष्ट रूप से गणना में लिया गया है।
ii) आयकर एवं व्यवसाय कर के संबंध में देयताएं अन्य क्षेत्रीय निदेशालयों की देयताएं सकल राशि के बजाए भुगतान एवं स्रोत पर कर कटौती को दर्ज करके मुख्यालय की लेखा बही में प्रकट किया गया है।
7. अनुसूची 7— चालू देयताएं: विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों को सामान्य भविष्य निधि अग्रिम का संवितरण हेतु देयताएं के रूप में रुपये 6.99 लाख को समाविष्ट करके चालू देयताएं के अधीन प्रकट किया गया है जोकि वर्ष 2012-13 अथवा इससे पहले की अवधि से संबंधित यथादेय रुपये 2.99 लाख समाविष्ट किया गया है। पिछली अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद भी प्रबंधन ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।
8. प्राप्त होने वाली सामान्य भविष्य निधि के कारण रुपये 1.16 करोड़ की राशि को "अनुदान, सा.भ.नि., गृ.नि.अ. एवं सी.टी.पी." शीर्ष के अधीन चाले आस्तियाँ (अनुसूची 11) को समाविष्ट किया गया है। तथापि सा.भ.नि. तुलन पत्र के अनुसार बोर्ड के खाते में देय देयता रुपये 1.04 करोड़ प्रकट की गई है। रुपये 12 लाख के अंतर को समाधान करने की आवश्यकता है।

9. (i) रुपये 9.62 लाख के पारगमन (अनुसूची-11) में प्रेषण रु.30,314.48 के बैंक शेष (पूर्वोत्तर क्षेत्र बचत बैंक खाता संख्या 10984001294) में शामिल है।
 (ii) इसमें 2019-20 से पहले की अवधि से संबंधित रु.8.22 लाख भी शामिल है।
 (iii) सामान्य भविष्य निधि तुलनपत्र रु.3.65 लाख के पारगमन में 'राऊरकेला' केन्द्र से संबंधित रु.1.36 लाख अप्रैल, 2020 से बकाया और दिल्ली केन्द्र से संबंधित "पारगमन में प्रेषण" 2019-20 से पहले से लंबित था।
 (iv) एनपीएस की प्राप्ति और भुगतान खाते में रु.4,132 की राशि को अथ शेष एवं जमा शेष को 'पारगमन में प्रेषण' एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। यह खराब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है।
10. रुपये 29,66,90.211, के स्थान पर रुपये 29,66,90,391 जमा लेखा शेष (अनुसूची 11) सावधि जमा प्रकट की गई है। एफडी आर सं. 37559315081 (स्रोत पर कर कटौती वापस) का अंतर था जिसका दिनांक 26.02.2021 को नवीकरण किया गया और रुपये. 3946793 गलती से खाते में लिया गया है और बैंक द्वारा रुपये 180 टी.डी.एस. काटा गया है।
11. गृह निर्माण अग्रिम खाता, भारतीय स्टेट बैंक खाता सं. 10984000370 के संबंध में दिनांक 31.03.2021 को बैंक समाधान विवरण इंगित करता है कि खाता के अनुसार जमा शेष रुपये 30019.79 है और बैंक के अनुसार जमा शेष रुपये 2445979 है। इसलिए रुपये 5560 का अंतर है जोकि वर्ष 2005-06 से पहले का है, जिसे बैंक ने स्वीकार नहीं किया है।
12. सा.भ.नि. तुलनपत्र के अनुसार, सा.भ.नि. के जमा शेष में रु.3,876.66 लाख की राशि दिखाई गई, जबकि सा.भ.नि. लेजर अकाउंट (ब्रॉड शीट) में रु.3,882.62 लाख के समान ही दर्शाया गया। इस प्रकार, रु.6.01 लाख का अंतर था जिसे समाधान करना आवश्यक था। पूर्व में एस.ए.आर. में इंगित किये जाने के बावजूद प्रबंधन ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।
13. मुख्यालय से प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्राप्त गैर-योजनागत धनराशि रु.94.26 लाख तथा चेक रजिस्टर के अनुसार रु.87.44 लाख थी। रु. 6.82 लाख के अंतर का समाधान नहीं किया गया। (द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., मदुरै)
14. कैश बुक के अनुसार जमा शेष और बैंक के अनुसार जमा शेष के बीच रु.63,677.50 का असमाशोधित अंतर था। (द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., मदुरै)
15. बोर्ड ने चालू वर्ष के के.लो.नि.वि. के साथ-साथ पिछले वर्षों के रु.43.40 लाख के अग्रिम/जमा राशि को समग्र निधि में जोड़ा और जमा/अग्रिमों की वापसी आदि की समायोजन प्रविष्टियाँ करके निधि को रुपये 1.05 करोड़ कम कर दिया। हालांकि खातों का एक समान प्रारूप, पूंजीगत कार्यों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम अनुसूची 11 में वसूली योग्य अग्रिमों में दिखाया जाना चाहिए। लेखांकन को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, बोर्ड को पूंजी अग्रिम के उपचार और पूंजी के रूपांतरण के संबंध में एक नीति तैयार करने की आवश्यकता है।
16. आगे अनुसूची 11 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि पूंजी खाते/के.लो.नि.वि. जमा

राशियों पर अग्रिमों के रु.2.86 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि दिखाया गया है। चालू वर्ष के लेन-देन के रूप में खातों के माध्यम से बही समायोजन के कारण इस घटाकर रु.75.65 लाख कर दिया गया था जो कि अनियमित था और सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना था।

ग) सहायता अनुदान

वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड ने भारत सरकार से रु.84.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया। (ओएच-31 सामान्य- रु.16.50 करोड़ और ओएच-36-वेतन-रु.68.00 करोड़) और रु.91.13 करोड़ का उपयोग किया, जिसमें अतिरिक्त व्यय रु.6.63 करोड़ था। हालाँकि, उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार, यह क्रमशः रु.90.59 करोड़ और रु.6.09 करोड़ था। इसके अलावा, पिछले वर्षों के अनुदान पर रु. 13.30 लाख की राशि अर्जित ब्याज को खातों में देयता के रूप में दर्ज किया गया था लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र में नहीं दिखाया गया था। बोर्ड द्वारा उत्पन्न आंतरिक राजस्व रुपये 2.91 करोड़ था।

रु. 58.43 लाख के पूंजीगत व्यय को राजस्व अनुदान (संपत्ति की खरीद - रु.46.99 लाख, वाहन और कम्प्यूटर अग्रिम के लिए रु. 50,000 का अग्रिम और सीपीडब्ल्यूडी जमा के रूप में रु. 10.94 लाख जमा) के तहत बुक किया गया है, जो लेखांकन के विपरीत है। जोकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट अनुमोदन के बिना किया गया है।

- i) पिछले पैराग्राफ में हमारे अवलोकन के अधिन हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा आवतियाँ एवं भुगतान लेखा आदि इस रिपोर्ट से संबंधित खाता बही के अनुरूप हैं।
 - ii) हमारी राय और हमारी बेहतर जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, इस लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखा की टिप्पणी के साथ संलग्न उपर्युक्त वित्तीय विवरण तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में उल्लिखित अन्य महत्वपूर्ण मामलों भारत में स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों के साथ अनुपालन की दृष्टि से सत्य एवं सही विचार प्रकट करते हैं।
- क. जहाँ तक यह द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बोर्ड, नागपुर के मामलों की स्थिति के बारे में 31 मार्च, 2021 तक की तुलनपत्र से संबंधित है और
- ख. जहाँ तक वर्ष की समाप्ति तक अधिशेष के आय एवं व्यय लेखा से संबंधित है ।

कृते एवं की ओर से

भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक

हस्ता/-

स्थान: मुंबई

दिनांक: .04.2022

प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक (केन्द्रीय), मुंबई

संलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता:

आंतरिक लेखा परीक्षा कमजोर है क्योंकि बोर्ड द्वारा न तो आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा और न ही आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली तैयार की गई है। वर्ष 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 की अवधि के लिए बोर्ड की आंतरिक लेखा परीक्षा अभी पूरी होनी बाकी है। इकाइयों के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा लंबित रही है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- ग्वालियर इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2016–17 से लंबित है।
- जबलपुर इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2016–17 से लंबित है।
- उदयपुर इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2015–16 से लंबित है।
- मंगलुरु इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2012–13 से लंबित है।
- भोपाल इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2014–15 से लंबित है।
- मदुरै इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2017–18 से लंबित है।
- हुबली इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2017–18 से लंबित है।
- परवाणू इकाई की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है।
- प्रयागराज इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2017–18 से लंबित है।
- कानपुर इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2016–17 से लंबित है।
- 2002–03 से लंबित बरेली इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता:

बोर्ड की समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह कमजोर है और निम्नलिखित कारणों के लिए बोर्ड के आकार एवं प्रकृति अनुरूप प्रतीत नहीं होती है:

- बोर्ड ने सकल राशियों को बुक करने के बजाय टीडीएस की राशि बुक कर दिया।
- नकद और बैंक शेष क्रमशः रु. 60519.30 और 3172281.23 बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इकाइयों से संबंधित सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
- विभिन्न लेखा शीर्षों की एक साथ मिलाने के परिणामस्वरूप पारदर्शिता की कमी हुई।
- 'पारगमन में प्रेषण' 12 महीनों से अधिक समय से संबंधित है।
- वर्तमान देनदारियों (अनुसूची 7) और चालू संपत्ति ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) का विस्तृत शीर्ष-वार और मदवार विभाजन बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था, इस प्रकार शेष राशि और इसकी आयु की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका।
- एलटीसी, यात्रा भत्ता, बिजली, पानी और वेतन का प्रावधान नहीं किया गया था।
- 2015–16 से 2017–18 तक 38 बकाया पैरा थे।
- सी एवं ए.जी. अनुपालन लेखा परीक्षा के कुल 08 लेखा परीक्षा पैरा 1990–91 से 2014–15 (द.टं.रा. श्र.शि.वि.बो., ग्वालियर) अवधि से संबंधित लंबित थे
- 2004 से सितम्बर, 2015 तक अनुपालन लेखा परीक्षा के 10 पैरा अभी भी बकाया हैं। 4 फरवरी, 2016 तक की आंतरिक लेखा परीक्षा के पैरा अभी भी बकाया हैं। (द.टं.रा.श्र.शि.वि.बो., जबलपुर)

	जून, 1999 से फरवरी, 2017 तक लेखा परीक्षा अनुपालन के 13 पैरा अभी तक लम्बित हैं। (द.टे.रा.श्र.शि. वि.बो., भोपाल)
3.	स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली: बोर्ड ने स्थिर आस्तियों का रजिस्टर तथा प्रत्यक्ष सत्यापन प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। बोर्ड ने कार्यालयीन उपकरणों, अचल आस्तियों, होटल/अतिथि कक्ष उपकरण/फर्नीचर्स एवं पुस्तकालीन पुस्तकों का वर्ष 2020-21 के लिए प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है। अतः अनुसूची-8 में प्रदर्शित आस्तियों की शुद्धता अचल आस्तियों का पता नहीं लगाया जा सका। - अचल संपत्ति रजिस्टर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए उचित प्रारूप में नहीं रखा गया है (द.टें. रा.श्र.शि.वि.बो., परवाणू) 2020-21 के लिए संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। (द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., उदयपुर) - अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया। (द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., प्रयागराज)
4	स्थिर वस्तु सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली: बोर्ड में वस्तु सूची उपलब्ध नहीं है।
5	सांविधिक देय का भुगतान नियमित रूप से करना। सांविधिक देय राशि के भुगतान का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि इसे 'अन्य जमा' के तहत जोड़ा गया था और मदवार और आयु-वार पेंडेंसी उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, यूनियों द्वारा किए गए पेशेवर कर देयता को मुख्यालय खातों में देयता के रूप में रखा गया है।

हस्ता/—

प्रधान लेखा परीक्षा महानिदेशक (केन्द्रीय)

**31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए दत्तोपंत ठेंगडी
राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के लेखा पर
भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट।**

अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट	जवाब
प्रस्तावना हमने 31 मार्च, 2021 को दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर के संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवाशर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 20(ii) के अंतर्गत लेखा परीक्षा कर ली हैं। 2022-23 की अवधि तक लेखा परीक्षा सौंपी गई है। ये वित्तीय विवरण बोर्ड के प्रबंधन की जिम्मेवारी हैं। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करना है। 2. इस विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उत्कृष्ट लेखाकरण पद्धतियाँ, लेखाकरण मानदण्डों एवं अनावृत मानकों आदि सहित वर्गीकरण, अनुरूपता से संबंधित केवल लेखाकरण प्रतिपादन पर भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित हैं। कानून, नियमों एवं विनियमों (स्वामित्व एवं नियमितता) के अनुपालन से संबंधित वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा टिप्पणी एवं दक्षता-सह-निष्पादन तथ्य आदि, यदि कोई हो, निरीक्षण रिपोर्ट्स नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक रिपोर्ट के जरिए अलग से रिपोर्ट की गई है। 3. हमने भारत में सामान्यतया स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हमारी लेखा परीक्षा संचालित किया है। सामग्रियों के यथार्थ विवरण से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हमें लेखा परीक्षा की योजना बनाना एवं निष्पादित करना इन मानकों के लिए अपेक्षित है। वित्तीय विवरणों में राशि के पक्ष में एवं विपक्ष में साक्ष्य जाँच आधार पर परीक्षण करना लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। प्रयोग में लाए गए लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ-साथ वित्तीय विवरणों में सर्वांगीण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी लेखा परीक्षा में सम्मिलित किया गया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारी राय में एक यथार्थ आधार मुहैया कराती है। 4. हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित हमारी रिपोर्ट निम्न प्रकार है: i) हमने अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य से सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं।	कोई टिप्पणी नहीं कोई टिप्पणी नहीं कोई टिप्पणी नहीं

ii) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्राप्त कर लिया है। iii) हमारी राय में बोर्ड द्वारा लेखा की उचित पुस्तकें एवं अन्य संगत अभिलेख यथा अपेक्षित बनाये रखे गये हैं जैसा कि हमने ऐसी पुस्तकों की जाँच की है। iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि: क. सामान्य टिप्पणी: 1. “चालू देयताएं एवं प्रावधान” के अधीन विविध लेनदारों को सेवानिवृत्त लाभ, बिजली, जल प्रभार, छुट्टी की नकदीकरण आदि के साथ समाविष्ट किया गया है। विविध प्रावधानों के साथ सेवानिवृत्त लाभ के लिए अलग से प्रावधान को समाविष्ट नहीं किया गया है। लेखा के प्रस्तुतीकरण में अलग से लेखा शीर्ष एवं पारदर्शिता के उद्देश्यों का पालन नहीं किया गया है। 2. समग्र/पूँजीगत निधि (अनुसूची 1) रुपये 11.98 करोड़ को रुपये 50,000 प्रकट किया गया है। लेखा के मानक प्रपत्र के अनुसार कर्मचारी आस्ति हैं। कर्मचारियों को दी गई वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम वसूली योग्य है। तथापि बोर्ड ने उपर्युक्त को पूँजीगत व्यय के रूप में प्रकट किया है और इसे समग्र निधि में समाविष्ट किया है। पिछली अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख करने के बावजूद भी प्रबंधन में कोई उपचारी कार्यवाही नहीं किया है। 3. अवितरित डी.बी.टी. राशि रुपये 82.69 लाख (तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित) अनुदान देने वाले को वापस करने के बजाए समग्र निधि में प्रकट किया गया है। 4. मार्च, 2021 का वेतन बोर्ड के वार्षिक लेखा में उपलब्ध नहीं कराया गया था, अप्रैल, 2020 से मार्च, 2021 तक के लेखा वर्ष का प्रोद्भवन आधार पर पालन किए बिना मार्च, 2020 से फरवरी, 2021 का वास्तविक आधार पर गणना की गई है, जो कि अनियमित है। 5. बोर्ड ने यथा अपेक्षित लेखाकरण मानक 15 के अनुसार वास्तविक आधार पर पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी के भुगतान जैसे सेवानिवृत्त लाभ का प्रावधान नहीं किया है। पिछली अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट में टिप्पणी करने के बाद भी प्रबंधन में सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है।	कोई टिप्पणी नहीं 1. लेखा परीक्षा अवलोकन के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करते समय सेवानिवृत्त लाभ के लिए प्रावधान अन्य विविध प्रावधानों से स्पष्ट रूप से अलग दिखाया जाएगा। 2. आगामी वर्षों में अनुपालन के लिए नोट किया गया। 3. लेखा परीक्षा अवलोकन के अनुसार अवितरित लंबित प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) राशि रुपये 8269098.29 को समग्र निधि लेखा (3 वर्षों से अधिक समय से लम्बित) में समाविष्ट किया गया है जिसे अनुदान दाता अर्थात् भारत सरकार को वापस किया जाएगा। 4. बोर्ड मार्च माह का वेतन अप्रैल माह के प्रथम कार्य दिवस को भुगतान किया है मार्च माह के वेतन के लिए अलग से प्रावधान बनाकर एक वित्तीय वर्ष में 13 माह का भुगतान प्रोद्भवन आधार पर बुक करना होगा, फिर भी वर्ष 2021-22 की लेखा में लेखा परीक्षा की टिप्पणी का अनुपालन किया जाएगा। 5. बोर्ड ने पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं छुट्टी का भुगतान जैसे सेवानिवृत्त के लिए कर्मचारियों की सेवापंजी के अनुसार अनुमानित आधार पर प्रावधान बनाया है जिसका मुख्यालय द्वारा रखरखाव किया जाता है। फिर भी लेखा परीक्षा की टिप्पणी का आगामी वर्षों में अनुपालन किया जाएगा।
--	---

6. i) अनुसूची 7 – चालू देयताएं एवं प्रावधान के अधीन अन्य जमा में रुपये 62.86 लाख प्रकट किया गया है।, जिसमें जीएसएसआई की बीमा किस्त, वेतन से स्रोत पर कर कटौती, व्यवसाय कर, सीजीएचएस अंशदान आदि के जमा का समावेश किया गया है जिसे “सांविधिक देयताएं” के अधीन स्पष्ट रूप से गणना में लिया गया है। ii) आयकर एवं व्यवसाय कर के संबंध में देयताएं अन्य क्षेत्रीय निदेशालयों की देयताएं सकल राशि के बजाए भुगतान एवं स्रोत पर कर कटौती को दर्ज करके मुख्यालय की लेखा बही में प्रकट किया गया है। 7. अनुसूची 7- चालू देयताएं: विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों को सामान्य भविष्य निधि अग्रिम का संवितरण हेतु देयताएं के रूप में रुपये 6.99 लाख को समाविष्ट करके चालू देयताएं के अधीन प्रकट किया गया है जोकि वर्ष 2012-13 अथवा इससे पहले की अवधि से संबंधित यथादेय रुपये 2.99 लाख समाविष्ट किया गया है। पिछली अलग से लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताए जाने के बावजूद भी प्रबंधन ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है। 8. प्राप्त होने वाली सामान्य भविष्य निधि के कारण रुपये 1.16 करोड़ की राशि को “अनुदान, सा.भ.नि., गृ.नि.अ. एवं सी.टी.पी.” शीर्ष के अधीन चालू आस्तियाँ (अनुसूची 11) को समाविष्ट किया गया है। तथापि सा.भ.नि. तुलन पत्र के अनुसार बोर्ड के खाते में देय देयता रुपये 1.04 करोड़ प्रकट की गई है। रुपये 12 लाख के अंतर को समाधान करने की आवश्यकता है। 9. (i) रुपये 9.62 लाख के पारगमन (अनुसूची-11) में प्रेषण रु.30,314.48 के बैंक शेष (पूर्वोत्तर क्षेत्र बचत बैंक खाता संख्या 10984001294) में शामिल है। (ii) इसमें 2019-20 से पहले की अवधि से संबंधित रु.8.22 लाख भी शामिल है। (iii) सामान्य भविष्य निधि तुलनपत्र रु.3.65 लाख के पारगमन में ‘राऊरकेला’ केन्द्र से संबंधित रु.1.36 लाख अप्रैल, 2020 से बकाया और दिल्ली केन्द्र से संबंधित “पारगमन में प्रेषण” 2019-20 से पहले से लंबित था। (iv) एनपीएस की प्राप्ति और भुगतान खाते में रु.4,132 की राशि को अथ शेष एवं जमा शेष को ‘पारगमन में प्रेषण’ एक वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। यह खराब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है।	6. (प) वर्ष 2020-21 से पहले इन देयताओं की अलग से ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। इसलिए जी.एस.एल.आई. बीमा, वेतन से कटौती किया गया। आयकर के जमा शेष सहित “अन्य जमा” में रुपये 62.86 लाख की चालू देयताएं एवं प्रावधान को चालू देयताओं के अधीन अलग से गणना में नहीं लिया गया है। फिर भी रुपये 62.68 लाख देयता को प्रकट करते हुए वर्किंग पेपर्स एवं ग्रुपिंग शेड्यूल लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया। (ii) मुख्यालय लेन-देन को टैली साफ्टवेयर में सिर्फ रख-रखाव किया गया है और मुख्यालय के प्राप्ति एवं भुगतान को तैयार करने के लिए टैली साफ्टवेयर में जमा-निकासी की गणना की गई है। बोर्ड की समेकित तुलन पत्र तैयार करने के लिए सभी निदेशालयों के लेखा को संयोजित किया जाता है। इसे लेखा के नोट में प्रकट किया गया है। इसलिए जमा शेष सिर्फ मुख्यालय के लिए अनुरक्षण होता है जो कि पूरे बोर्ड के तुलन पत्र का अंश नहीं है। इसलिए इस पैरा को हटाया जाए। 7. रुपये 6.99 लाख में से रुपये 400348६ स्वर्गीय श्री सतीश कुमार, भूतपूर्व उच्च श्रेणी लिपिक, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., कोयम्बतूर से संबंधित है जिसका भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि रुपये 298829६ वर्ष 2013-14 से अब तक लावारिस पड़ी है जिसका समाधान नहीं किया जा सका और वर्ष 2021-22 के लिए लेखा तैयार करते समय इसे विविध आवृत्ति में समझा जाएगा। इसलिए इस पैरा को हटाया जाए। 8. इन लेखा के अन्तर, लेन-देन को समाधान करने की आवश्यकता है जिसका सत्यापन अपेक्षित है। इसलिए आगामी वर्षों में लेखा-टिप्पणी के अनुसार समाधान कर लिया जाएगा। 9. (i) वर्ष 2021-22 के लिए लेखा तैयार करते समय आरंभिक जमा शेष को संशोधित करते हुए तथा लेखा में उपयुक्त टिप्पणी देकर सुधार कर लिया जाएगा। (iii) यह पीएफएमएस के जरिए प्रेषण की प्राप्ति न होने के कारण है और यह लेन-देन की विफलता के कारण हो सकता है। इसलिए मामलें पर क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा कार्रवाई हुई है, और राशि को सामान्य भविष्य निधि / अनुदान लेखा में जमा किया गया। (iv) क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा मामलें पर कार्रवाई की गई और पी.एफ.एम.एस. प्रारंभ होने से पहले बोर्ड द्वारा पिछले वर्षों में संबंधित रजिस्टर नहीं बनाया गया था।
---	---

10. रुपये 29,66,90.211 करोड़, के स्थान पर रुपये 29,66,90,391 जमा लेखा शेष (अनुसूची 11) सावधि जमा प्रकट की गई है। एफडी आर सं. 37559315081 (स्रोत पर कर कटौती वापस) का अंतर था जिसका दिनांक 26.02.2021 को नवीकरण किया गया और रुपये. 3946793 गलती से खाते में लिया गया है और बैंक द्वारा रुपये 180 टी.डी.एस. काटा गया है। 11. गृह निर्माण अग्रिम खाता, भारतीय स्टेट बैंक खाता सं. 10984000370 से संबंध में दिनांक 31.03.2021 को बैंक समाधान विवरण इंगित करता है कि खाता के अनुसार जमा शेष रुपये 30019.79 है और बैंक के अनुसार जमा शेष रुपये 2445979 है। इसलिए रुपये 5560 का अंतर है जोकि वर्ष 2005-06 से पहले का है, जिसे बैंक ने स्वीकार नहीं किया है। 12. सा.भ.नि. तुलनपत्र के अनुसार, सा.भ.नि. के जमा शेष में रु.3,876.66 लाख की राशि दिखाई गई, जबकि सा.भ.नि. लेजर अकाउंट (ब्रॉड शीट) में रु.3,882.62 लाख के समान ही दर्शाया गया। इस प्रकार, रु.6.01 लाख का अंतर था जिसे समाधान करना आवश्यक था। पूर्व में एस.ए.आर. में इंगित किये जाने के बावजूद प्रबंधन ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की। 13. मुख्यालय से प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्राप्त गैर-योजनागत धनराशि रु.94.26 लाख तथा चेक रजिस्टर के अनुसार रु.87.44 लाख थी। रु. 6.82 लाख के अंतर का समाधान नहीं किया गया। (द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., मदुरै) 14. कैश बुक के अनुसार जमा शेष और बैंक के अनुसार जमा शेष के बीच रु.63,677.50 का असमाशोधित अंतर था। (द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., मदुरै) 15. बोर्ड ने चालू वर्ष के के.लो.नि.वि. के साथ-साथ पिछले वर्षों के रु.43.40 लाख के अग्रिम/जमा राशि को समग्र निधि में जोड़ा और जमा/अग्रिमों की वापसी आदि की समायोजन प्रविष्टियाँ करके निधि को रुपये 1.05 करोड़ कम कर दिया। हालांकि खातों का एक समान प्रारूप, पूंजीगत कार्यों के लिए आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम अनुसूची 11 में वसूली योग्य अग्रिमों में दिखाया जाना चाहिए। लेखांकन को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए, बोर्ड को पूंजी अग्रिम के उपचार और पूंजी के रूपांतरण के संबंध में एक नीति तैयार करने की आवश्यकता है।	10. गलती के कारण प्राप्त ब्याज के बजाए स्रोत पर कर कटौती की राशि रुपये 180/- बताई गई है। वर्ष 2021-22 के लिए लेखा तैयार करते समय स्रोत पर कर कटौती की प्राप्ति राशि एवं प्राप्त ब्याज को सुधार कर लिया जाएगा। यह अंतर बहुत पुराना है जो कि वर्ष 2005-06 से पहले का मामला है और मिल नहीं रहा है और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से राशि को बट्टे खाते में डाला जा सकता है। 12. सामान्य भविष्य निधि सारांश शीट एवं सा.भ.नि. तुलन पत्र के बीच रुपये 6.01 लाख का अंतर है, जिसका समाधान करने की आवश्यकता है। सामान्य भविष्य निधि योजना के शुरु होने की तिथि से लेकर अब तक की तिथि तक इस लेखा को सत्यापित करने की आवश्यकता है। इसलिए आगामी वर्षों में समाधान किया जाएगा। 13. मार्च, 2020 का वेतन भुगतान करने के लिए मार्च, 2020 के दौरान मुख्यालय द्वारा अप्रैल, 2020 में रुपये 68,210/- लाख प्रेषित किया गया था जिसे प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में समाविष्ट किया गया था, परंतु वर्ष 2020-21 के दौरान चेक रजिस्टर में सम्मिलित नहीं किया गया था। क्षेत्रीय निदेशालय, मदुरै से पता लगाने तथा कारण बताने के लिए पूछा गया है और प्रेषण की प्रविष्टि करने के लिए उचित देख-रेख करने के लिए कहा गया है। 14. मामला क्षेत्रीय निदेशालय, मंगलूर द्वारा हाथ में लिया गया और क्षेत्रीय निदेशालय, मंगलूर से मार्च, 2021 का बैंक समाधान विवरण तैयार करके लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा गया और मुख्यालय को सूचित करने के लिए भी कहा गया है। 15. पिछले वर्षों की प्रथा के अनुसार बोर्ड ने आस्तियों पर चालू आस्तियों के अधीन अग्रिम एवं जमा को सही दिखाया है और समग्र पूंजीगत निधि से समग्र जमा से वापस की गई। समायोजित जमा अग्रिम को घटा दिया है। क्योंकि ये अग्रिम भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से प्राप्त की गई थी। जब ये जमा राशि भुगतान की गई थी तो इसे समग्र पूंजीगत निधि में जोड़ा गया था और समायोजित जमा घटा दी गई थी। इसलिए अनुदान से भुगतान की गई देयता है। अग्रिम की जमा शेष राशि का समाकलन करने के लिए जमा को लेखा में लिया गया है। जिसकी वसूली होना चाहिए और इसे अनुसूची-11 जैसे चालू आस्तियाँ में दिखाया गया है। इसलिए इस पैरा को हटाया जाए।
--	--

16. आगे अनुसूची 11 चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि पूंजी खाते/सीपीडब्ल्यूडी जमा राशियों पर अग्रिमों के रु.2.86 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि दिखाया गया है। चालू वर्ष के लेन-देन के रूप में खातों के माध्यम से बही समायोजन के कारण इसे घटाकर रु.75.65 लाख कर दिया गया था जो कि अनियमित था और सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना था।	16. के.लो.नि.वि. को जमा राशि से संबंधित वर्किंग पेपर्स लेखा परीक्षा के लिए पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था। पिछली तुलन पत्र के अनुसार आरंभिक जमा शेष रुपये 2.86 करोड़ था। वर्ष के दौरान रुपये 0.11 करोड़ जमा किया गया था और रुपये 0.32 करोड़ जमा राशि को छोड़ दिया गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान के.लो.नि.वि., मुंबई को समाविष्ट किया गया था। जिससे कुल जमा शेष राशि रुपये 3.29 करोड़ थी जिसमें से विभिन्न के.लो.नि.वि. द्वारा रुपये 0.26 करोड़ वापस की गई। विभिन्न के.लो.नि.वि. द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के लिए रुपये 2.27 करोड़ समायोजित की गई थी। जिसके कारण रुपये 0.76 जमा शेष है। जमा एवं व्यय का विवरण फार्म सं. 65 में लेखा परीक्षा के लिए भी प्रस्तुत किया गया था।
ग) सहायता अनुदान वर्ष 2020-21 के दौरान, बोर्ड ने भारत सरकार से रु.84.50 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया। (ओएच-31 सामान्य-रु.16.50 करोड़ और ओएच-36-वेतन-रु.68.00 करोड़) और रु.91.13 करोड़ का उपयोग किया, जिसमें अतिरिक्त व्यय रु.6.63 करोड़ था। हालाँकि, उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार, यह क्रमशः रु.90.59 करोड़ और रु.6.09 करोड़ था। इसके अलावा, पिछले वर्षों के अनुदान पर रु. 13.30 लाख की राशि अर्जित ब्याज को खातों में देयता के रूप में दर्ज किया गया था लेकिन उपयोगिता प्रमाण पत्र में नहीं दिखाया गया था। बोर्ड द्वारा उत्पन्न आंतरिक राजस्व रुपये 2.91 करोड़ था। रु. 58.43 लाख के पूंजीगत व्यय को राजस्व अनुदान (संपत्ति की खरीद - रु.46.99 लाख, वाहन और कम्प्यूटर अग्रिम के लिए रु. 50,000 का अग्रिम और सीपीडब्ल्यूडी जमा के रूप में रु. 10.94 लाख जमा) के तहत बुक किया गया है, जो लेखांकन के विपरीत है। जोकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट अनुमोदन के बिना किया गया है।	मंत्रालय से प्राप्त होने वाली अनुदान राशि रुपये 15 लाख थी जो वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान से समायोजित थी। वेतन शीर्ष के अंतर्गत प्रोदभवन के आधार पर रुपये 74.09 करोड़ व्यय हुआ था। इसलिए दि. 31.03.2021 तक वेतन शीर्ष के अधीन प्राप्त होने वाला अनुदान रुपये 6.24 करोड़ था। वर्ष 2020-21 के दौरान बोर्ड ने सामान्य शीर्ष के अंतर्गत रुपये 16.50 करोड़ अनुदान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय से वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्त सहायता अनुदान राशि रुपये 0.45 करोड़ थी। वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त अनुदान में से रुपये 16.50 करोड़ व्यय हुआ था। सामान्य शीर्ष के अधीन रुपये 0.45 करोड़ मंत्रालय से समायोजित/ प्राप्त होनी है। उपयोगिता प्रमाणपत्र की प्रतियाँ लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई थी जोकि इसके साथ संलग्न है। अनुपालन के लिए नोट किया गया। स्वयं कोष निर्माण ब्याज से कार्यालय व्यय के अधीन आकस्मिक प्रकृति का व्यय रुपये 0.34 करोड़ किया गया था जिनमें रुपये 0.28 करोड़ बोर्ड को प्राप्त होने वाली राशि है। आंतरिक रूप से अर्जित की गई संपूर्ण आय व्यय करने के लिए बोर्ड को अनुमति नहीं है। केवल स्वयंकोष निर्माण/सी.टी.पी. जैसी समग्र निधि से अर्जित ब्याज की राशि कुछ आकस्मिक व्यय करने के लिए अनुमति है। उपकरणों की खरीदी एवं पूंजीगत तथा राजस्व प्रकृति के जमा कार्य के लिए अलग से कोई सहायता अनुदान राशि प्राप्त नहीं हो रही है। बल्कि नये भवनों के निर्माण के लिए मंत्रालय से पूंजीगत शीर्ष के अधीन सहायता अनुदान राशि प्राप्त होती है। इसलिए इन लेखा पर किया गया व्यय पिछले वर्षों की प्रथा के अनुसार सहायता अनुदान-सामान्य से किया गया है।

106 | दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड

संलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता: आंतरिक लेखा परीक्षा कमजोर है क्योंकि बोर्ड द्वारा न तो आंतरिक लेखा परीक्षा शाखा और न ही आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली तैयार की गई है। वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 की अवधि के लिए बोर्ड की आंतरिक लेखा परीक्षा अभी पूरी होनी बाकी है। इकाइयों के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा लंबित रही है जिसका विवरण नीचे दिया गया है: • ग्वालियर इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2016-17 से लंबित है। • जबलपुर इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2016-17 से लंबित है। • उदयपुर इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2015-16 से लंबित है। • मंगलूर इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2012-13 से लंबित है। • भोपाल इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2014-15 से लंबित है। • मदुरै इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2017-18 से लंबित है। • हुबली इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2017-18 से लंबित है। • परवाणू इकाई की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली नहीं है। • प्रयागराज इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2017-18 से लंबित है। • कानपुर इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा 2016-17 से लंबित है। 2002-03 से लंबित बरेली इकाई की आंतरिक लेखा परीक्षा।	वित्तीय सलाहकार, लेखा अधिकारी एवं लेखापाल जैसे विभिन्न पद रिक्त है। वित्तीय सलाहकार जैसे प्रमुख पद का अतिरिक्त प्रभार मंत्रालय के अवर सचिव वर्ष 2017-18 से देख रहे हैं। बोर्ड की आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ नहीं बनाया जा सका। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न रिक्त पदों को नहीं भरा जा सका। जिसके कारण आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित नहीं की जा सकी। तथापि लेखा परीक्षा की टिप्पणी के अनुसार द.ठं.रा. श्र.शि.वि.बो. की इकाइयों के संबंध में लेखा की आंतरिक लेखा परीक्षा संचालित की जानी चाहिए। इसका अनुपालन शीघ्र ही पूर्ण रूप से किया जाएगा ज्यों रिक्त पद भर लिए जाते हैं। इस दौरान मंत्रालय के आंतरिक लेखा परीक्षा विंग से 1. ग्वालियर, 2. जबलपुर, 3. उदयपुर, 4. मंगलूर, 5. भोपाल, 6. मदुरै, 7. हुबली, 8. परवाणू, 9. प्रयागराज, 10. कानपुर, 11. बरेली का आंतरिक लेखा परीक्षा करने के लिए अनुरोध किया जा सकता है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता: बोर्ड की समग्र आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह कमजोर है और निम्नलिखित कारणों के लिए बोर्ड के आकार एवं प्रकृति अनुरूप प्रतीत नहीं होती है: • बोर्ड ने राशियों को बुक करने के बजाय	वर्ष 2020-21 से बोर्ड प्राप्त सकल ब्याज राशि एवं प्राप्त होने वाली स्रोत पर कर कटौती राशि दिखाना शुरू किया जो कि बैंक द्वारा कटौती की गई थी। इसलिए पैरा को बंद किया जाए। क्रमशः रुपये 60519.30 एवं 3172281.23 नकद एवं जमा शेष दिखाते हुए प्राप्ति एवं भुगतान बही खाता लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था और

टीडीएस की राशि बुक कर दिया। • नकद और बैंक शेष क्रमशः रु. 60519.30 और 3172281.23 बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इकाइयों से संबंधित सुनिश्चित नहीं किया जा सका। • विभिन्न लेखा शीर्षों की एक साथ मिलाने के परिणामस्वरूप पारदर्शिता की कमी हुई। • 'पारगमन में प्रेषण' 12 महीनों से अधिक समय से संबंधित है। • वर्तमान देनदारियों (अनुसूची 7) और चालू संपत्ति ऋण और अग्रिम (अनुसूची 11) का विस्तृत शीर्ष-वार और मदवार विभाजन बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था, इस प्रकार शेष राशि और इसकी आयु की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सका। • एलटीसी, यात्रा भत्ता, बिजली, पानी और वेतन का प्रावधान नहीं किया गया था। • 2015-16 से 2017-18 तक 38 बकाया पैरा थे। • सी एवं ए.जी. अनुपालन लेखा परीक्षा के कुल 08 लेखा परीक्षा पैरा 1990-91 से 2014-15 (द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., ग्वालियर) अवधि से संबंधित लंबित थे 2004 से सितम्बर, 2015 तक अनुपालन लेखा परीक्षा के 10 पैरा अभी भी बकाया हैं। 4 फरवरी, 2016 तक की आंतरिक लेखा परीक्षा के पैरा अभी भी बकाया हैं। (द.टें.रा. श्र.शि.वि.बो., जबलपुर)	लेखा परीक्षा महानियंत्रक विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों का समय-समय पर लेखा परीक्षा करता है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसलिए पैरा हटाया जाए। लेखा परीक्षा की टिप्पणी अनुपालन के लिए नोट की गई। क्षेत्रीय निदेशालयों के साथ मामलों को आवश्यक अनुपालन के लिए हाथ में लिया गया। 1) वर्ष 2000-2001 से पहले की देयताओं का अलग से विवरण ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इसलिए जीएसएलआई बीमा किस्त, वेतन से कटौती की गई आयकर, व्यवसाय कर, सी.जी.एच.एस. अंशदान आदि सहित "अन्य जमा" में रुपये 62,86,226/- की चालू देयताएं एवं देयता का प्रावधान चालू देयताओं के अधीन गणना में नहीं लिया जा सका। फिर भी रुपये 62,86,226/- की देयता प्रकट करते हुए वर्किंग पेपर्स एवं सामूहिक अनुसूची लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत की गई थी। इसलिए पैरा को हटाया जाए। एलटीसी, यात्रा भत्ता, बिजली, पानी और वेतन का प्रावधान किया गया था और आगामी लेखा परीक्षा के लिए उपर्युक्त का अनुपालन किया जाएगा। वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक इन बकाया 38 पैरा का विवरण लेखा परीक्षा से अनुपालन के लिए प्राप्त किया जा सकेगा। वर्ष 1990-91 से 2014-15 तक लंबित इन 08 लेखा परीक्षा पैरा का अनुपालन करने के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, ग्वालियर को अनुदेश दिया जा चुका है। इन 14 लेखा परीक्षा पैरा का प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन करने के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., जबलपुर को निदेश दिया जा चुका है। इन 13 लेखा परीक्षा पैरा का प्राथमिकता के आधार पर अनुपालन करने के लिए क्षेत्रीय निदेशालय, द.टें.रा.श्र.शि.वि.बो., भोपाल को निदेश दिया जा चुका है।
3. स्थिर आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली: बोर्ड ने स्थिर आस्तियों का रजिस्टर तथा प्रत्यक्ष सत्यापन प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किया है। बोर्ड ने कार्यालयीन उपकरणों, अचल आस्तियों, होटल/अतिथि कक्ष उपकरण/फर्नीचर्स एवं पुस्तकालीन पुस्तकों का वर्ष 2020-21 के	अचल आस्तियों के रजिस्टर का अनुरक्षण मुख्यालय एवं क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा किया जा रहा है। क्षेत्रीय निदेशालयों का आस्ति रजिस्टर भी लेखा परीक्षा महानियंत्रक द्वारा समय-समय पर सत्यापित भी किया जाता है। बोर्ड ने अचल आस्तियों/डेड स्टॉक/भंडारण का

लिए प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है। अतः अनुसूची-8 में प्रदर्शित आस्तियों की शुद्धता अचल आस्तियों का पता नहीं लगाया जा सका। • अचल संपत्ति रजिस्टर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए उचित प्रारूप में नहीं रखा गया है (द.टै.रा.श्र.शि.वि.बो., जबलपुर) • 2020-21 के लिए संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था। (द.टै.रा.श्र.शि.वि.बो., उदयपुर) • अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया। (द.टै.रा.श्र.शि.वि.बो., प्रयागराज)	सत्यापन करने के लिए मुख्यालय स्तर पर एक समिति का गठन किया है। रिपोर्ट आगामी लेखा परीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी। फिर भी लेखा परीक्षा की टिप्पणी का अनुपालन करने के लिए नोट कर लिया गया है। क्षेत्रीय निदेशालय, परवाणू (हि.प्र.) को उचित फार्मेट में अचल आस्ति रजिस्टर को ठीक करने के लिए सूचित कर दिया गया है। क्षेत्रीय निदेशालय, उदयपुर को आस्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए निदेश दिया जा चुका है। क्षेत्रीय निदेशालय, प्रयागराज को अचल रजिस्टर को उचित फार्मेट में अनुरक्षण करने के लिए सूचित कर दिया गया है।
4. स्थिर वस्तु सूची की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली: बोर्ड में वस्तु सूची उपलब्ध नहीं है।	भंडार का प्रत्यक्ष सत्यापन एवं अचल आस्ति/डेड स्टॉक/भण्डार के प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए समिति का गठन कर दिया गया है जो कि प्रक्रियाधीन है।
5. सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता सांविधिक देय राशि के भुगतान का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि इसे 'अन्य जमा' के तहत जोड़ा गया था और मदवार और आयु-वार पेंडेंसी उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, यूनिटों द्वारा मिकए गए पेशेवर कर देयता को मुख्यालय खातों में देयता के रूप में रखा गया है।	टैली साफ्टवेयर में जमा शेष का सिर्फ मुख्यालय द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है। मुख्यालय की प्राप्ति एवं भुगतान तैयार करने के लिए सिर्फ डेबिट क्रेडिट को टैली साफ्टवेयर में हिसाब में रखा गया है। बोर्ड का समेकित तुलनपत्र तैयार करने के लिए सभी निदेशालयों के लेखा को समाविष्ट किया जाता है। इसे लेखा में प्रकट किया गया था। इसलिए टैली साफ्टवेयर में जमा शेष को अनुरक्षण किया गया है, मुख्यालय पूरे बोर्ड के तुलन पत्र का हिस्सा नहीं है। इसलिए क्षेत्रीय निदेशालयों द्वारा किए गये सांविधिक देय का भुगतान मुख्यालय के लेखा में निर्धारित नहीं किया जा सकता।

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
31.03.2021 को तुलन पत्र

(राशि रु. में)

समग्र / पूँजी निधि एवं देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि	राशि
समग्र / पूँजी निधि	1	11,97,68,723.57	12,10,26,515.53
आरक्षित एवं अधिशेष	2		
उद्दिष्ट / स्थायी निधि	3, 3(क), 3(ख) & 3(ग)	33,14,94,806.61	32,42,64,869.89
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4		
असुरक्षित ऋण एवं उधार	5		
आस्थगित उधार देयताएं	6		
चालू देयताएं एवं प्रावधान	7	19,06,38,233.30	19,02,44,196.94
कुल		64,19,01,763.48	63,55,35,582.36
आस्तियाँ	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
		राशि	राशि
अचल आस्तियाँ	8	5,94,53,046.22	5,39,25,153.06
निवेश-उद्दिष्टित / स्थाई निधि से	9	1,83,94,682.00	1,66,76,881.00
निवेश – अन्य	10	-	-
चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	56,40,54,035.26	56,49,33,548.30
विविध व्यय (बट्टे में नहीं डाली गयी अथवा समायोजित नहीं की गयी)			
कुल		64,19,01,763.48	63,55,35,582.36
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	24		
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियाँ	25		

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोडे)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2020-2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा

(राशि रु. में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष की राशि	पिछले वर्ष की राशि
बिक्री / सेवाओं से आय	12		
अनुदान / सहायिकी	13	90,34,73,891.55	1,14,18,08,829.54
शुल्क / अंशदान	14		
निवेशों से आय	15		
(निधि में हस्तांतरित उद्दिष्टित/स्थायी निधि से निवेश पर आय)			
रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	759,545.00	5,080.00
अर्जित ब्याज	17	3,848,310.64	569,979.05
अन्य आय	18	10,479,113.00	2,386,389.59
समायोजित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं अन्य जमा	19	7,491,909.77	1,439,937.00
मूल्यहास		6,551,598.97	6,755,151.00
पिछले वर्षों के लिए मूल्यहास (आस्थगित आय)			
कुल (क)		93,26,04,368.93	1,15,29,65,366.18
व्यय			
राजस्व व्यय	20	903,473,891.55	1,141,808,829.54
योजना व्यय	21		
आई.एल.ओ. व्यय	22	-	-
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग एवं अन्य राजस्व व्यय	23	7,851,841.00	-
मूल्यहास (अनुसूची-8 के अनुरूप वर्ष की समाप्ति पर निवल योग)		7,491,909.77	6,755,151.00
पिछले वर्षों के लिए मूल्यहास		6,551,598.97	
		0.00	0.00
कुल (ख)		92,53,69,241.29	1,14,85,63,980.54
व्यय से आय अधिक होने से शेष (क-ख)			
विशेष आरक्षित में हस्तांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		-	-
सामान्य आरक्षित से/को हस्तांतरण		-	-
अधिशेष/(घाटा) होने से समग्र/पूँजी निधि में रखा गया शेष		72,35,127.64	44,01,385.64
महत्वपूर्ण लेखाकन नीतियाँ	24	-	-
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणी	25	-	-

हस्ता/-
 (आर.वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सौरभ मलिक)
 लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सी. एस. राव)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (हर्ष वैद्य)
 महानिदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
 नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

				(राशि रु. में)
अनुसूची 1-समग्र/पूँजी निधि:	वर्तमान वर्ष		पिछले वर्ष	
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	121026515.53		120272357.19	
जोड़ें : समग्र / पूँजी निधि में अंशदान				
1. भवन	-		-	
2. मोटर एवं अन्य वाहन	-		-	
3. फर्नीचर्स	4,73,220.00		5,44,480.00	
4. कार्यालय उपकरण	6,40,491.00		6,24,064.00	
5. कम्प्यूटर/ पेरीफेरल्स	17,12,695.00		16,88,252.70	
6. पुस्तकालय पुस्तकें				
7. दृश्य-श्रव्य-साधन	5,10,973.00			
8. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा	10,93,645.00		16,45,564.00	
9. वाहन एवं कम्प्यूटर अग्रिम	50,000.00		45,500.00	
10. मोटर वाहन	13,61,717.90			
11. आय एवं व्यय लेखा से हस्तांतरित निवल आय शेष	64,75,582.64		38,31,406.59	
12. मंत्रालय को लौटाई गई पिछले वर्ष की समायोजित राशि				
13. पिछले वर्ष पडी हुई मुम्बई से के.लो.नि.वि. में जमा	32,47,386.00		5,69,979.05	
14. बचत खाता पर ब्याज	7,59,545.00		-	
15. असंवितरित डीबीटी	82,69,098.29	14,56,20,869.36		12,92,21,603.53
कुल	14,56,20,869.36	14,56,20,869.36	12,92,21,603.53	12,92,21,603.53
घटाएं :				
1. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जमा / वापसी	26,27,272.00		14,39,937.00	
2. पिछले वर्ष के लिए मूल्यहास	65,51,598.97			
3. जमा से राजस्व व्यय	78,51,841.00			
4. अचल आस्तियों पर मूल्यहास	74,91,909.77		67,55,151.00	
5. पिछले वर्ष के लिए सहायता अनुदान समायोजन	-		-	
6. अनुदान खाते पर ब्याज वर्तमान देयता में स्थानांतरित कर दिया गया	1,329,524.05			
कुल	2,58,52,145.79	2,58,52,145.79	81,95,088.00	81,95,088.00
वर्ष के अन्त में शेष	11,97,68,723.57	11,97,68,723.57	12,10,26,515.53	12,10,26,515.53

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोर्डे)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो., नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 2 – आरक्षित एवं अधिशेष	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
1. आरक्षित पूँजी : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3. विशेष आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
4. सामान्य आरक्षित : पिछले लेखा के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ घटाएं : वर्ष के दौरान कटौतियाँ				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3— उद्दिष्ट / स्थायी निधि	निधिवार ब्यौरा— चंदा		निधिवार ब्यौरा— स्वयंकोष निर्माण		कुल	कुल
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतर्शेष ख) निधि में जोड़:	2552582.88	2210391.88	187460613.22	170440185.22	190013196.10	172650577.10
i) चंदा/अनुदान/निधि						
ii) ब्याज	163198.00	150632.00	10,203,687.00	9,126,956.00	10366885.00	9277588.00
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज	89364.00	110693.00	4358836.00	5422464.00	4448200.00	5533157.00
vi) प्रोद्भूत आय						
vii) प्राप्त जमा			-	1,000.00	0.00	1000.00
जोड़ें: पिछले वर्षों हेतु ब्याज	0.00	91322.00	0.00	5931763.00	0.00	6023085.00
vi) घटाएं: प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)	110693.00	10456.00	5422464.00	3461755.00	5533157.00	3472211.00
vii) घटाएं: प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)						
कुल (क+ख)	2694451.88	2552582.88	196600672.22	187460613.22	199295124.10	190013196.10
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/ व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
— स्थिर आस्तियाँ						
— अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
— वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.			12938756.53		12938756.53	
— अन्य प्रशासनिक व्यय 2020-21			589394.47		589394.47	
कुल (ग)	-	-	13528151.00	-	13528151.00	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ख+ग)	2694451.88	2552582.88	183072521.22	187460613.22	185766973.10	190013196.10

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3(क) – उद्दिष्ट / स्थायी निधि	गृह निर्माण अग्रिम लेखा		अन्य- सीटीपी लेखा		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतर्शेष	20826378.79	17222054.38	112950519.00	96938555.00	133776897.79	114160609.38
ख) निधि में जोड़:						
i) चंदा/अनुदान/निधि			2988060.72	7442035.00	2988060.72	7442035.00
ii) ब्याज	16,34,021.00	2,091,731.41	7309166.00	5751594.00	8943187.00	7843325.41
iii) अन्य जोड़(उल्लेख करें)						
iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज	10,52,190.00	1,205,737.00	3475151.00	3754965.00	4527341.00	4960702.00
vi) प्रोद्भूत आय			208400.00	456400.00	208400.00	456400.00
vii) प्राप्त जमा	-	16,645.00			0.00	16645.00
जोड़ें: पिछले वर्षों हेतु ब्याज	-	734,795.00	0.00	21,55,045.00	0.00	28,89,840.00
घटाएं: प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)	22306852.00	444,584.00	3,754,965.00	2,842,355.00	4960702.00	32,86,939.00
घटाएं: प्रोद्भूत आय (पिछले वर्ष)			456,400.00	705,720.00	4,56,400.00	7,05,720.00
कुल (क+ख)	22306852.79	20826378.79	122719931.72	112950519.00	145026784.51	133776897.79
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता / व्यय						
1. पूँजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– स्थिर आस्तियाँ						
– अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ख+ग)	22306852.79	20826378.79	122719931.72	112950519.00	145026784.51	133776897.79

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रुपये में)

अनुसूची 3(ख) – उद्दिष्ट/ स्थायी निधि	मेगा आयोजन		प्राप्त स्रोत पर कर कटौती की राशि		कुल	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) निधि में अंतर्शेष	-	-	37,63,976.00	34,99,846.00	37,63,976.00	34,99,846.00
ख) निधि में जोड़:						
i) चंदा/अनुदान/निधि (प्राप्त हुई टी.डी.एस.)			33,89,750.00		33,89,750.00	
ii) ब्याज			2,28,197.00	2,42,639.00	2,28,197.00	2,42,639.00
iii) अन्य जोड़ (उल्लेख करें)						
iv) बोर्ड के विशेष कार्यक्रम द्वारा प्राप्त निधि						
v) प्रोद्भूत ब्याज			19,769.00	21,693.00	19,769.00	21,693.00
vi) प्रोद्भूत आय						
vii) बोर्ड लेखा से प्राप्त जोड़े: पिछले वर्षों के लिए ब्याज			21,693.00	21,130.00	21,693.00	21,130.00
घटाएं: प्रोद्भूत ब्याज (पिछले वर्ष)			-	21,332.00	-	21,332.00
घटाएं: समग्र पूंजी अनुसूची-1 में अंतरित राशि	-	-				
घटाएं: चालू आस्तियों में अंतरित (स्वीकार्य दावे)			66,78,950.00	3,289,200.00	66,78,950.00	3,289,200.00
कुल (क+ख)	-	-	7,01,049.00	4,74,776.00	7,01,049.00	4,74,776.00
ग) निधि के उद्देश्यों के प्रयोजन में उपयोगिता/व्यय						
1. पूंजी व्यय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
– स्थिर आस्तियाँ						
– अन्य						
कुल						
2. राजस्व व्यय						
– वेतन, मजदूरी एवं भत्ता इ.						
– किराया						
– अन्य प्रशासनिक व्यय						
कुल (ग)	-	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत तक निवल शेष (क+ख+ग)	-	-	7,01,049.00	4,74,776.00	7,01,049.00	4,74,776.00

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31/03/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 4 : प्राप्त ऋण एवं उधार	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
1. केन्द्र सरकार				
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)				
3. वित्तीय संस्थान				
क) मियादी ऋण				
ख) प्रोद्भूत ब्याज एवं देय				
4. बैंक				
क) मियादी ऋण	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
— प्रोद्भूत ब्याज एवं देय				
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)				
— प्रोद्भूत ब्याज एवं देय				
5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण				
6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र				
7. अन्य (उल्लेख करें)				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि				
राशि				

हस्ता/—
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 5 : असुरक्षित ऋण एवं उधार	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार 2. राज्य सरकार (उल्लेख करें) 3. वित्तीय संस्थान 4. बैंक : क) मियादी ऋण ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें) 5. अन्य संस्थान एवं अभिकरण 6. ऋणपत्र एवं बंधपत्र 7. सावधि जमा 8. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि		

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

		(राशि रु. में)	
अनुसूची 6 : आस्थगित उधार देयताएं		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) पूँजीगत उपकरण एवं अन्य आस्तियों की मालबंदन द्वारा प्राप्त स्वीकृतियाँ		शून्य	शून्य
ख) अन्य		शून्य	शून्य
कुल		शून्य	शून्य
टिप्पणी : एक वर्ष के अंदर देय राशि			

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31/3/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 7 : चालू देयताएं एवं प्रावधान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क. नई पेंशन योजना खाते में अंतरित नई पेंशन योजना राशि	699,177.00	699,177.00
ख. सामान्य भविष्य निधि अग्रिम परिलब्ध देयताएं	6,139,886.48	13,769,108.77
ग. अतिरिक्त राशि	-	
घ. सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं / वसूल की गई राशि	6,286,226.16	7,513,632.16
ङ. अन्य जमा	150,234,115.00	164,814,254.00
च. विविध ऋणदाता (उपदान/सेवानिवृत्ति लाभ) आदि	659,049.00	452,649.00
छ. बोर्ड द्वारा गृह निर्माण अग्रिम में अंतरित गृ.नि.अ. वसूली	19,101.01	2,595,000.01
ज. अव्ययित सहायता अनुदान	-	400,376.00
झ. एनपीएस खाता में अंतरित की जाने वाली राशि	25,271,154.60	
ण. पेंशन	1,329,524.05	
त. अनुदान खाते पर अर्जित ब्याज	-	19,02,44,196.94
कुल (क)	19,06,38,233.30	19,02,44,196.94
ख) प्रावधान		
1. कषाधान हेतु		
2. उपदान		
3. अधिवर्षिता / पेंशन	शून्य	शून्य
4. संचित छुट्टी भुगतान		
5. व्यापार गारंटी/दावे - मैचिंग अनुदान		
कुल (क + ख)	19,06,38,233.30	19,02,44,196.94

हस्ता / - (आर.वी. बानुबाकोडे) लेखापाल द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर	हस्ता / - (सौरभ मलिक) लेखा अधिकारी द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर	हस्ता / - (सी. एस. राव) वित्तीय सलाहकार द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर
हस्ता / - (हर्ष वैद्य) महानिदेशक द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर		

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31/3/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 9 : उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में		
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		
3. शेयर		
4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र	शून्य	शून्य
5. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम		
6. अन्य (उल्लेख करें): पब्लिक सेक्टर बंधपत्र /		
निवेश:		
1) स्व.को.नि.	49,92,588.00	45,26,566.00
2) सीटीपी लेखा	86,41,076.00	78,34,495.00
3) गृह निर्माण अग्रिम खाता	47,61,018.00	43,15,820.00
कुल	18394682.00	16676881.00

हस्ता / -
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 10: निवेश : अन्य	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में 2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ 3. शेयर 4. ऋणपत्र एवं बंधपत्र 5. सहायक संस्थाएं एवं संयुक्त उद्यम 6. अन्य (उल्लेख करें) पब्लिक सेक्टर बंधपत्र / राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा निवेश :	शून्य	शून्य
कुल	0.00	0.00

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
क) 1. वस्तु सूची : क. भण्डार एवं अतिरिक्त ख. अबद्ध उपकरण स. व्यापार में माल — तैयार माल — कार्य प्रगति — कच्चा माल 2. विविध ऋणी : क. छह माह से अधिक अवधि से बकाया ऋण ख. अन्य 3. हाथ रोकड़ शेष (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित) 4. बैंक में शेष : क. अनुसूचित बैंकों में : — चालू खाता पर — जमा खाता पर(अतिरिक्त धन सहित) — बचत खाता पर ख. गैर-अनुसूचित बैंकों में : — चालू खाता पर — जमा खाता पर — बचत खाता पर 5. पारगमन में प्रेषित धन 6. अं.श्र.सं. से देय राशि 7. बोर्ड के विशेष कार्यक्रम से देय राशि	97,809.30	97,809.30	1,37,997.93	1,37,997.93
— चालू खाता पर	14,80,03,084.69		12,83,46,308.48	
— जमा खाता पर(अतिरिक्त धन सहित)	27,82,95,529.00		26,55,52,032.00	
— बचत खाता पर	5,02,367.10	42,68,00,980.79	26,29,586.38	39,65,27,926.86
ख. गैर-अनुसूचित बैंकों में :				
— चालू खाता पर				
— जमा खाता पर				
— बचत खाता पर				
5. पारगमन में प्रेषित धन	9,61,637.48	9,61,637.48	2,44,63,468.27	2,44,63,468.27
6. अं.श्र.सं. से देय राशि			-	-
7. बोर्ड के विशेष कार्यक्रम से देय राशि			-	-
कुल (क)	42,78,60,427.57	42,78,60,427.57	42,11,29,393.06	42,11,29,393.06

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/3/2021 को तुलन पत्र से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 11 – चालू आस्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि (जारी)	चालू वर्ष		पिछले वर्ष	
ख. 1. ऋण				
क. कर्मचारी (1) वाहन एवं गृह निर्माण अग्रिम	4,96,919.00	4,96,919.00	5,92,515.00	5,92,515.00
ख. गतिविधियों/उद्देश्यों में समाहित अन्य संस्थाएं				
ग. अन्य (उल्लेख करें)				
2. नकद एवं माल के रूप में अथवा प्राप्त होने वाली कीमत के लिए वसूली योग्य अग्रिम एवं अन्य राशि				
क. पूंजी खाते/के.लो.नि.वि. में जमा	7,565,212.00		28,575,599.00	
ख. पूर्व भुगतान				
ग. अन्य	21,250.00	75,86,462.00	21,250.00	2,85,96,849.00
3. प्रोद्भूत आय :				
क. उद्दिष्ट / स्थायी निधि से निवेश पर	8,995,310.00		1,05,15,552.00	
ख. निवेशों पर – अन्य (गृ.नि.अ.)				
ग. ऋण एवं अग्रिम पर				
घ. अन्य (प्रबंधनों/सीटीपी लेखा से स्वयंकोष निर्माण) (अप्राप्य देय आय रु.सहित)	2,08,400.00	92,03,710.00	4,56,400.00	1,09,71,952.00
4. प्राप्त होने वाले दावे				
क. सामान्य भविष्य निधि/सीटीपी लेखा	28,15,610.98		1,29,38,756.53	
ख. नई पेंशन योजना	5,51,454.00			
ग. अनुदान, स्व.को.नि., गृ.नि.अग्रिम एवं सी.टी.पी. खाता	4,86,33,991.00		5,60,93,045.00	
ड. मंत्रालय से प्राप्त मैचिंग अनुदान	6,69,05,460.71		3,46,11,037.71	10,36,42,839.24
कुल (ख)	13,61,93,607.69	13,56,42,153.69	14,38,04,155.24	14,38,04,155.24
कुल (क+ख)	56,40,54,035.26	56,35,02,581.26	56,49,33,548.30	56,49,33,548.30

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोडे)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

2020-2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 12 – बिक्री / सेवाओं से आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) रद्दी माल की बिक्री	-	-
	शून्य	शून्य
2) सेवाओं से आय		
क) श्रम एवं संसाधन प्रभार	-	-
ख) व्यावसायिक / परामर्शी सेवाएं	-	-
ग) अभिकरण कमिशन एवं दलाली	-	-
घ) अनुरक्षण सेवा (उपस्कर / सम्पत्ति)	-	-
ङ) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
विज्ञापन आवृत्ति		
कुल	शून्य	शून्य

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-21 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 13 – अनुदान/ सहायिकी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. केन्द्र सरकार		
क) योजना		
ख) गैर – योजना	-	-
ग) वेतन	68,00,00,000.00	1,00,64,00,000.00
घ) सामान्य	16,50,00,000.00	7,63,00,000.00
ङ) एससीएसपी	-	2,23,00,000.00
च) टीएसपी	-	1,16,00,000.00
छ) उत्तर-पूर्व	-	1,34,00,000.00
ज) स्वयं को.नि. से	5,89,394.47	
	84,55,89,394.47	1,13,00,00,000.00
जोड़ें : 1) पिछले वर्ष हेतु अव्ययित जमा		
2) भारत सरकार से स्वीकार्य सहायता अनुदान	6,09,11,628.00	59,93,832.71
3) स्वकोनि/सीटीपी से प्राप्य ब्याज	28,15,610.98	1,29,38,756.53
घटाएं : 1) अगले वर्ष हेतु चालू शेष		
2) चालू वर्ष हेतु अव्ययित शेष	-	25,75,899.00
3) पूँजी व्यय	58,42,741.90	45,47,860.00
4) (i) भारत सरकार से स्वीकार्य सहायता अनुदान	-	-
	-	-
कुल	90,34,73,891.55	1,14,18,08,829.54

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिये आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 14 – शुल्क / अंशदान	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. प्रवेश शुल्क		-
2. वार्षिक शुल्क / अंशदान	-	-
3. परिसंवाद / कार्यक्रम शुल्क	-	-
4. परामर्श शुल्क	-	-
5. अन्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य
कुल	शून्य	शून्य
टिप्पणी : प्रत्येक मद हेतु लेखा नीतियाँ प्रकट की जानी हैं		

हस्ता/-
 (आर.वी. बानुबाकोर्डे)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सौरभ मलिक)
 लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सी. एस. राव)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (हर्ष वैद्य)
 महानिदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
 नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि/ वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में.)

अनुसूची 15 – निवेशों से आय	उद्दिष्टित निधि से निवेश		निवेश – अन्य	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
(निधि हेतु अंतरित उद्दिष्टित / स्थायी निधि से निवेश पर आय)				
1. ब्याज क. सरकारी प्रतिभूतियों पर ख. अन्य बंधपत्रों/ ऋण पत्रों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. लाभांश क. शेयरों पर ख. म्यूच्युअल फंड प्रतिभूतियों पर				
3. किराया				
4. अन्य (उल्लेख करें)				
कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उद्दिष्टित/ स्थायी निधि में अंतरित				

हस्ता/—
(आर.वी. बानुबाकोर्डे)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 16 – रायल्टी, प्रकाशन आदि से आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) प्रकाशनों से आय	-	5080.00
2) अन्य (उल्लेख करें)	-	-
कुल	-	5080.00

हस्ता/-
 (आर.वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सौरभ मलिक)
 लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सी. एस. राव)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (हर्ष वैद्य)
 महानिदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
 नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1. आवधिक जमा पर : क) अनुसूचित बैंकों से ख) गैर-अनुसूचित बैंकों से ग) संस्थानों से घ) अन्य 2. बचत खाते पर : क) अनुसूचित बैंकों से ख) गैर-अनुसूचित बैंकों से ग) डाक कार्यालय बचत खाता घ) अन्य 3. ऋण पर : क) कर्मचारी/कर्मचारी वर्ग ख) अन्य 4. कर्जदारों तथा अन्य प्राप्य पर ब्याज	7,59,545.00	5,69,979.05
कुल	7,59,545.00	5,69,979.05
टिप्पणी : स्रोत पर कर कटौती को सूचित किया जाए।		

हस्ता/—
 (आर.वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
 (सौरभ मलिक)
 लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
 (सी. एस. राव)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/—
 (हर्ष वैद्य)
 महानिदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
 नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 18 – अन्य आय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1) आस्तियों की बिक्री / निपटान पर लाभ : क) अनुदानों से अर्जित अथवा निःशुल्क प्राप्त आस्तियाँ	-	-
2) निर्यात प्रोत्साहन	-	-
3) विविध प्राप्तियाँ	38,48,310.64	23,86,389.59
4) पिछले वर्षों की विविध आय से व्यय की गई राशि		
घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग में लाई गई राशि		
कुल	38,48,310.64	23,86,389.59

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 19 —तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(ह्रास) तथा प्रगति में कार्य	चालू वर्ष रु.	पिछले वर्ष रु.
क) अंतिम स्टॉक — तैयार माल — कार्य प्रगति लो.नि.वि. जमा समायोजित/ धन वापसी	10,479,113.00	1,439,937.00
ख) घटाएं : आरंभिक स्टॉक — तैयार माल — प्रगति में कार्य		
निवल वृद्धि / (ह्रास) (क - ख)	10,479,113.00	1,439,937.00

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 20 - व्यय विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	राशि	राशि
क. वेतन	64,37,64,129.00	89,77,65,516.00
ख. i) सामान्य (कार्यालय व्यय एवं सामान्य)	16,50,00,000.00	7,88,00,863.71
ii) स्व.को.नि./सीटीपी ब्याज से सामान्य (कार्यालय व्यय)	31,60,760.45	1,29,38,756.53
ग. एससीएसपी	-	2,07,34,108.00
घ. टीएसपी	-	1,05,89,993.00
ङ. उत्तर पूर्व	-	1,54,05,665.00
च. सामान्य पूँजी		
छ. उत्तर-पूर्व पूँजी		
	81,19,24,889.45	1,03,62,34,902.24
स्थिर आस्तियाँ / व्यय पूँजी		
क. कार्यालय उपकरण	6,40,491.00	6,24,064.00
ख. फर्नीचर	4,73,220.00	5,44,480.00
ग. पुस्तकालय की पुस्तकें		
घ. दृश्य-श्रव्य साधन	5,10,973.00	
ङ. संगणक एवं उपकरण	17,12,695.00	16,88,252.70
च. भवन		
छ. भूमि और भवन/डब्ल्यू.आई.पी. के लिए जमा	10,93,645.00	16,45,564.00
ज. मोटर वाहन	13,61,717.90	
झ. ऋण एवं अग्रिम	50,000.00	45,500.00
घटाएं : स्थिर आस्तियाँ एवं अग्रिम	58,42,741.90	45,47,860.70
कुल	80,60,82,147.55	1,03,16,87,041.54
बकाया व्यय		
क) वेतन (सेवानिवृत्ति लाभ)	9,71,47,499.00	11,01,21,788.00
ख) सामान्य (कार्यालय व्यय एवं सामान्य)	2,44,245.00	
कुल योग	90,34,73,891.55	1,14,18,08,829.54

हस्ता/-
 (आर.वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सौरभ मलिक)
 लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सी. एस. राव)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (हर्ष वैद्य)
 महानिदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
 नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 21 - योजना व्यय	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अ) कार्यालय व्यय :	राशि	राशि
	शून्य	शून्य
	-	-
कुल	-	-

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोडे)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि/वर्ष के लिए आय एवं व्यय से संबंधित अनुसूची

(राशि रु. में)

अनुसूची 22 – अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कार्यक्रम व्यय	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क) प्रोद्भूत व्यय	-	-
ख) प्रोद्भूत अव्ययित राशि से व्यय	-	-
कुल	-	-

टिप्पणी : संस्थानों के नाम, उनकी गतिविधियों सहित अनुदान/ सहायिकी राशि प्रकट करें।

हस्ता / -
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020–2021 को समाप्त अवधि के लिए लेखा से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1 समागम लेखाकरण

पारम्परिक समागम लागत, यदि निश्चित नहीं हो तो, तथा लेख की प्रोद्भूत पद्धति के आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों, भा.श्र.शि.सं., मुंबई से प्राप्त प्राप्तियाँ एवं विवरण को मुख्यालय, नागपुर के साथ समाविष्ट करते हुए तैयार किया गया है। क्षेत्रीय निदेशालयों, भा.श्र.शि.सं., मुंबई में लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली लागू नहीं की जा रही है, इसलिए वहाँ पर अलग से वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।

2 स्थिर आस्तियाँ

स्थिर आस्तियों का अर्जन मूल्य बताया गया है जिसमें अर्जन से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा आनुषंगिक व प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित है।

3 मूल्यहास

आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार सरल प्रणाली में मूल्यहास का प्रावधान किया गया है।

4 निवेश

पारम्परिक लागत पर निवेश का मूल्यांकन किया गया है।

5 अनुदान

सरकारी अनुदान के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के लेखा मानक 12 का प्रयोग किया गया।

हस्ता /—
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता /—
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता /—
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता /—
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि के लिए लेखा से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 24 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1 समागम लेखाकरण

पारम्परिक समागम लागत, यदि निश्चित नहीं हो तो, तथा लेख की प्रोद्भूत पद्धति के आधार पर वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है। वित्तीय विवरण विभिन्न क्षेत्रीय निदेशालयों, भा.श्र.शि.सं., मुंबई से प्राप्त प्राप्तियाँ एवं विवरण को मुख्यालय, नागपुर के साथ समाविष्ट करते हुए तैयार किया गया है। क्षेत्रीय निदेशालयों, भा.श्र.शि.सं., मुंबई में लेखाकरण की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली लागू नहीं की जा रही है, इसलिए वहाँ पर अलग से वित्तीय विवरण तैयार नहीं किया गया है।

2 स्थिर आस्तियाँ

स्थिर आस्तियों का अर्जन मूल्य बताया गया है जिसमें अर्जन से संबंधित आवक भाड़ा, शुल्क एवं कर तथा आनुषंगिक व प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित है।

3 मूल्यह्रास

आयकर अधिनियम, 1961 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार सरल प्रणाली में मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है।

4 निवेश

पारम्परिक लागत पर निवेश का मूल्यांकन किया गया है।

5 अनुदान

सरकारी अनुदान के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया के लेखा मानक 12 का प्रयोग किया गया।

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
2020-2021 को समाप्त अवधि के लिए लेखा से संबंधित अनुसूची

अनुसूची 25 – महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1 आकस्मिक देयताएं

31.3.2021 को दठेंराश्रशिविबो के खिलाफ विभिन्न मामलों से संबंधित 57 अदालती मामले लंबित हैं। बोर्ड विभिन्न अदालतों में मामलों का बचाव कर रहा है और पुरस्कार बोर्ड के पक्ष में या उसके खिलाफ जा सकता है। चूंकि इस समय पुरस्कार की राशि का उचित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसका खुलासा ए.एस.29 के अनुसार किया गया है।

2 चालू आस्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

- 1) प्रबंधन के मतानुसार चालू आस्तियाँ, ऋणों तथा अग्रिमों का मूल्य तभी है जब सामान्य व्यवसाय में उनकी वसूली अथवा कम से कम तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल योग राशि समान हो।
- 2) वर्तमान संपत्तियों में माननीय जिला न्यायालय, नागपुर के पास बोर्ड की रु.3,44,22,287/- जमा शामिल हैं, जो 2014-15 के दौरान मेसर्स ऑनलाइन कम्प्यूटर, नागपुर द्वारा सीबीडब्ल्यूई (एमएसएमई अधिनियम, 2006) के खिलाफ मध्यस्थता संदर्भ में सं. बी3/39, 2012 के संबंध हैं।
- 3) पेंशन वितरित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक का चालू खाता सं. 10983996109 है जिसे अनुदान खाता सं. 10983996096 से हटाकर परिवर्तित किया गया है। बोर्ड व्यय के रूप में अनुदान लेखा से भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किए गये प्रावधान को प्रयोग में लाता है। बैंक द्वारा प्रचलन में प्रयुक्त पेंशन खाता सं.10983996109 में दिनांक 31.03.2021 को जमा शेष रुपये 25271154.60 है।

3 कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर योग्य आय नहीं होने की दृष्टि से आयकर के प्रावधान को विचारार्थ नहीं लिया गया है।

- 4 जहाँ कहीं आवश्यक हो, पिछले वर्ष के संगत आँकड़ों को पुनः समूहित/क्रमबद्ध किया गया है।

- 5 दिनांक 31.03.2021 तथा उस दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा के अनुसार बनी तुलनपत्र के साथ संबंधित 1-25 अनुसूचियों को संलग्न किया गया है।

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

31.3.2021 को समाप्त वर्ष/अवधि के लिए प्रारितियों एवं भुगतान

(राशि रु. में)

प्रारितियों	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
I. रोकड़ जमा			I. व्यय		
क) हाथ रोकड़	1,37,997.93	125,548.75	क) गैर-योजना व्यय (अनुसूची 20 के अनुसार)	80,60,82,147.55	1,031,687,041.54
ख) बैंक शेष			ख) योजना व्यय (अनुसूची 21 के अनुसार)	-	-
1. चालू खाते में	12,83,46,308.48	66,837,350.68	स) अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन व्यय (एच.आई.टी. परियोजना)		
2. जमा खाते में	28,22,28,913.00	252,920,501.00	घ) यू.बी.आई. - मन्तरंगा कार्यक्रम	8,33,54,678.00	7,333,915.00
3. बचत खाते में	26,29,586.38	7,410,572.97	ङ) विविध लेनदारों को प्रदत्त (सेवानिवृत्त लाभ एवं सीपीसी बकाया)	33,72,30,442.00	
4. पारामन राशि	2,44,63,468.27	30,903,179.00	च) विविध लेनदार को प्रदत्त		
5. पेंशन खाता	15,29,01,596.60		II. विभिन्न परियोजनाओं के लिये भुगतान की गई राशि		
II. प्राप्त अनुदान			(प्रत्येक परियोजना की राशि पूरे विवरण सहित साथ ही परियोजना एवं निधि के नाम का उल्लेख करें)		
क) भारत सरकार से	84,50,00,000.00	1,13,00,00,000.00	2019-20 के स्व.को.नि. के लिए बोर्ड को अंशदान	1,29,38,756.53	
ख) राज्य सरकार से			2020-21 के स्व.को.नि. के लिए बोर्ड को अंशदान	5,89,394.47	
स) अन्य स्त्रोतों से (विवरण) जैसे ओ.एन.जी.सी.			III. निवेश एवं जमा		
2019-20 के स्व.को.नि. के लिए बोर्ड को अंशदान	1,29,38,756.53	-	क) उद्दिष्ट/स्थायी निधि से		
2020-21 के स्व.को.नि. के लिए बोर्ड को अंशदान	5,89,394.47		ख) स्वयं निधि से (निवेश अन्य)		
III. से निवेशों पर आय			IV. स्थिर आस्तियाँ एवं पूँजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
क) उद्दिष्ट/स्थायी निधि	1,95,38,269.00	17,363,552.41	क) स्थिर आस्तियों की खरीद :	46,99,096.90	2,856,796.70
ख) स्वयं निधि (अन्य निवेश)			ख) पूँजी कार्य प्रगति पर व्यय/सीपीडब्ल्यूई में जमा	10,93,645.00	1,645,564.00
IV. प्राप्त व्याज			V. अधिशेष धन / ऋणों की वापसी		
क) बैंक जमा पर			क) भारत सरकार को / अव्ययित वापसी	25,75,899.00	34,547,563.72
ख) ऋण, अग्रिम इ.			ख) राज्य सरकार को		
V. अन्य आय (व्यौरा दें)			VI. वित्त प्रसार (व्याज)		
स्वयंकोष निर्माण (एस.जी.एफ.)			VII. अन्य भुगतान (व्यौरा दें)		
चन्द्रा			क) सामान्य भविष्य निधि में जमा की गई साम.नि. वसूलियाँ	5,10,57,420.00	60,032,445.00
सीटीपी लेखा	29,88,060.72	7,442,035.00	ख) सामान्य भविष्य निधि अग्रिम जमा भुगतान	4,45,98,676.00	45,725,829.00
विविध प्रारितियाँ	38,48,310.64	2,391,469.59	ग) गृह निर्माण अग्रिम संवितरित		
सीपीडब्ल्यूई / आईटीआई लि. द्वारा वापसी	26,27,272.00	1,439,937.00	घ) जमा भुगतान (गृ.नि.अ.खाता)		

कृ. प. प.

VI. गृहीत राशि						
VII. अन्य कोई प्राप्ति (खोरा दे)						
1. वेतन कटौतियाँ	3,51,996.00	667,867.00		छ) बोर्ड द्वारा गृ.नि.अ. निधि में जमा की गई गृ.नि.अ. वसूलियाँ	-	1,089,267.41
2. सामान्य भविष्य निधि अंशदान एवं अग्रिम वसूली	5,51,80,574.00	53,400,800.00		च) अदेय भुगतान वितरित	171,080.00	730,776.00
3. संवितरण के लिये प्राप्त राशि	4,95,92,887.00	72,818,033.70		छ) विविध लेनदारों को प्रदत्त	-	
4. केन्द्रों द्वारा जमा की गई सामान्य भविष्य निधि राशि	4,45,98,676.00	46,126,177.00		ज) सीटीपी. खाते में जमा वेतन	-	
5. प्राप्त अदेय भुगतान	8,10,956.00	4,184,647.48		झ) संवितरण के लिये प्राप्त राशि प्रदत्त	5,08,20,293.00	71,727,162.20
6. अनुदान खाता में बैंक द्वारा जमा व्याज	7,59,545.00	569,979.05		ञ) संवितरित वाहन/संगणक अग्रिम	50,000.00	410,857.00
7. बैंक से प्राप्त स्रोत पर कर कटौती राशि	33,89,750.00			ट) स्व.को.नि. खाते में जमा भुगतान	-	-
8. गृह निर्माण अग्रिम कोष खाता				ठ) नई पेंशन योजना के अंतर्गत टियर - 1 वसूलियाँ	63,84,848.00	5,479,879.00
को गृह निर्माण अग्रिम खाते में जमा गृह निर्माण अग्रिम वसूलियाँ				ड) एस.बी.आई. गृ.नि.अ. खाते से स्रोत पर कर कटौती	13,242.00	79,796.00
ख) गृह निर्माण अग्रिम परिक्रमी कोष				ढ) एस.बी.आई. दान खाते से स्रोत पर कर कटौती	-	10,378.00
ग) कर्जदार/ बैंक से प्राप्त व्याज				ण) एस.बी.आई. स्व.को.नि. खाते से स्रोत पर कर कटौती	14,804.00	186,789.00
9. केन्द्र द्वारा गृह निर्माण अग्रिम की प्राप्ति/जमा	54,33,018.00	6,402,170.00		त) एस.बी.आई. सीटीपी. खाते से स्रोत पर कर कटौती	25,624.00	16,467.00
10. अंशदायी भविष्य निधि हेतु वसूल की गई राशि				थ) शुल्क वापसी संबंधी सीटीपी. - डी.डी.	180.00	2,377.00
(नई पेंशन योजना)				8. अंत रेष		
11. संवितरण के लिए प्राप्त राशि (सा.मानि. लेखा)	20,96,00,000.00			क) हाथ रोकड़	97,809.30	137,997.93
				ख) बैंक शेष		
				i) चालू खाते में (अनुदान)	122,731,930.09	128,346,308.48
				ii) बचत खाते में	25271154.6	-
				iii) जमा खाते में	5,02,367.10	26,29,586.38
				ग) जमा खाता	29,66,90,211.00	28,22,28,913.00
				घ) पारामान राशि	9,61,637.48	24,463,468.27
	1,84,79,55,336.02	1,70,10,03,820.63		कुल :	1,84,79,55,336.02	1,70,10,03,820.63

हस्ता / -
(आर.वी. बानुबाकोर्डे)
लेखापाल
द.तें.रा.श.वि.बो. नागपुर

हस्ता / -
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.तें.रा.श.वि.बो. नागपुर

हस्ता / -
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.तें.रा.श.वि.बो. नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.तें.रा.श.वि.बो.
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2020-2021 के लिए सामान्य भविष्य निधि प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

प्राप्तियाँ			भुगतान		
राशि 2019-2020	विवरण	राशि 2020-2021	राशि 2019-2020	विवरण	राशि 2020-2021
1	2	3	4	5	6
रु.		रु.	रु.		रु.
30,00,385.52	अथ शेष			बैंक कमीशन	
32,66,77,467.10	बचत खाता	5,61,223.02		चन्दा खाते से	
1,77,710.00	जमा खाता	35,64,56,085.70			
	पारगमन (ट्रांजिट) राशि	2,29,000.00		स्रोत पर कर कटौती	47,855.00
2,18,43,199.50	प्राप्त ब्याज	2,50,73,495.00		बोर्ड के खाते में अंतरित राशि	
6,00,32,445.00	अंतरित अभिदान बोर्ड से	5,10,57,420.00-	5,48,68,301.00	प्रत्याहरण द्वारा	5,12,66,134.00
30,000.00	कर्मचारी से			अंत शेष	
51,330.00	चन्दा खाता में बोर्ड	-	5,61,223.02	बचत खाता	15,76,945.02
3,02,072.60	से प्राप्त राशि		35,64,56,085.70	जमा खाता	38,01,21,289.70
			2,29,000.00	पारगमन (ट्रांजिट) राशि	3,65,000.00
41,21,14,609.72	कुल	43,33,77,223.72	41,21,14,609.72	कुल	43,33,77,223.72

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
सामान्य भविष्य निधि आय व्यय विवरण लेखा

वर्ष 2020-2021

व्यय			आय		
राशि 2019-2020	विवरण	राशि 2020-2021	राशि 2019-2020	विवरण	राशि 2020-2021
1	2	3	4	5	6
रु.		रु.	रु.		रु.
2,65,94,443.00	प्रदत्त ब्याज	2,58,05,329.00	2,18,43,199.50	प्राप्त ब्याज	2,50,73,495.00
-	स्रोत पर कर कटौती	-		स्रोत कर प्राप्त	47,855.00
-	बैंक कमीशन	-	1,01,89,202.00	जोड़ें: प्रोदभूत ब्याज	88,86,563.25
			91,08,764.00	घटाएँ: प्रोदभूत ब्याज (पिछले वर्षों में)	1,01,89,202.00
	व्यय से अधिक आय		36,70,805.50	आय से अधिक व्यय	20,34,472.75
2,65,94,443.00	कुल	2,58,05,329.00	2,65,94,443.00	कुल	2,58,05,329.00

हस्ता / -
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
सामान्य भविष्य निधि तुलनपत्र
वर्ष 2020-21

देयताएँ				आस्तियाँ			
राशि 2019-2020	विवरण	राशि 2020-2021	राशि 2020-2021	राशि 2019-2020	विवरण	राशि 2020-2021	राशि 2020-2021
1	2	3	4	5	6	7	8
रु.		रु.		रु.		रु.	रु.
							15,76,0945.02
				561,223.02	बैंक शेष		3,65,000.00
				229,000.00	ट्रांजिट राशि		
12,51,512.01	पिछले वर्ष तक आय से अधिक आय	33,67,565.51		35,64,56,085.70	अनुलग्नक 4 के अनुसार निवेश		38,01,21,289.70
57,86,859.00	जोड़ें : पिछले वर्ष समायोजन	20,34,472.75	13,33,092.76	2,908,645.90	प्रायः टीडीएस 2017-18	83,93,432.30	
36,70,805.50	घटाएँ : चालू वर्ष हेतु				जोड़ें : वर्ष के दौरान	47,855.00	
33,67,565.51				302,072.60	घटाएँ : वर्ष के दौरान प्राप्त		
				5,786,859.00	जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्त	-	84,41,287.30
33,27,89,698.00	सा.म.नि. अंशदान निधि	35,79,46,640.00		83,93,432.30			
30000.00	सा.म.नि. अंशदान निधि खाते में प्राप्त			1,01,892,02.00	प्रोदमूल ब्याज	88,86,563.25	88,86,563.25
5,34,00,800.00	जोड़ें : बोर्ड से प्राप्त	5,51,80,574.00					
	होने वाला अंशदान	41,23,154.00					
5,48,68,301.00	घटाएँ : प्रत्याहरण	5,12,66,134.00			बोर्ड के सा.म.नि. खाते में जमा		
2,65,94,443.00	जोड़ें : प्रदत्त ब्याज	2,58,05,329.00					
0.00	पिछले वर्ष समायोजन	0.00	38,76,66,409.00		बोर्ड से प्राप्त होने वाली राशि		
35,79,46,640.00							
	स्वयं कोष निर्माण में अंतरणीय		0.51				
0.51	बोर्ड के खाते में अंतरणीय						
0.00							
78,31,762.00	अंशदायी भविष्य निधि में बोर्ड का अंशदान	1,45,14,737.00					
51330.00	जोड़ें : बोर्ड से प्राप्त होनेवाली राशि	0.00					
66,31,645.00		41,23,154.00	1,03,91,583.00				
1,45,14,737.00							
37,58,28,943.02	कुल		39,93,91,085.27	37,58,28,943.02	कुल		39,93,91,085.27

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
 लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
 महानिदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
 नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
जमा और बचत खाते में बैंक शेष का विस्तृत विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	ब्यौरा	31.3.2021 को	31.3.2021 को	31.3.2020 को	31.3.2020 को
		बचत खाता	जमा खाता	बचत खाता	जमा खाता
1	चन्दा	1761.88	2501626.00	1713.88	2338476.00
2	गृ.नि.अ. निधि	30019.79	23114464.00	29364.79	21494340.00
3	स्वयंकोष निर्माण	85010.71	147352975.00	82737.71	150694516.00
4	सीटीपी लेखा	385574.72	116384603.00	2515770.00	103982805.00
5	स्रोत पर कर कटौती की वापसी	-	7336543.00	-	3718776.00
	कुल	502367.10	296690211.00	2629586.38	282228913.00

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर

दिनांक 31/03/2021 को सामान्य भविष्य निधि निवेश का विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	विवरण	निवेशित राशि
1	2	3
1	भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नागपुर में विशेष जमा	3,93,49,925.00
2	राष्ट्रीयकृत बैंक में आवधिक जमा	34,07,71,364.70
	कुल	38,01,21,289.70

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
 दिनांक 31/03/2021 को भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, नागपुर में विशेष जमा
 (राशि रु. में)

क्र. सं.	विवरण	खाता संख्या	निवेशित राशि
1	2	3	4
1	विशेष जमा	एस.डी.एस. - 6	3,93,49,925.00

हस्ता/-
 (आर.वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सौरभ मलिक)
 लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (सी. एस. राव)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता/-
 (हर्ष वैद्य)
 महानिदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
 नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2021 को सामान्य भविष्य निधि जमा का ब्यौरा

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	व्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्यूत ब्याज
1	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	384395111289	1 वर्ष	5.70%	5,883,646.00	6.5.2020	6.5.2021	6,226,251.00	308,203.00
2	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	38447792586	1 वर्ष	5.70%	8,150,346.70	9.5.2020	9.5.2021	8,624,941.00	422,855.00
3	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	31693038150	555 दिन	5.70%	9,081,531.00	11.5.2020	17.11.2021	9,895,458.00	468,133.00
4	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	38510008453	1 वर्ष	5.10%	6,431,154.00	7.6.2020	7.6.2021	6,765,469.00	272,286.00
5	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	35032720579	1 वर्ष	5.10%	7,640,839.00	27.6.2020	27.6.2021	8,038,038.00	301,504.00
6	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	32456975368	1 वर्ष	5.10%	3,794,125.00	31.7.2020	31.7.2021	3,991,358.00	130,816.00
7	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	37844872264	1 वर्ष	5.10%	5,588,668.00	31.7.2020	31.7.2021	5,879,188.00	192,690.00
8	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	37844871599	1 वर्ष	5.10%	5,588,668.00	31.7.2020	31.7.2021	5,879,188.00	192,690.00
9	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	37847575495	1 वर्ष	5.10%	5,577,794.00	1.8.2020	1.8.2021	5,867,748.00	191,495.00
10	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	37847574093	1 वर्ष	5.10%	5,577,794.00	1.8.2020	1.8.2021	5,867,748.00	191,495.00
11	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	35121878365	1 वर्ष	5.10%	170,026.00	1.8.2020	1.8.2021	178,865.00	5,837.00
12	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	35980280253	1 वर्ष	5.10%	6,321,697.00	1.8.2020	1.8.2021	6,650,322.00	217,035.00
13	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	37930109610	1 वर्ष	5.10%	5,575,918.00	7.9.2020	7.9.2021	5,865,775.00	162,907.00
14	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	37930108935	1 वर्ष	5.10%	5,575,918.00	7.9.2020	7.9.2021	5,865,775.00	162,907.00
15	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	38761521017	1 वर्ष	4.90%	5,364,547.00	12.9.2020	12.9.2021	5,632,279.00	146,875.00
16	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	38761520863	1 वर्ष	4.90%	5,364,549.00	12.9.2020	12.9.2021	5,632,282.00	146,875.00
17	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	37933812136	1 वर्ष	4.90%	1,249,344.00	10.9.2020	10.9.2021	1,311,696.00	34,546.00
18	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	34303159385	1 वर्ष	4.90%	5,917,751.00	13.10.2020	13.10.2021	6,213,093.00	136,089.00
19	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	34303154343	1 वर्ष	4.90%	5,917,751.00	13.10.2020	13.10.2021	6,213,093.00	136,089.00
20	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	38025103916	1 वर्ष	4.90%	3,974,161.00	22.10.2020	22.10.2021	4,172,502.00	86,465.00
21	सा.भ.नि.	यूनियन बैंक	479003030092409	1 वर्ष	5.25%	9,141,924.00	19.10.2020	19.10.2021	9,631,407.00	540,433.00
22	सा.भ.नि.	यूनियन बैंक	479003030092410	1 वर्ष	5.25%	9,141,925.00	19.10.2020	19.10.2021	9,631,408.00	540,433.00
23	सा.भ.नि.	यूनियन बैंक	479003030088198	1 वर्ष	5.25%	9,465,152.00	19.10.2020	19.10.2021	9,971,941.00	559,541.00
24	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	39798303101	1 वर्ष	4.90%	7,500,000.00	11.11.2020	11.11.2021	7,874,308.00	143,078.00
25	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	34406052593	1 वर्ष	4.90%	6,160,731.00	11.11.2020	11.11.2021	6,468,199.00	117,528.00
26	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	34406016269	1 वर्ष	4.90%	7,367,889.00	11.11.2020	11.11.2021	7,735,604.00	140,557.00
27	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	38106494147	1 वर्ष	4.90%	5,110,861.00	4.12.2020	4.12.2021	5,365,933.00	81,896.00
28	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	35399979647	1 वर्ष	4.90%	6,816,109.00	9.12.2020	9.12.2021	7,156,286.00	104,627.00
29	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	35399981001	1 वर्ष	4.90%	6,679,787.00	9.12.2020	9.12.2021	7,013,160.00	102,535.00
30	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	35412932696	1 वर्ष	4.90%	1,063,314.00	10.12.2020	10.12.2021	1,116,382.00	16,179.00
31	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	35401177532	1 वर्ष	4.90%	6,816,649.00	13.12.2020	13.12.2021	7,156,853.00	100,961.00
32	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	35401177893	1 वर्ष	4.90%	6,680,315.00	13.12.2020	13.12.2021	7,013,714.00	98,941.00
33	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	35412933316	1 वर्ष	4.90%	1,063,489.00	14.12.2020	14.12.2021	1,116,565.00	15,608.00
34	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	34506666485	1 वर्ष	4.90%	3,642,219.00	14.12.2020	14.12.2021	3,823,994.00	53,454.00
35	सा.भ.नि.	भा.स्टेट बैंक	35405683964	1 वर्ष	4.90%	6,816,786.00	14.12.2020	14.12.2021	7,156,996.00	100,044.00
			कुल योग			20,22,13,377.00				66,23,607.00

अगले पृष्ठ पर...

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.
नागपुर

हस्ता / -
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. नागपुर

हस्ता / -
(सौरभ मालिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. नागपुर

हस्ता / -
(आर.वी. बानुबाकोई)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2021 को सामान्य भविष्य निधि जमा का ब्यौरा

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	व्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत व्याज
				पहले का कुल योग		20,22,13,377.00				66,23,607.00
36	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35405684991	1 वर्ष	4.90%	6,680,451.00	14.12.2020	14.12.2021	7,013,857.00	98,043.00
37	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35412934229	1 वर्ष	4.90%	1,063,534.00	15.12.2020	15.12.2021	1,116,613.00	15,465.00
38	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	32718970013	1 वर्ष	4.90%	8,594,377.00	19.12.2020	19.12.2021	9,023,303.00	120,340.00
39	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	36331360154	1 वर्ष	4.90%	6,261,839.00	20.12.2020	20.12.2021	6,574,353.00	86,835.00
40	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	36331339814	1 वर्ष	4.90%	6,389,634.00	20.12.2020	20.12.2021	6,708,526.00	88,608.00
41	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	36335536317	2 वर्ष	5.10%	6,424,430.00	21.12.2020	21.12.2022	7,109,722.00	91,830.00
42	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	36335489233	2 वर्ष	5.10%	6,295,941.00	21.12.2020	21.12.2022	6,967,527.00	89,994.00
43	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35439359734	1 वर्ष	4.90%	6,818,713.00	28.12.2020	28.12.2021	7,159,020.00	87,205.00
44	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35439360422	1 वर्ष	4.90%	6,682,338.00	28.12.2020	28.12.2021	7,015,838.00	85,461.00
45	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35442537566	1 वर्ष	4.90%	1,064,183.00	29.12.2020	28.12.2021	1,117,294.00	13,467.00
46	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35431254117	1 वर्ष	4.90%	6,818,713.00	28.12.2020	28.12.2021	7,159,020.00	87,205.00
47	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35431255031	1 वर्ष	4.90%	6,682,338.00	28.12.2020	28.12.2021	7,015,838.00	85,461.00
48	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35442539290	1 वर्ष	4.90%	1,064,183.00	29.12.2020	29.12.2021	1,117,294.00	13,467.00
49	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35426667915	1 वर्ष	4.90%	6,818,713.00	28.12.2020	28.12.2021	7,159,020.00	87,205.00
50	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35426668635	1 वर्ष	4.90%	6,682,338.00	28.12.2020	28.12.2021	7,015,838.00	85,461.00
51	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35442538854	1 वर्ष	4.90%	1,064,183.00	29.12.2020	29.12.2021	1,117,294.00	13,467.00
52	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35424672983	1 वर्ष	4.90%	6,818,713.00	28.12.2020	28.12.2021	7,159,020.00	87,205.00
53	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35424673908	1 वर्ष	4.90%	6,682,338.00	28.12.2020	28.12.2021	7,015,838.00	85,461.00
54	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	35442538297	1 वर्ष	4.90%	263,567.00	29.12.2020	29.12.2021	276,721.00	3,335.00
55	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	34552534703	1 वर्ष	4.90%	2,798,339.00	28.12.2020	28.12.2021	2,937,998.00	35,788.00
56	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	39897093111	1 वर्ष	4.90%	4,500,000.00	28.12.2020	28.12.2021	4,724,585.00	57,551.00
57	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	39897094024	1 वर्ष	4.90%	4,500,000.00	28.12.2020	28.12.2021	4,724,585.00	57,551.00
58	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	38216166879	1 वर्ष	5.00%	5,851,263.00	28.1.2021	28.1.2022	6,149,358.00	51,199.00
59	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	37614716923	1 वर्ष	5.00%	4,804,248.00	26.3.2021	26.3.2022	5,049,002.00	3,917.00
60	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	37614735753	1 वर्ष	5.00%	7,206,372.00	26.3.2021	26.3.2022	7,573,503.00	5,875.00
61	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	37614735323	1 वर्ष	5.00%	6,005,312.00	26.3.2021	26.3.2022	6,311,255.00	4,896.00
62	सा.म.नि.	भा.स्टेट बैंक	37615580230	1 वर्ष	5.00%	3,721,927.00	27.3.2021	27.3.2022	3,911,542.00	2,528.00
				कुल		34,07,71,364.70	20,22,13,377		14,62,23,764.00	81,68,427.00
1	सा.म.नि.- एस.डी.एल.	भा.स्टेट बैंक				3,93,49,925.00				7,18,136.25
				कुल योग		38,01,21,289.70			14,62,23,764.00	88,86,563.25

हस्ता / -
(आर.वी. बागुबाकोड़े)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2021 को जमा गृह निर्माण अग्रिम विवरण

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	गृ.नि.अ.	भा.स्टे.बैंक	35749771382	01 वर्ष	5.70%	3,859,889.00	5.5.2020	5.5.2021	4,084,650.00	202,838.00
2	गृ.नि.अ.	भा.स्टे.बैंक	38439974995	01 वर्ष	5.70%	5,374,939.00	6.5.2020	6.5.2021	5,687,922.00	281,556.00
3	गृ.नि.अ.	भा.स्टे.बैंक	38439974134	01 वर्ष	5.70%	5,374,938.00	6.5.2020	6.5.2021	5,687,921.00	281,556.00
4	गृ.नि.अ.	भा.स्टे.बैंक	31684092595	555 दिन	5.70%	4,761,018.00	5.5.2020	11.11.21	5,187,722.00	250,192.00
5	गृ.नि.अ.	भा.स्टे.बैंक	35490011740	01 वर्ष	5.70%	2,523,112.00	6.1.2021	6.1.2022	2,649,035.00	29,191.00
6	गृ.नि.अ.	भा.स्टे.बैंक	39158152376	01 वर्ष	5.00%	1,220,568.00	20.2.2021	20.2.2022	1,282,750.00	6,857.00
			कुल योग			2,31,14,464.00			2,45,80,000.00	10,52,190.00

हस्ता / -
 (आर.वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (सौ.एस. मलिक)
 लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (हर्ष वैद्य)
 महानिदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
 नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2021 को जमा चन्दा का ब्यौरा

निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
अंशदान	भा.स्टे.बैंक	30155784880	01 वर्ष 01 दिन	5.70%	1,73,047.00	12.4.2020	12.4.2021	1,83,152.00	9,762.00
अंशदान	भा.स्टे.बैंक	37850857076	01 वर्ष	5.10%	23,28,579.00	2.8.2020	2.8.2021	24,49,627.00	79,602.00
कुल योग					25,01,626.00			26,32,779.00	89,364.00

हस्ता / -
 (आर.वी. बानुबाकोर्डे)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (सौरभ मलिक)
 लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (सी. एस. राव)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (हर्ष वैद्य)
 महानिदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
 नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31 / 03 / 2021 को टीडीएस जमा चन्दा का ब्यौरा

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	संयोजन	भा.स्टेट.बैंक	37559315081	01 वर्ष	5.00%	39,46,973.00	26.2.2021	26.2.2022	41,48,053.00	18,848.00
2	संयोजन	भा.स्टेट.बैंक	40106508096	01 वर्ष	5.00%	33,89,750.00	30.3.2021	30.3.2022	35,62,442.00	921.00
					कुल योग	73,36,723.00			77,10,495.00	19,769.00

हस्ता / -
 (आर.वी. बानुबाकोड़े)
 लेखापाल
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (सौरभ मलिक)
 लेखा अधिकारी
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (सी. एस. राव)
 वित्तीय सलाहकार
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
 (हर्ष वैद्य)
 महानिदेशक
 द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
 नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
राष्ट्रीयकृत बैंक में दिनांक 31/03/2021 को जमा स्वयंकोष निर्माण का ब्यौरा

(राशि रु. में)

क्र. सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	जमा राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	31669981389	555 दिन	5.70%	4,992,588.00	25.4.2020	1.11.2021	5,440,588.00	270,924.00
2	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35743290149	1 वर्ष	5.70%	6,304,153.00	2.5.2020	2.5.2021	6,671,244.00	334,443.00
3	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35743289098	1 वर्ष	5.70%	6,432,806.00	2.5.2020	2.5.2021	6,807,388.00	341,269.00
4	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35745606061	1 वर्ष	5.70%	6,432,921.00	3.5.2020	3.5.2021	6,807,510.00	340,200.00
5	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35745604586	1 वर्ष	5.70%	6,304,264.00	3.5.2020	3.5.2021	6,671,361.00	333,396.00
6	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35747156585	1 वर्ष	5.70%	4,142,658.00	4.5.2020	4.5.2021	4,383,885.00	218,389.00
7	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	34053240121	1 वर्ष	5.10%	4,822,664.00	13.8.2020	13.8.2021	5,073,364.00	157,067.00
8	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	33207734557	1 वर्ष	5.10%	2,268,649.00	13.8.2020	13.8.2021	2,386,582.00	73,886.00
9	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35197907570	1 वर्ष	5.10%	1,141,103.00	1.9.2020	1.9.2021	1,200,422.00	34,312.00
10	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35197905062	1 वर्ष	5.10%	1,141,103.00	1.9.2020	1.9.2021	1,200,422.00	34,312.00
11	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35197905890	1 वर्ष	5.10%	1,141,103.00	1.9.2020	1.9.2021	1,200,422.00	34,312.00
12	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35197903961	1 वर्ष	5.10%	1,141,103.00	1.9.2020	1.9.2021	1,200,422.00	34,312.00
13	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	36094119421	1 वर्ष	5.10%	3,659,621.00	8.9.2020	8.9.2021	3,849,862.00	106,400.00
14	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	38765583784	1 वर्ष	4.90%	5,717,540.00	13.9.2020	13.9.2021	6,002,890.00	155,759.00
15	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	37933803255	1 वर्ष	4.90%	5,565,258.00	10.9.2020	10.9.2021	5,843,008.00	153,888.00
16	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	37933811165	1 वर्ष	4.90%	5,565,258.00	10.9.2020	10.9.2021	5,843,008.00	153,888.00
17	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	37936137359	1 वर्ष	4.90%	5,565,358.00	11.9.2020	11.9.2021	5,843,112.00	153,132.00
18	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	37936135884	1 वर्ष	4.90%	5,565,358.00	11.9.2020	11.9.2021	5,843,112.00	153,132.00
19	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	37938935425	1 वर्ष	4.90%	5,565,459.00	12.9.2020	12.9.2021	5,843,219.00	152,375.00
20	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	37938937284	1 वर्ष	4.90%	5,565,459.00	12.9.2020	12.9.2021	5,843,219.00	152,375.00
21	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	37944123460	1 वर्ष	4.90%	5,565,658.00	14.9.2020	14.9.2021	5,843,427.00	150,862.00
22	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	37944122853	1 वर्ष	4.90%	5,565,658.00	14.9.2020	14.9.2021	5,843,427.00	150,862.00
23	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	38926184428	1 वर्ष	4.90%	5,319,901.00	15.11.2020	15.11.2021	5,585,405.00	98,523.00
24	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	34434706816	1 वर्ष	4.90%	4,881,305.00	15.11.2020	15.11.2021	5,124,920.00	90,400.00
25	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	38931083477	1 वर्ष	4.90%	5,394,267.00	18.11.2020	18.11.2021	5,663,483.00	97,645.00
26	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35410594066	1 वर्ष	4.90%	6,816,786.00	14.12.2020	14.12.2021	7,156,996.00	100,044.00
27	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35410594282	1 वर्ष	4.90%	6,680,451.00	14.12.2020	14.12.2021	7,013,857.00	98,043.00
28	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	32084678287	1 वर्ष	4.90%	9,232,604.00	14.12.2020	14.12.2021	9,693,382.00	135,499.00
29	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35412957940	1 वर्ष	4.90%	351,674.00	15.12.2020	15.12.2021	369,225.00	5,114.00
30	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	35412956924	1 वर्ष	4.90%	351,674.00	15.12.2020	15.12.2021	369,225.00	5,114.00
31	स्व.को.नि.	भा.स्टेट बैंक	34740902209	1 वर्ष	5.00%	8,158,571.00	26.2.2021	26.2.2022	8,574,212.00	38,959.00
कुल योग						14,73,52,975.00			15,51,92,599.00	43,58,836.00

हस्ता / -
(आर.वी. बानुबाकोडें)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
दिनांक 31/03/2021 को राष्ट्रीयकृत बैंक सहित सी.टी.पी. लेखा जमा का विवरण

(राशि रु. में)

क्र.सं.	निवेश के ब्यौरे	बैंक का नाम	खाता क्र.	अवधि	ब्याज दर	निवेशित राशि	जमा तिथि	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता मूल्य	प्रोद्भूत ब्याज
1	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	31669956953	555 दिन	5.70%	86,41,076.00	25.1.2020	1.11.2021	9,416,997.00	468,910.00
2	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	35746991323	1 वर्ष	5.70%	77,19,644.00	4.5.2020	4.5.2021	8,869,159.00	406,958.00
3	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	35749772126	1 वर्ष	5.70%	8,880,281.00	5.5.2020	5.5.2021	9,397,380.00	466,660.00
4	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	33049854690	1 वर्ष	5.10%	89,49,653.00	10.6.2020	10.6.2021	9,414,889.00	375,051.00
5	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	38538164081	1 वर्ष	5.10%	4,287,436.00	19.6.2020	19.6.2021	4,510,313.00	174,118.00
6	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	33983290676	1 वर्ष	5.10%	774,527.00	24.7.2020	24.7.2021	814,790.00	27,417.00
7	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	35970177372	1 वर्ष	5.10%	6,459,537.00	24.7.2020	24.7.2021	6,795,328.00	228,653.00
8	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	33989292878	1 वर्ष	5.10%	4,499,909.00	24.7.2020	24.7.2021	4,733,831.00	159,287.00
9	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	35973410490	1 वर्ष	5.10%	6,330,465.00	25.7.2020	25.7.2021	6,659,546.00	223,165.00
10	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	35115108213	1 वर्ष	5.10%	4,156,063.00	31.7.2020	31.7.2021	4,372,110.00	143,295.00
11	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	35121870739	1 वर्ष	5.10%	1,141,118.00	1.8.2020	1.8.2021	1,200,438.00	39,177.00
12	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	36138526677	1 वर्ष	4.90%	5,661,015.00	29.9.2020	29.9.2021	5,943,544.00	141,861.00
13	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	39710637273	1 वर्ष	4.90%	3,200,000.00	5.10.2020	5.10.2021	3,359,705.00	77,117.00
14	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	37288026437	1 वर्ष	4.90%	4,203,988.00	8.11.2020	8.11.2021	4,413,800.00	81,957.00
15	सीटीपी	विजया बैंक	50670331100779	1 वर्ष	4.90%	6,685,543.00	10.1.2021	10.1.2022	7,019,203.00	387,314.00
16	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	39141267262	1 वर्ष	5.00%	3,714,772.00	12.2.2021	12.2.2022	3,904,022.00	25,043.00
17	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	36548640588	1 वर्ष	5.00%	4,211,301.00	16.2.2021	16.2.2022	4,425,847.00	26,025.00
20	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	40106508370	1 वर्ष	5.00%	2,000,000.00	30.3.2021	30.3.2022	2,101,891.00	543.00
23	सीटीपी	भा.स्टेट.बैंक	36729987876	1 वर्ष	5.00%	2,295,284.00	31.3.2021	31.3.2022	2,412,218.00	315.00
कुल योग						11,63,84,603.00			12,34,87,990.00	34,75,151.00

हस्ता / -
(आर.वी. बानुबाकोडे)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो, नागपुर

हस्ता / -
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो,
नागपुर

दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, नागपुर
वर्ष 2020-21 के लिए नई पेंशन योजना प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

(राशि रु. में)

प्राप्तियाँ			भुगतान		
राशि 2019-2020	विवरण	राशि 2020-2021	राशि 2019-2020	विवरण	राशि 2020-2021
1	2	3	4	5	6
रु.		रु.	रु.		रु.
76,425.15	अथ शेष बचत खाता	80,924.65			
4,132.00	पारगमन में प्रेषित	4,132.00			
4,765.00	प्राप्त ब्याज	4,147.00	1,09,60,023.50	नई पेंशन योजना ट्रस्ट खाते में अंतरित राशि	1,46,58,684.00
54,79,879.00	टियर-1 में कर्मचारी का अंशदान	73,30,085.00		अंतर्शेष बचत खाता जमा खाता	86,557.65
54,79,879.00	टियर-1 में बोर्ड का अंशदान	73,30,085.00	80,924.65		
			4,132.00	पारगमन में प्रेषित धन	4,132.00
1,10,45,080.15	कुल	1,47,49,373.65	1,10,45,080.15	कुल	1,47,49,373.65

हस्ता/-
(आर.वी. बानुबाकोर्डे)
लेखापाल
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. नागपुर

हस्ता/-
(सौरभ मलिक)
लेखा अधिकारी
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. नागपुर

हस्ता/-
(सी. एस. राव)
वित्तीय सलाहकार
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो. नागपुर

हस्ता/-
(हर्ष वैद्य)
महानिदेशक
द.ठें.रा.श्र.शि.वि.बो.
नागपुर



दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त निकाय)
उत्तर अंबाझरी रोड, नागपुर-440 033